पंचम माला, खंड 21, अंक 11 · मंगलवार, 28 नवम्बर, 1972/7 अग्रहायण, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXI, No. 11 Tuesday, November 28, 1972/Agrahayana 7, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation
18-8-92
Fumigated
On 15.2.89
Parliament Library

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 11, मंगलवार, 28 नवम्बर, 1972/7 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 11, Tuesday, November 28, 1972/Agrahayana 7, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
201. बिजनौर के पास दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस में यात्रियों को डाकुओं द्वारा लूटा जाना	Robbery of Passengers near Bijnor Station in Delhi Mussoorie Express ..	1—4
210. रेल यात्रियों की सुरक्षा	Protection to Railway Passengers ..	4—6
206. पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय के कार्यकरण की समीक्षा	Review of the working of Ministry of Petroleum and Chemicals ..	6—10
207. सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेन्शन सम्बन्धी लाभ	Pensionary Benefits to Retired Railway Employees ..	10—12
209. आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की गोहाटी में हुई वार्षिक बैठक	Annual General Meeting of All India Station Masters' Association held at Gauhati ..	12—14
211. पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के कार्य में गतिरोध	Oil Exploration at Standstill in West Bengal ..	14—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
202. रेलवे से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये प्रयत्न	Efforts to remove Corruption from Railways ..	16—17

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

203. केन्द्रीय विद्युत प्रजनन और विद्युत एककों के नियन्त्रण के लिये एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना	Setting up of a Central Body for controlling Central power Generation and Power Units	17
204. नाइलोन का धागा बनाने वाले कारखानों द्वारा अधिक कच्चा माल आयात करने के लाइसेंसों की मांग	Demand of Nylon Yarn Producing Units for more Raw Material Import Lincences ..	17—18
205. गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Legal Aid to the Poor ..	18—19
208. केन्द्र द्वारा दो बिजली उत्पादन केन्द्र स्थापित	Setting up of two Central Power Generation Stations ..	19
212. रंगिया (आसाम) में प्रभागीय मुख्यालय (डिवीजनल हेड-क्वार्टर्स)	Divisional Headquarters at Rangiya (Assam) ..	19
213. पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे का विकास	Development of Railway during Fifth Plan period ..	20
214. श्रीनगर एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस का पठानकोट रेलवे स्टेशन पर गये बिना ही मार्ग बदल कर जम्मू पहुंचना	Diversion of Srinagar Express and Sealdah Express to reach Jammu without touching Pathankot Railway Station ..	20
215. मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिये स्थान का चुनाव करने वाली समिति का प्रतिवेदन	Report of the Site Selection Committee for Mathura Refinery ..	20—21
216. मथुरा तेल शोधक कारखाने के बारे में रूस के तकनीकी सहायता दल का प्रतिवेदन	Report of Soviet Technical Assistance Team regarding Mathura Refinery ..	21
217. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हरियाणा के गांवों में बिजली पहुंचाना	Electrification of Haryana Villages by Rural Electrification Corporation ..	22
218. तापीय और परमाणु बिजली केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Thermal and Nuclear Power Stations ..	22—23

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
219. राज्य सरकार और उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा उर्वरक योजना को अन्तिम रूप दिया जाना	Scheme for Fertilizer finalised by representatives of State Governments and Fertilizer Industry	..	23
220. रेल पथ (परमानैंट वे) के लिए नियुक्त गैंगमैनों के वेतनमार का पुनरीक्षण	Revision of Scale of Pay of Gangmen employed under permanent way	..	23
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
2001. भारतीय संविधान के अधिकृत संस्करण का हिन्दी में प्रकाशन	Publication of Authorised Text of Indian Constitution in Hindi	..	23—24
2002. नर्मदा सागर बांध का निर्माण	Construction of Narmada Sagar Dam	..	24
2003. बम्बई, मद्रास और बंगलौर के उच्च न्यायालयों द्वारा मुकदमों का निपटान	Disposal of cases by the High Courts of Bombay, Madras and Bangalore	..	24—25
2004. ईंधन तेल के स्थान पर कोयला काम में लाने वाले बिजली घर	Power Houses Switched over from Fuel Oil to Coal	..	25—26
2005. धार्मिक संस्थानों तथा सम्पत्तियों के प्रशासन तथा कार्यकरण के लिये समान कानून	Uniform Law for the Administration and Working of Religious Endowments and Properties	..	26
2006. मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण रेल डिब्बों का उपयोग	Use of Inspection Carriages by Chief Auditor	..	26—27
2007. विभिन्न स्थानों पर जाली रेल टिकट बेचने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of Persons for Selling Forged Railway Tickets at Different Places	..	28
2008. आगामी दो वर्षों में बिछाई जाने वाली नई रेल लाइनें	New Railway Lines to be laid in next Two Years	..	28
2009. नंगल उर्वरक परियोजना के विस्तार हेतु पूरे विश्व से टेंडर न मांगने के कारण	Reasons for not calling Global Tenders for Expansion of Nangal Fertilizer Projects	..	28
2010. कोचीन मद्रास एक्सप्रेस में डीजल इंजन का बन्द किया जाना	Stoppage of Diesel Engine Service for Cochin Madras Express		28—29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2011. हिन्दी में कानून की पुस्तकों के लिये इनामी प्रतियोगिता	Prize Competition for Law Books in Hindi	29
2012. रेलवे बोर्ड में पर्यटन सेल	Tourism Cell in Railway Board	29—30
2013. लेह चुशूल सड़क पर विद्युत परियोजना	Power Project at Leh-Chesul Road ..	30
2014. जम्मू तथा काश्मीर में सिंह हाइडल परियोजना और चेनानी हाइडल परियोजना का निर्माण	Construction of Sindh Hydel Project and Chenani Hydel Project in Jammu and Kashimir ..	31
2015. रेलवे में माल के यातायात को बढ़ाने के लिये किये गये उपाय	Measures taken to increase the Freight Traffic on Railways ..	31
2016. कालीकट एरणाकुलम एक्सप्रेस का एरणाकुलम टाउन में रुकना	Stoppage of Calicut Ernakulam Express at Ernakulam Town ..	32
2017. केरल में बरकला रेलवे स्टेशन का विस्तार	Expansion of Barkala Railway Station in Kerala ..	32
2018. पश्चिम रेलवे के प्रभागीय कार्यालयों में कलर्कों और टाइपिस्टों की कमी	Shortfall of Clerks and Typists in Divisional Offices (Western Railway) ..	32—33
2019. राजस्थान में से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में भोजनयान की सुविधाएं	Facilities of Dining Cars in Trains Running through Rajasthan ..	33
2020. ईराक के साथ तेल की खोज में सहयोग	Collaboration in Oil Exploration with Iraq ..	33—34
2021. तिनसुकिया, लुमडिंग और अलीपुर द्वारा (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर चाय, फलों आदि के स्टालों की संख्या	Number of Stalls of Tea, Fruit etc. on Tinsukia, Lumding and Alipurduar (N. F. Railway) ..	34
2022. तिनसुकिया में डिवीजनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति में नामजदगी	Nomination on Divisional Railway User's Consultative Committee at Tinsukia ..	34
2023. लुमडिंग, जंक्शन, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गैर-सरकारी स्टाल और होटल	Private Stalls and Hotels at Lumding Junction, N. F. Railway	35

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता०, प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2024. केरल से प्राप्त सिंचाई तथा विद्युत योजनाएं	Irrigation and power Schemes Received from Kerala ..	35—36
2025. इड्डिक्की विद्युत परियोजना	Idikki power Project ..	36
2026. भारत श्रीलंका पावर ग्रिडों का जोड़ा जाना	Linking of Indo Ceylon Power Grids	37
2027. भारतीय रेलवे में टाइपिस्टों के कर्त्तव्य	Duties of Typists on Indian Railways ...	37—38
2028. पंजाब और हरियाणा से भेजे गए गेहूं से भरे रेलवे के माल डिब्बों का भुवनेश्वर (उड़ीसा) न पहुंचना	Railway Wagons of Wheat from Punjab and Haryana not reached Bhubaneshwar (Orissa)	38
2029. 7-8 मार्च, 1972 को सरकारी दौरे पर कलकत्ता गए भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी/कर्मचारी	Officers/employees of FCI on Official tour at Calcutta on March, 7-8, 1972 ..	38—39
2030. हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर यात्रियों का बाहर आने से रोका जाना	Passengers obstructed to come out from Howrah and Sealdah Stations	39
2031. इटली द्वारा भारत में पोली एथिलीन संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Potyethylene Plant in India by Italy ..	39—30
2032. हैवी ड्यूटी पी० वी० तथा हाई डेंसिटी पोली एथिलीन के निर्माण के लिये नई क्षमता के लाइसेंस देना	Licensing of new capacity for the manufacture of Heavy Duty PVs and High Density Polyethylene ..	40
2033. केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु सम्बन्धी मामले का निर्णय	Judgement in the case re. the age of Chief Justice, Kerala High Court	40
2035. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के लिये पदोन्नति के अवसर	Promotion opportunities to Scientsts in Central power Research Institute ..	40—41
2036. दुर्गापुर तापीय विद्युत केन्द्र (दामोदर घाटी निगम) में बिजली का बन्द होना	Power Failure in Durgapur Thermal Power Station (DVC) ..	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2037.	रेलवे द्वारा गांधी प्याऊ और गांधी मूर्ति का किराया लिया जाना	Rent of Gandhi Piao and Gandhi Statue charged by Railways ..	42
2038.	मुगलसराय जंक्शन पर बिना टिकट यात्रा करने वालों की गिरफ्तारियां	Arrest on Mughal Sarai Junction for Travelling without tickets ..	42
2039.	गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की योजना का क्रियान्वयन	Implementation of the Scheme for free legal aid to the poor ..	42—43
2040.	चम्पारन के घमता क्षेत्र की नारायणी नदी के कटाव से सुरक्षा	Protection of Ghamta area in Champaran from Erosion by Narayani River ..	43
2041.	फरीदाबाद में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना	Setting up of a research and development centre at Faridabad ..	43—44
2042.	सिंचाई और विद्युत योजनाओं का पूरा किया जाना	Completion of Irrigation and power Schemes ..	44—45
2043.	सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में वैगन बनाने वाले कारखानों के नाम	Names of Wagons Manufacturing Factories in Public and Private Sectors ..	46
2044.	बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच दामोदर घाटी निगम के विद्युत प्रतिष्ठानों में असंतुलन	Imbalance of Power Installations of DVC between Bihar and West Bengal ..	46
2045.	पंजाब में औद्योगिक एककों द्वारा जनरेटरों के आयात	Import of generators by Industrial Units in Punjab ..	47
2046.	तेल उद्योगों द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Oil Industries ..	47
2047.	औषधियों और दवाइयों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों का राष्ट्रीय करण	Nationalisation of Drugs and Medicines Manufacturing Companies ..	47
2049.	उर्वरक संयंत्रों के कार्य की स्थिति	Working conditions of Fertilizer Plants ..	48
2050.	राज्यों में बिजली का उत्पाद	Power production in States ..	48—49
2051.	वैगन उतारने में विलम्ब के कारण दिल्ली में कोयले की कमी	Scarcity of coal in Delhi due to delay in unloading of wagons ..	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2052. धनबाद रेलवे एम्पलाईज अफेयर्स	Dhanbad Railway Employees Affairs	49
2053. 'डिसअपाइन्टमैंट एट मिनिस्ट्रर्स एबसेंस एट धनबाद आन 2, अप्रैल, 1972 संबंधी समाचार	News item 'Disappointment at Minister's absence at Dhanbad on 2nd April, 1972' ..	50
2054. चार पहिये वाले वैगनों की मांग का विचाराधीन होना	Pending demand for four Wheeler Wagons ..	50—51
2055. सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना	Employment to educated Unemployed Ministry of Irrigation and Power	51
2056. गैर सरकारी क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों का अधिग्रहण	Taking over of Power Distribution Companies in Private Sector ..	51
2057. पांचवीं योजना में नई रेलवे लाइनें	New Railway lines during Fifth Plan	51—52
2058. कुवैत द्वारा भट्टी के तेल के ठेका मूल्य को कम किया जाना	Reduction in the contracted price Furnace Oil by Kuwait ..	52
2059. भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने सम्बन्धी ज्ञापन	Memorandum on Elimination of Corruption	52—53
2060. दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के कर्मचारियों को कर्मचारी कल्याण निधि से शिक्षा सहायता देना	Educational Assistance for Staff Benefit fund to staff of Danapur Division (Eastern Railway) ..	53
2061. बिहार स्थित आरा सासाराम लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करना	Nationalisation of Arrah-Sasaram Light Railway in Bihar ..	53—54
2062. गैर सरकारी क्षेत्र से वैगन (माल डिब्बे) बनाने के उद्योग को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Takeover of Wagon building from Private Sector ..	54
2063. विद्युत की कमी के सम्बन्ध में एक विशेष समिति की स्थापना	Setting up of a Special Committee for Power Shortage ..	54
2064. मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के लिए बाड़ाचका जल निकासी योजना	Barachanka Drainage Scheme for Midnapur District West Bengal ..	55

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
2065. पश्चिम बंगाल में छोटी लाइन की गाड़ियों को फिर से चलाना	Restoration of Light Railways in West Bengal	..	55
2066. राल्यटी और लाभांश के रूप में कोचीन तैलशोधक कारखाने द्वारा फिलिप्स कम्पनी को दी गई बड़ी राशि	Large amount of Royalty and Dividend paid to the Philips Company by the Cochin Oil Refinery	..	56—57
2067. मतदान आयु को कम करना	Lowering of voting age	..	57
2068. विद्युत सप्लाई में कमी कर देने के कारण भारतीय उर्वरक निगम की नंगल यूनिट में उत्पादन की कमी तथा कार्य के घंटों की हानि	Shortfall in production and loss in man hours in Nangal unit of FCI due to cut in power	..	57—58
2069. तटदूर तेल निकालने में विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में सरकारी अनुमोदन	Government's approval towards foreign collaboration in off shore oil Exploration	..	58
2070. रेलवे आरक्षण को रद्द करने के लिये लिये जाने वाले शुल्क में वृद्धि	Increase in fees chargeable for cancellation of Railway reservation	..	58—60
2071. मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई	Irrigation of land in Madhya Pradesh	..	61
2072. भूतपूर्व रेलवे के कर्मचारियों की भारतीय रेलवे में काम पर लगाना	Absorption of former Light Railway employees by Indian Railways	..	61
2073. बांदी कुई (पश्चिम रेल) में गैंगमैनों और इंजीनियरिंग कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Gangmen and Engineering Workers at Bandikui (Western Railway)	..	61—62
2074. दिल्ली और अहमदाबाद के बीच डबल लाइन	Double line between Delhi and Ahmedabad	..	62
2075. पतरातू तापीय बिजली घर की इकाइयां	Units of Patratu Thermal Power Station	..	62
2076. डाल्टनगंज में एक शंटिंग गाड़ी द्वारा दस व्यक्तियों की मृत्यु	Death of ten persons at Daltonganj by a Shunting train	..	63
2077. गुजरात और आसाम के तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल निकालना	Extraction of crude oil from the oil fields of Gujarat and Assam		63

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. Q. S. Nos.		

2078. बम्बई में एस्सो तथा बर्मा शैल तेल शोधक कारखानों में अप्रयुक्त पड़ी क्षमता	Unutilised capacity in ESSO and Burmah Shell Refineries in Bombay ..	64
2079. आई० ओ० डब्ल्यू० डी० के० जैड० में काम करने वाले कर्मचारियों के छुट्टी के लेखे का गुम होना	Missing leave Accounts of staff under I.O.W. D.K.Z.	64
2080. दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Staff working on daily wages ..	64
2081. मैसूर में अपर कृष्ण परियोजना द्वारा सिंचाई	Irrigation by Upper Krishna Project in Mysore ..	65
2082. चौथी योजना में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाना	Creation of Additional Irrigation Potential in Fourth Plan ..	65
2083. पाइप लाइन जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on pipeline Enquiry ..	65—66
2084. भारतीय उर्वरक निगम में खाली पड़े महाप्रबन्धक के पद	Vacant posts of General Manager, FCI ..	66
2085. केरल और अन्य स्थानों पर वैगन बनाने के कारखानें	Wagon Manufacturing Units in Kerala and other places ..	66
2086. दिल्ली से पंजाब को बिजली की सप्लाई	Supply of power from Delhi to Punjab	66—67
2087. हल्दिया तेलशोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाना	Expansion of capacity of Haldia Refinery ..	67
2088. कलकत्ता को जा रही पंजाब मेल को पटना सिटी स्टेशन के पास विस्फोट द्वारा उड़ा देने का प्रयास	Attempt to blow up the Calcutta bound Punjab Mail near Patna City Station ..	67—68
2089. सस्ती बिजली पैदा करने के लिये मैसूर राज्य की योजना	Mysore Government's plan for Generation of Cheap Power ..	68
2090. वर्ष 1972 में तेल की आवश्यकता तथा उसका आयात	Requirements and Import of Oil during 1972 ..	68—69
2091. पश्चिमी रेलवे के रतलाम नीमच सेक्शन में हड़ताल के बारे में गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों से बातचीत	Negotiations with Representatives of Unrecognised unions regarding strike on Ratlam-Neemuch Section of Western Railway	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		

2092. पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में माल और पार्सल की बुकिंग पर रोक लगाने का अधिकार	Authority for imposition of Restritions on booking of goods and parcels Ajmer Division (Western Railway)	69—70
2093. डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, अजमेर द्वारा सवारी गाड़ियों से भेजे गये पार्सलों को निर्दिष्ट स्टेशन से आगे ले जाने की अनुमति देना	Over carriage of parcels booked by Passenger trains allowed by Divisional Superintendent, Ajmer ..	70—71
2094. गाड़ियों की गति बढ़ाना	Speeding up of Trains ..	71
2095. नई गाड़ियां चलाने से अर्जित लाभ	Profits earned owing to the introduction of new Trains ..	71—72
2096. गोआ में स्थायी न्यायिक आयुक्त का पद	Post of Permanent Judicial Commissioner in Goa ..	72
2097. राष्ट्रीय समिति और भारतीय तेलनिगम के भूतपूर्व निदेशक का टकरू आयोग से हटना	Withdrawal of National Committee and former Director of IOC from the proceedings of Takru Commission ..	72—73
2098. नियंत्रित मूल्यों पर बेची जाने वाली दवाइयां	Names of medicines being sold at controlled prices ..	73
2099. अगरतला से त्रिपुरा तक रेल मार्ग के लिये सर्वेक्षण	Survey for Railway line from Agartala to Tripura ..	73
2100. त्रिपुरा में डमबोरों पनबिजली परियोजना पर हुआ व्यय	Amount spent on Damboroo Hydel Project in Tripura ..	74
2101. मुख्य यांत्रिक अभियन्ता (मध्य रेलवे) बम्बई के कार्यालय में काम कर रहे लिपिकों की वरीयता	Seniority of Clerks working in Chief Mechanical Engineer's Office, Bombay (Central Railway) ..	74
2102. सियोल, दक्षिण कोरिया में एशियाई देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन	Conference of Chief Justices of Asian countries at Seoul South Korea ..	74—75
2104. रेलवे बोर्ड और राज्य परिवहन निकायों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय	Coordination between representatives of Railway Board and State Transport bodies ..	75
2105. ईराक से आयात किये गये कच्चे तेल का विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा शोधन करना	Refining of Crude Oil Imported from Iraq by foreign Oil Companies ..	75

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2106. नये पुल से होकर गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच जल्दी-जल्दी शटल सर्विस चालू करना	Quicker shuttle service between Ghaziabad and New Delhi via New Bridge ..	75—76
2107. मैसूर को पन बिजली परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial assistance to Mysore for Hydel Power projects	76
2108. मध्य प्रदेश में ग्रामों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Villages in M.P. ..	76
2109. मध्य प्रदेश के टिम्बर के व्यापारियों को रेल वैगनों की अनियमित सप्लाई	Irregular supply of wagons to Timber Traders of Madhya Pradesh ..	77
2110. पोंगबांध से निकाले गये व्यक्तियों को राजस्थान में बसाना	Rehabilitation of oustees from Pongdam in Rajasthan ..	77
2111. ब्योहारी, सहडोल, पाली और उमरिया में इमारती लकड़ी और कच्चे कोयले के लिये वैगनों के आवंटन के लिये अनिर्णीत पड़े इन्डेंट (मांगपत्र)	Indents pending for allotment of wagons for Timber and Charcoal at Beohari, Shahdol, Pali and Umaria ..	77—78
2112. मध्य प्रदेश में बिजली का बन्द होना	Power failure in Madhya Pradesh	78
2113. गोआ और पांडीचेरी की बिजली की कमी कार्य को पूरा करना	Sharing of power deficit of Goa and Pondicherry ..	78—79
2114. एस्सो द्वारा ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र को कच्चे माल की सप्लाई कम करने की धमकी	Esso's threat to Slash supplies of raw material to the Trombay Fertiliser Plant	79
2115. 1972 में कोयला वितरण के लिये वैगनों की सप्लाई	Wagon supply for coal distribution in 1972 ..	79—80
2116. कच्चे माल संबंधी नीति में परिवर्तन के कारण विटामिन निर्माताओं पर प्रभाव	Effect on Vitamin Makers due to Shift in Raw Material Policy ..	81
2117. आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन को नियंत्रण में लेना	Take over of Execution of Generation Projects in Andhra Pradesh	81—82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2118. एस्सो प्रबन्ध कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum by Esso Management Staff Association	82
2119. अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता तथा उनका उत्पादन	Requirements and production of Crude Oil and Petroleum Products	82—83
2120. रेलवे माल यातायात पर राज्यों की परिवहन नीति का प्रभाव	Goods traffic by transport policy affected states	83—84
2121. बहु विवाह प्रथा को बन्द करने के लिये कानून	Legislation to prohibit polygamy	84
2122. राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं	Rural electrification schemes in States	84—85
2123. उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय के टी० आर० ए० और कोचिंग सेक्सन (ओ० पी० टी० जी०) के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against Staff of TRA and Coaching section (Optg.) Head-quarters Office (Northern Railway)	85
2124. पन बिजली घरों द्वारा बिजली का उत्पादन	Generation of power by Hydro electric stations ..	85—86
2125. रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों के अध्यापकों के लिये दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम	Delhi School Teachers pay scale for Railway run School Teachers .	86
2126. विदेशों में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के लिये भारतीय तकनीकी जानकारी	Indian expertise to foreign countries in establishment of refineries ..	86
2127. उर्वरक का उत्पादन और उद्योगों की स्थापना	Manufacture of fertiliser and setting up of Industries ..	87
2128. बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश को बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिये राशि का आवंटन	Finances to Bengal, Bihar and U. P. for increasing power ..	87
2129. पठानकोट जम्मू लाइन पर यात्री यातायात	Passenger traffic on Pathankot Jammu line ..	87—88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2130. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का विश्व न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में चुना जाना	Election of the Chief Election Commissioner of India as a Judge in the World Court	88
2131. दिल्ली–अहमदाबाद मेल गाड़ियों में नये शयन यान लगाना	Introduction of New Sleeper Coach on Delhi Ahmedabad Mail Trains ..	88—89
2132. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों और लीवरमैन को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters and Levermen, Allahabad Division (Northern Railway)	89
2133. कच्चे तेल की सप्लाई के लिये नाइजेरिया का प्रस्ताव	Offer from Nigeria for the supply of Crude Oil ..	89
2134. ओन योअर कंटेनर्स योजना को चलाया जाना	Introduction of Own Your Containers' Scheme ..	90
2135. नर्मदा के पानी को उपयोग में लाने के लिये नवगाम के बांध की ऊंचाई	Height of Dam at Navgam to harness Narmada Waters ..	90
2136. संवैधानिक विधि और संसदीय संस्थाएं तथा प्रक्रियाओं में डिप्लोमा के लिये स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम	Post Graduate Correspondence courses for Diploma in Constitutional Law and Parliamentary Institutions and Procedures ..	91
2137. उड़ीसा में बाली मेला जल विद्युत परियोजना के लिये सहायता	Assistance for Balimela Hydro Electric Project in Orissa ..	91
2138. रेलवे की बोगियों के लिये सरकार को भेजे गये विदेशों से क्रयादेश	Foreign orders placed on Government for Railway Bogies ..	92
2139. रेल वैगनों की कमी के कारण दिल्ली में सीमेंट तथा कोयले की कमी	Shortage af Cement and Coal in Delhi Due to Wagon Shortage ..	92
2140. ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत झांसी जिले में दोषपूर्ण पाइपों का उपयोग	Use of Defective Pipes in Rural Water Supply Scheme in Jhansi District ..	92—93
2141. बूढ़ी गंडक नदी के कटाव से लोगों के संरक्षण के लिये परियोजना की स्थापना	Setting up of a project for Protection of People from Erosion by Burhi Gandak River ..	93

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2142. बिहार सरकार द्वारा गुआ और मनोहरपुर को रेल लाइनों से जोड़ने की मांग	Bihar Government Demand for Railway Connection between Gua and Manoharpur ..	93
2143. सिंहभूमि और शाहबाद जिलों में रेल लाइनें बिछाने के लिये बिहार सरकार का अनुरोध	Bihar Government request for Railway lines in Singhbhumi and Shahabad Districts ..	94
2144. हाजीपुर से मोतीहारी अथवा सागौली, बरास्ता, लालगंज, साहगंज (पूर्वोत्तर रेलवे) रेल लाइन	Railway line from Hajipur to Motihari or Sagauli via Lalganj, Sahaganj (North Eastern Railway) ..	94
2145. रेलवे कैन्टीन (पूर्वी रेलवे) द्वारा घटिया खाना सप्लाई करना	Supply of Low Grade Food by Railway Canteens (Eastern Railway) ..	94—95
2146. पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना	Teesta Barrage Project in West Bengal ..	95
2147. जल संसाधनों सम्बन्धी विधान	Legislation on Water Resources ..	96
2148. रेलवे की शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों की सीधे भर्ती	Direct Recruitment of Scheduled Castes in Railway Educational Institutions ..	96
2149. बिजली की सप्लाई के लिये राज्यों के ग्रिडों को जोड़ने हेतु कार्यक्रम	Steps taken to join State Grids for Power Supply ..	96—98
2150. विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे वैगनों को रोकना	Detention of Railway Wagons at Different Stations ..	98—99
2151. दक्षिण मध्य रेलवे से पूना बरसी और पूना मिराज सेक्सनों के प्रशासन के मध्य रेलवे द्वारा नियंत्रण में लेना	Take over of Administration between Poona Barsi and Poona-Miraj from South Central Railway by Central Railway ..	99
2152. बड़ौदा में विद्युत चालित इंजनों के लिये शैड	Shed for Electric Locomotives at Baroda	99
2153. रेलवे वाणिज्यिक निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति के लिये एक समान नीति	Uniform Policy for Promotion as Commercial Inspectors on Railways ..	100
2154. पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रैसरों के चयन के संबंध में जांच	Investigation into the Selection of Claim Tracers on Western Railway ..	100—101

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2155. गढवा और डाल्टनगंज स्टेशनों (पूर्व रेलवे) पर आरक्षण की व्यवस्था	Reservation Arrangement at Garhwa and Daltonganj Stations (Eastern Railway) ..	101
2156. वर्ष 1971-72 में दिल्ली तथा नई दिल्ली जंक्शन पर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Passengers Travelling without Tickets at Delhi and New Delhi Junctions during 1971-72	101
2157. बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में बिहार में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Arrest in Bihar on Charges of Ticketless Travelling ..	101—102
2158. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में दैनिक मजूरी पर सामान उठाने वाले कुलियों को रोजगार	Employment of Luggage Porters on Daily Wages at Parcel Office of New Delhi Railway Station ..	102
2159. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम फिरोजपुर मलेरिया निरीक्षकों की नियुक्ति	Posting of Malaria Inspectors under National Malaria Eradication Programme Ferozepore Division, Northern Railway ..	102
2160. विभिन्न वेतन मानों के स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति	Posting of Health Inspectors in Different Grades ..	103
2161. उत्तर प्रदेश में सीरे सम्बन्धी घोटाला	Racket of Molasses in Uttar Pradesh ..	103—104
2162. बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण	Construction of Rajghat Dam over Betwa River ..	104
2163. गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों में बाढ़ रोकने के उपाय	Measures for Checking Floods in Ganga, Jamuna and Brahmputra ..	104—105
2164. छोटे स्टेशनों पर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर भत्ता दिया जाना	Grant of House Rent and Compensatory city Allowance to Staff at Small Stations ..	106
2165. रेलवे क्वार्टरों का किराया निर्धारित किया जाना	Fixation of Rent of Quarters on Railways ..	106—107
2166. एरणाकुलम स्टेशन पर सीटों तथा शायिकाओं का आरक्षण	Reservation of Seats and Berths at Ernakulam Station ..	107

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2167. ग्राम्य विद्युतीकरण योजना के अधीन आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये केरल को अनुदान	Grant to Kerala for Electrification in Kerala by Rural Electrification Corporation ..	107
2168. ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा केरल में ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in Kerala by Rural Electrification Corporation ..	108
2169. औद्योगिक विकास के साथ-साथ देश में रेलवे के माल डिब्बों की मांग में वृद्धि	Increase in Demand for Railway Wagons in the country along with the Industrial Development ..	108
2170. तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं	Power projects in Tamil Nadu financed by Central Government ..	108—109
2171. नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की विशेष तकनीकी जानकारी	C.W.P.C. Expertise for setting up New Power Projects ..	109
2172. जापान से चल प्लेटफार्म की डिलीवरी	Delivery of Mobile Platform from Japan ..	110
2173. सरकारी क्षेत्र से बिजली घरों में बिजली पैदा करना	Generation of Power in Public Sector Power Houses ..	110—111
2174. पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की मांगें	North Eastern Railway Mazdoor Union's Demands	111
2175. तृतीय श्रेणी के शयनयान सहित जयनगर से पहलेजाघाट तक यात्री गाड़ी का चलाया जाना	Through Sleeper Coach from Jaynagar to Palezaghat ..	111—112
2176. आयल वर्कर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट एण्ड कन्सट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड, कलकत्ता-16 को ठेका	Contract to Oil Workers' Cooperative Labour Contract and Construction Society Ltd., Calcutta-16 ..	112
2177. चितरपुर पर रेलवे स्टेशन बनाया जाना	Opening of Railway Station at Chitarpur ..	112
2178. सिंदरी एकक में आधुनिकीकरण के लिये बलगेरिया के मैसर्स टेक्नो एक्सपोर्ट और भारतीय उर्वरक निगम के बीच करार	Agreement between M/s Techno-Export of Bulgaria and FCI for Modernisation of Sindri Unit ..	113

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2179. भारतीय उर्वरक के निगम कार्यकारी निदेशकों के रूप में कार्य कर रहे क्रियाशील निदेशक	Functional Directors Working as Executive Directors in FCI ..	113
2180. बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाएं	Major and Minor Irrigation Projects ..	113—114
2181. बल्क ड्रग्स आयात में होने वाले कदाचारों को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check Malpractices in Import of Bulk Drugs ..	114—115
2182. जी० टी० एक्सप्रेस में सीधे मंगलौर के लिये तीन टायर शायिका वाला डिब्बा लगाना	Direct Three Tier Sleepers Coach to Mangalore in G. T. Express	115
2183. पन्सकुरा हाल्दिया लिंक के नैमित्तिक श्रमिकों को बहाल करने के लिये दक्षिण-पूर्वी रेलवे (निर्माण और परियोजना) कार्मिक संघ का अभ्यावेदन	Representations from South Eastern Railway (Construction and Project) Labour Union for Reinstatement of Panskura-Haldia Casual Labourers ..	115
2184. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क स्वर्ण नियंत्रण सम्पत्ति तथा आय कर अधिनियमों के बारे में कानून बनाने के लिये विधि आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Law Commission for Enactment of Laws on Central Excise, Customs, Gold Control, Wealth and Income tax ..	115—116
2185. कटिहार स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल	Strike by Railway Employees at Katihar Station (North Eastern Railway) ..	116
2186. मोदीनगर और मेरठ सिटी में पार्सल कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Investigation against Parcel Staff at Modinagar and Meerut City ..	116—117
2187. आसाम मेल में यात्रियों को लूटना	Looting of Passengers in Assam Mail	117
2188. मद्रास डिवीजन में मीटर लाइन के सब-अरबन सैक्शन के एवजी कर्मचारियों को दैनिक भत्ता न देना	Denial of Daily Allowance to Relieving Staff of Metre Gauge Suburban Section Madras Division ..	117
2189. मद्रास एगमोर में मुख्य लाइन के प्लेटफार्मों पर जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था	Inadequate Drainage System on Main Line Platforms at Madras Egmore ..	118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2190. ओलवाकोट्ट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) का विभाजन	Bifurcation of Olavakkot Division (Southern Railway)	118
2191. राजस्थान के गांवों के लिये रेलवे लाइन बिछाना	Laying of Railway Lines for Rajasthan Villages ..	118—119
2192. रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध जांच	Enquiry against Vigilance Inspector of Railway Board ..	119
2193. अनुशासन तथा अपील नियमों के अधीन रेलवे स्टाफ के विरुद्ध जांच का परिणाम	Result of Enquiry against Railway Staff under Discipline and Appeal Rules ..	119
2194. नई दिल्ली से बुक किये गये पैकटों के गुम हो जाने पर मुआवजा देना	Compensation for missing packets booked at New Delhi ..	119—120
2195. रेलवे सेवा आयोग में हरिजन तथा अनुसूचित आदिवासी सदस्य मनोनीत करना	Nomination of Harijan and Scheduled Tribes for Railway Service Commission ..	120
2196. मथुरा हाथरस मीटर गेज लाइन पर सौन गांव की चौकी नं० 331 को समाप्त करना	Abolition of Post No. 331 of Sonai Village on Mathura Hathras Metre Gauge Line ..	120
2198. कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम द्वारा चलाये जा रहे विद्युत संयंत्र	Generating Plants run by Calcutta Electric Supply Corporation ..	120—122
2199. दिल्ली तथा अन्य स्टेशनों पर रेलवे आरक्षण टिकट बेचने वाली जाली यात्रा एजेंसियां	Bogus Travel Agencies selling Railway Reservation Tickets at Delhi and other Stations ..	122—123
2200. भारतीय रेलवे के फ्लैग स्टेशन	Flag Stations in Indian Railways ..	124
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
भारतीय वायु सेना की उड़ान दुर्घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि	Recent increase in IAF flying accidents ..	124—131
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indra Jeet Gupta	*124—126*
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	125—127
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	131

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
विमान वहन विधेयक	Carriage by Air Bill	..	131—135
विचार करने का प्रस्ताव—जारी	Motion to consider—contd.		135
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh		132—134
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha	..	133
श्री सी० जनार्दनन	Shri C. Janardhanan	..	133
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder		133—134
श्री महादीपक सिंह शाक्य	Shri Maha Deepak Singh Shakya	..	134
खंड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1	..	135
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	135
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh		135
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 12वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twelfth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities	..	135—158
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin		135—136
श्री दशरथ देब	Shri Dasaratha Deb		136—139
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	..	139—140
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	..	140—143
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda		143—144
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta		144—147
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri		147—149
श्री समर गुह	Shri Samar Guha		149—152
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	..	154—155
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	..	155—156
श्री राम सहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	..	156
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	..	156—157
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	..	157—158

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 28 नवम्बर, 1972/7 अग्रहायण, 1894 (शक)

Tuesday, November 28, 1972/Agrahayana 7, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बिजनौर के पास दिल्ली-मसूरी एक्सप्रेस में यात्रियों को डाकुओं द्वारा लूटा जाना

+
*201. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22/23 अक्तूबर, 1972 को बिजनौर के पास दिल्ली-मसूरी एक्सप्रेस में कुछ सशस्त्र डाकुओं ने यात्रियों को लूटा और उनमें कुछ यात्रियों की हत्या भी की ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में धन और जन की हानि का विवरण क्या है ; और

(ग) गाड़ियों में बढ़ रही असुरक्षा की भावना की रोकथाम के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) एक यात्री को गोली से मार दिया गया और अन्य दो को गम्भीर चोटें आईं। डाकुओं ने यात्रियों का लगभग 6500/— रुपये मूल्य का सामान लूट लिया।

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में रेल गाड़ियों में डकैती, लूटपाट और हत्या की बढ़ती हुई वारदातों पर चिन्तित होकर रेल मंत्री ने हाल ही में इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों पर सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था की जाये, ताकि

यात्री जनता को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी बीच निम्नलिखित कदम भी उठाये गये हैं :—

1. रात में चलने वाली सभी महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों पर सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र मार्ग रक्षक साथ जाते हैं।

2. मार्ग रक्षण ड्यूटी की अचानक जांच/पर्यवेक्षण का काम और तेज कर दिया गया है।

Shri Shiv Kumar Shastri : While replying to the question, the hon. Minister has stated that the Chief Ministers of Bihar and West Bengal have been told to provide armed guards on important passenger trains. So, one of the measures which has been taken for security is that the armed guards have been provided on all the important trains. First of all, may I know what the hon. Minister means by important trains ? Passengers do travel in every train and it is the passengers who make the train important. So what does he mean by an important train ?

Secondly, how the armed of guards will protect the train? They will remain in one compartment and robbery will be taking place in the other compartment. When the train will stop after the chain is pulled, they will first see if the culprits have run away, whether their lives are not in danger. How, then, will they manage to provide protection ?..(**Interruption**) I have to obtain a lot of information, I am asking in brief.

May I know whether the hon. Minister is considering to make such arrangements in future as may enable the armed guards to provide protection by moving in the whole train ? First, reply be given to this question.

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरा प्रश्न संख्या 210 इस जैसा ही है। मैं समझता हूं कि उसे साथ ही ले लिया जाये।

श्री टी० ए० पाई : यात्री गाड़ियों को गलियारे वाली गाड़ियों में बदलने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ताकि सशस्त्र रक्षक आज की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो सकें। मैं इस बात से सहमत हूं कि महत्वपूर्ण गाड़ी जैसी कोई चीज नहीं है। गाड़ियों की अपेक्षा सभी यात्री अधिक महत्वपूर्ण हैं। मेरे कहने का जो तात्पर्य है वह यह है कि यात्री गाड़ियों में रक्षक चलेंगे परन्तु जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, एक समस्या यह है कि सशस्त्र रक्षकों वाली बहुत सी गाड़ियों में डकैतियां हुई हैं। अतः मैं यह सोच रहा हूं कि क्या कुछ अन्य कदम उठाने का समय आ गया है। रेलवे पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के अपराधों को रोकने का उत्तरदायित्व सरकारी पुलिस का है और किसी कारण से राज्य सरकारें हमारे यात्रियों की सुरक्षा के लिये रेलवे सुरक्षा बल को अधिकार अथवा आवश्यक शक्तियां देने में अनिच्छुक रही हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब यह प्रतिष्ठा का मामला नहीं रहा है और यह सभी राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बन गया है और रेलवे को यह सुनिश्चित करना है कि आज हम यात्रियों की जितनी सुरक्षा कर सकते हैं उससे कहीं अधिक उनकी सुरक्षा की जाये।

Shri Shiv Kumar Shastri : Mr. Speaker, Sir, the information which I wanted to obtain has not been given. May I know whether the trains running on Branch-Lines will be escorted by the armed guards or not ? What will be the arrangements for their security ? If the hon. Minister has any picture of it in his mind, he may tell us.

Mr. Speaker : When so many questions are mixed up in one question, how can it be answered ?

Shri Shiv Kumar Shastri : The question which I have asked first, should be replied first.

श्री टी० ए० पाई : माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा कि एक डिब्बे में सशस्त्र रक्षक रखने का क्या लाभ है जबकि उन्हें प्रत्येक डिब्बे में रखा जाना चाहिए। मैंने कहा कि अब हम यह कार्यवाही करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियों को गलियारे वाली गाड़ियों में बदला जाये। मैं समझता हूं कि यह पहले प्रश्न का उत्तर है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, यथा, जब सशस्त्र रक्षक रक्षा ही नहीं कर सकते तो इन्हें रखने का क्या लाभ है, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि मैं स्वयं इससे संतुष्ट नहीं हूं। यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। हम रेलवे पुलिस पर प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। मैं इसे वर्तमान की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली बनाना चाहता हूं। यही सुझाव मैंने दिया है। मैं शीघ्र ही इन राज्यों के पुलिस के महा-निरीक्षकों और गृह मंत्रियों की बैठक बुलाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावें और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि क्या हम इन अपराधों को समाप्त करने के लिये पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने के साथ साथ, रेलवे के लिये कार्य दल (टास्क फोर्स) भी बना सकते हैं ? मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यह अधिक अच्छी व्यवस्था होगी। पहले ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि राज्य सरकारें ये शक्तियां प्रदान करने में बहुत संकोच करती थीं।

Shri Shiv Kumar Shastri : Even now the reply to the first question as to whether the trains on Branch-lines would be escorted by the guards has not been given. This may also be replied to alongwith the answer to the next question. May I know whether some thing has been given as compensation by the Railways to the families of the person who was shot dead, two others who sustained serious injuries and for the robbery of the belongings of the passengers valued at Rs. 6500. If so, what is the amount thereof ?

श्री टी० ए० पाई : सारा माल बरामद कर लिया गया है। जो व्यक्ति मारे गए हैं उन्हें क्षतिपूर्ति देने का इस समय कोई साधन नहीं है। इसीलिये मैंने सुझाव दिया था कि जब इस प्रकार की अथवा कोई अन्य दुर्घटना हो, तो उसके कारण मरने वाले यात्रियों के लिए अब से एक बीमा योजना हो। हमारे यात्रियों की सुरक्षा के लिये यदि माननीय सदस्य कोई और अच्छा सुझाव दें तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या रेलवे के सशस्त्र कार्मिक गाड़ी में उपस्थित थे परन्तु जब तक डकैती होती रही, वे बाहर नहीं आये और जिस क्षण डाकू भागे उसी क्षण वे बाहर आये और इधर-उधर शोर मचाया ?

Mr. Speaker : It often happens.

श्री टी० ए० पाई : मैं पहले ही मान चुका हूं कि वे उपस्थित थे। हमने उनको समय पर कार्यवाही न करने के लिये मुअत्तिल कर दिया है परन्तु जो कुछ हुआ है उसके लिये यही कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। बराये नाम सशस्त्र रक्षक रखने से कोई लाभ नहीं है। 12 सशस्त्र व्यक्ति एक डिब्बे में घुसे और उसे लूटने की कोशिश की। वह डिब्बा प्रथम श्रेणी का न हो कर, तृतीय श्रेणी का था जो पूरी तरह से भरा हुआ था। इसका तो यह मतलब हुआ कि ये लोग समझते हैं कि वे अन्दर आ

सकते हैं और जैसे चाहे कानून और व्यवस्था भंग कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति रेलवे तक ही सीमित नहीं है। राज्य सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।

Shri G. P. Yadav: At present there are two protection forces—one is State Railway Protection Police Force which is under the State Government and the other is Railway Protection Force which is under the Railway Administration. Due to disharmony between these two, a lot of trouble is there in several trains. May I know whether there will be only Railway Protection Force instead of these two or they will take care through State Railway Police? I want to request the hon. Minister to have only one of them, because a lot of trouble occurs in the Railways due to this dual arrangement . . .

Mr. Speaker: Do not give a speech, please.

श्री टी० ए० पाई: रेलवे सुरक्षा बल पहले रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करने वाला चौकीदारों का एक दल होता था। कई वर्षों बाद उन्हें अधिक शक्तियां दे दी गई हैं परन्तु उनकी शक्तियां हमारी सम्पत्ति, रेलवे की आस्तियां और रेलवे को सौंपे गये माल की देख भाल करने तक ही सीमित हैं। जब कभी अपराध का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, राज्य सरकारें अपनी शक्तियों में हिस्सा बंटाने में अनिच्छुक रही हैं और इसीलिये हम कुछ नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि यह उनका उत्तरदायित्व है। जब से हमें पता चला है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा काम नहीं हो रहा है, मैंने यह सुनिश्चित करने के लिये सुझाव दिया है और विस्तारपूर्वक चर्चा की है कि हम अपने रेलवे सुरक्षा बल को समय पर कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त शक्तियां दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रश्न संख्या 210 को इस प्रश्न के साथ मिलाया था परन्तु माननीय सदस्य अपने प्रश्न पूछने के लिये खड़े नहीं हो रहे हैं?

रेल यात्रियों की सुरक्षा

+
*210. **श्री ई० वी० विखे पाटिल:**
श्री एम० एस० संजीवी राव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेल यात्रियों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा रेलवे प्रशासन को किस प्रकार की सहायता दिये जाने की आशा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) से (ग). राज्य सरकारें कानून और व्यवस्था कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी के अंग के रूप में रेल यात्रियों की सुरक्षा की देखभाल करती हैं। जब कभी किसी क्षेत्र या खण्ड में अपराध बढ़ते हैं तो उनकी रोकथाम के उपाय तेज करने के लिए राज्य सरकारों को सचेत किया जाता है। राज्य सरकारें प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों पर सशस्त्र मार्ग रक्षक तैनात करती हैं और बदमाशों तथा अपराधियों पर नजर रखती हैं।

Shri E. V. Vikhe Patil : Has the Railway Department conducted any survey to find out the lines on which the passengers are mostly attacked and how much protection force has been posted there ? Is the Government thinking to introduce life insurance in the case of Railway passengers, just like the air passengers.

श्री टी० ए० पाई : यह योजना विचाराधीन है ।

Shri E. V. Vikhe Patil : Did the Railway Department conduct any survey regarding attacks on passengers ?

अध्यक्ष महोदय : कौन-कौन सी लाइनों पर डाकू और लुटेरे अधिक सक्रिय हैं ?

श्री टी० ए० पाई : जैसा मैंने बताया, ये घटनाएं अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में हो रही हैं । ये किसी एक लाइन तक सीमित नहीं हैं क्योंकि वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं । फिर भी जबसे ये घटनाएं किसी एक क्षेत्र में होनी शुरू हुई हैं, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जाने-माने अपराधियों पर नजर रखें । पर इससे कोई स्थायी हल नहीं निकलता । जब कोई घटना होती है, हम सक्रिय हो जाते हैं और उसके बाद पूर्ववत् स्थिति बन जाती है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : यह एक बड़ा कटु अनुभव है कि जब कभी देश के किसी भाग में, चाहे वह आन्ध्र प्रदेश हो अथवा आसाम, कोई समस्या पैदा होती है अथवा असंतोष पैदा होता है तो आन्दोलनकारियों का पहला शिकार रेलवे सम्पत्ति होती है । इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लोगों को रेलवे के साथ सहयोग देने के लिए शिक्षित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री टी० ए० पाई : यह समस्या शिक्षितों को शिक्षित करने की है ।

Shri R. R. Sharma : Is the hon. Minister aware of the facts that Railway Police is in collusion with the dacoits in these incidents ? Is the hon. Minister aware of the fact that the Police had a hand in the robbery committed between Banda-Parban Railway stations ?

Mr. Speaker : If you have any information please, tell him. Here you are giving the information and not seeking information.

Shri R. R. Sharma : I am asking whether it is correct...

Shri Krishna Chandra Pandey : What reply have the Chief Ministers of Bihar and Uttar Pradesh given to the letter written by the hon. Minister about the robberies and dacoities committed in the railways in those States ?

श्री टी० ए० पाई : अपने उत्तर में उन्होंने हर सम्भव सहायता देने का आश्वासन दिया है । पर इससे काम नहीं बनता । हम कुछ और कारगर कदम उठाना चाहते हैं । उदाहरण स्वरूप, यदि हमें अधिक अधिकार दिए जायें तो हम इस समस्या को पर्याप्त सीमा तक हल कर सकते हैं ।

Shri Bhagirath Bhanwar : It has been told that Railways pay Rs. three crores to the States for the protection of the railways. It was also stated that States are to a greater degree responsible for the protection of the passengers. In this connection, I would like to know whether the pay scales of states, police and Railway Protection Force are different; if so what is the difference ? Secondly, have the State Governments expressed their inability to give full protection due to the shortage of police forces and that is why crime is increasing ?

श्री टी० ए० पाई : मैं नहीं समझता कि वेतन मानों में कोई अन्तर है और न हो ये अपराध पुलिस बल की कमी के कारण हो रहे हैं। सभा इस बात से सहमत होगी कि इस सेवा के लिए 3 करोड़ रुपया कम राशि नहीं है। पर मैं समझता हूं और यह शिकायत भी है कि जिस आदमी की कहीं आवश्यकता नहीं होती उसे रेलवे सुरक्षा बल में भेज दिया जाता है।

Shri Satpal Kapoor : I would like to know as to how many railway employees were involved in the robberies of last year, and whether railway will pay compensations to the persons killed in these incidents, as there is no insurance scheme at present ?

श्री टी० ए० पाई : मैं इस प्रश्न का तत्काल कोई उत्तर नहीं दे सकता। मैं इस बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहा हूं कि रेलवे को इस प्रकार की घटनाओं की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। विशेषकर इस मामले में मारे गये व्यक्ति ने जंजीर खींचने का प्रयत्न किया। उस पर आक्रमण नहीं हुआ था, पर जंजीर खींच कर वह अन्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहता था और गाड़ी को रोकना चाहता था। यही उसका अपराध था और उसे गोली मार दी गई। मैं समझता हूं कि उसे मुआवजा देकर हमने ठीक किया। मैं, जो भी सम्भव हो सकेगा वह करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने मामलों में रेलवे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के पास लूट का माल पकड़ा गया ?

श्री टी० ए० पाई : इसके लिए मुझे अलग नोटिस की आवश्यकता होगी।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के कार्यकरण की समीक्षा

*206. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या निर्णय किए गए हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के कार्यकरण के कुछ क्षेत्रों का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है। विकास कार्यक्रमों के तेजी से निष्पादन तथा उसमें उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के निवारण को सुनिश्चित करना उसका उद्देश्य है। इस पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप लिये गये मुख्य निर्णय निम्नप्रकार हैं :—

(i) ईंधन तेल एवं हैवी स्टाक से उर्वरकों के उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के विचार से, ऐसे स्टाक पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को समाप्त किया गया है जब इसका उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ii) यह निर्णय लिया गया है कि तेल अन्वेषण के कार्यक्रम का तेजी से निष्पादन किया जाए।

(iii) तकनीकी एवं नीति स्तरों पर सुधार लाने हेतु मंत्रालय का विस्तार करने के लिए स्वीकृति दी गई है ताकि मंत्रालय अपने व्यापक विस्तृत कार्यकलापों के निष्पादन में समर्थ हो।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या धीमी गति से चल रही उन अनेक परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिये, जिसके परिणामस्वरूप देश में उर्वरक की कमी हो रही है, कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ? अनेक परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं परन्तु इनको समय पर पूरा करने के लिये मंत्रालय ने क्या प्रयास किये हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : प्रत्येक मामले में, आरम्भ की गई परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब का कोई एक कारण नहीं है। लेकिन प्रत्येक मामले में इन कारणों का पता लगाया गया है और इन अड़चनों को हटाने का प्रयास किया गया है और यह ध्यान रखा गया है कि कुछ मामलों में असाधारण विलम्ब न हो तथा ये परियोजनाएं यथासंभव शीघ्र चालू हो जायें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : तेल की खोज के कार्यक्रम संबंधी तट-दूर खुदाई आदि के विषय में, जो अन्य विदेशी कम्पनियों के सहयोग से है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा इन कार्यों में लगी हुई अन्य एजेंसियां अपनी आशा के अनुरूप संतोषजनक परिणामों को दर्शाने में असमर्थ हैं क्योंकि इन संगठनों का विस्तार उचित ढंग से नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इन संगठनों का विस्तार करने और निर्धारित समय के अनुसार कार्य का संचालन करने के लिये कौन से विशिष्ट प्रयास किये गये हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : यद्यपि माननीय सदस्य ने तट से दूर तेल की खोज का उल्लेख किया है, तथापि मेरे विचार से यह प्रश्न इस अर्थ में व्यापक है क्योंकि माननीय सदस्य ने कहा है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तट-दूर और तट पर तेल की खोज की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।

जहां तक तट-दूर तेल की खोज का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते हैं कि अब उपयुक्त समय आ गया है और बम्बई के ऊंचे क्षेत्र में खोज का कार्य बहुत जल्दी प्रारम्भ कर दिया जायेगा। वस्तुत: यह आशा की गई थी कि जापान से मंगाया गया स्वचालित प्लेटफार्म हमें इस समय तक मिल जायगा लेकिन इसमें कुछ अधिक समय लग गया है और यह आशा की जाती है कि जापान द्वारा यह प्लेटफार्म मध्य दिसम्बर से पूर्व दे दिया जायेगा और बम्बई के ऊंचे क्षेत्र में तट-दूर तेल की खोज का कार्य शुरू हो जायेगा।

जहां तक तट पर खोज-कार्य का प्रश्न है, माननीय सदस्य भी इसे जानते हैं क्योंकि इससे भी पूर्व कई अवसरों पर मैंने इस सदन को विश्वास दिलाया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और सोवियत विशेषज्ञों के एक संयुक्त दल ने तट पर व्यापक खोज की एक ठोस योजना तैयार की थी। उन्होंने इस योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिये तैयार किया था और यदि सौभाग्य से हम सफल हो जाते हैं तो इससे अन्तत: 6 करोड़ 30 लाख अथवा 6 करोड़ 40 लाख टन तेल का भंडार मिल सकेगा। लेकिन इस पांच वर्ष के कार्यक्रम का पहला भाग यह दर्शाता है कि 40 लाख टन तेल और अधिक होगा। हमें अच्छे की आशा करनी चाहिए।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के प्रश्न के बारे में, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस पर केवल मैं ही नहीं अपितु सरकार भी पूरी तरह से ध्यान दे रही है–सरकार इससे सम्बद्ध है। इस बारे में मालवीय समिति को सिफारिशों पर हम अब अत्यन्त गम्भीरता और सावधानी से विचार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हम सदन को बताने में समर्थ हो सकेंगे कि उचित दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय के कार्यकरण के इस पुनरीक्षण में, क्या होना चाहिए। का कोई पुनरीक्षण शामिल है, अथवा उर्वरक, पेट्रोलियम आदि से सम्बद्ध मंत्रालय और विभिन्न निगमों के बीच वर्तमान व्यवस्था में किसी प्रकार के संशोधन अथवा सुधार की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उदाहरणार्थ भारतीय तेल निगम के उच्च अधिकारियों के मामले वाली स्थिति में, जिनकी संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति जैसे सम्मानीय निकाय द्वारा बहुत कटु आलोचना की गई है और जो जांच आयोग के समक्ष आरोपों का उत्तर दे रहे हैं, मंत्रालय का इन अधिकारियों के प्रति क्या रवैया होना चाहिए ? क्या इन अधिकारियों को बचाने का कार्य मंत्रालय का है अथवा क्या मंत्रालय का कार्य यह देखना है कि इस संबंध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग का पहले उत्तर देने में संकोच का अनुभव नहीं करता हूं। मंत्रालय यह उत्तर देकर अलग नहीं हो सकता है कि इस मामले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और दोषी पाये गये अधिकारियों को बचाने का कार्य निश्चित रूप से मंत्रालय का नहीं है और निश्चित रूप से मंत्रालय का कार्य यह देखना होता है कि सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार हो। इस मामले में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं।

प्रश्न के पहले भाग के बारे में, जो वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया है कि मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है और इसमें मंत्रालय और विभिन्न सरकारी संगठनों, जैसे उर्वरक निगम और भारतीय तेल निगम आदि, के बीच सम्बन्धों का पुनरीक्षण शामिल है, इसका उत्तर हां में है। इसमें यह शामिल है और कम से कम उर्वरक निगम के बारे में मैं इस सदन को बताने की स्थिति में हूं कि एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई थी जिसने पुनः एक कार्यवाही-समिति नियुक्त की है जिसमें योजना आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और उस समिति ने प्रधान-मंत्री को तथा मुझे भी हाल में एक प्रतिवेदन दिया है और हम इस पर ध्यान दे रहे हैं और सारी स्थिति की जांच करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अन्तर्गत केवल मंत्रालय तथा निगम के सम्बन्ध ही नहीं अपितु इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या इसके लिये पुनर्गठन अथवा पुनर्संगठन की आवश्यकता है। यदि विस्तार से देखें तो यह बात मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले अन्य सरकारी संगठनों पर भी लागू होती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि मान लीजिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति यह सिफारिश करती है कि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये, तब उस मामले में मंत्रालय का दायित्व क्या है ? क्या मंत्रालय को उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करनी चाहिए ?

श्री एच० आर० गोखले : इस प्रश्न का उत्तर मैंने आरम्भ में ही दे दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि मंत्रालय का कार्य ऐसे अधिकारियों की सुरक्षा करना नहीं है, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि मंत्रालय का कार्य दोषी अधिकारियों की सुरक्षा करना नहीं है··· (**व्यवधान**) यदि किसी विशिष्ट

मामले का उल्लेख किया जाय तो मैं उस पर ध्यान दूंगा और आपको बताऊंगा कि मंत्रालय ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह तो आपको पता ही है कि पाइपलाइन मामले की जांच चल रही है और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की यह सिफारिश है कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए। यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री एच० आर० गोखले : मुझे यह बात ज्ञात नहीं थी कि माननीय सदस्य के मन में पाइप लाइन जांच की बात है। जहां तक पाइप लाइन की जांच की बात है, मामला निर्णयाधीन है और जांच चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट को जो इस जांच का मुख्य आधार है, जांच करने वाले न्यायाधीश इस जांच में महत्वपूर्ण स्थान देंगे। हमारी ऐसी कोई धारणा नहीं है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की किसी भी सिफारिश की उपेक्षा की जाये और उसे कार्यरूप न दिया जाये। परन्तु हम इस आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

डा० हेनरी आस्टिन : क्या मंत्रालय ने बम्बई के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर तट दूर खुदाई की दिशा में कोई कदम उठाया है ? मंत्री महोदय को पता है कि बहुत से अन्य स्थानों का पता लगा है और इसकी सम्भावनाओं के बारे में मैंने स्वयं भी उन्हें लिखा है तथा कोचीन क्षेत्र में तट दूर खुदाई की सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन उन्हें भेजा है। इसके साथ ही इससे कोचीन उर्वरक परियोजना के और विस्तार किये जाने की पर्याप्त सम्भावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तट दूर खुदाई के सम्बन्ध में बम्बई के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिये कोई कदम उठाया गया है ?

श्री एच० आर० गोखले : खोज के सभी मामलों के सम्बन्ध में, चाहे तट दूर खुदाई हो या तट पर, हमें खुदाई कार्य तथा खुदाई से पूर्व भूकम्पन सर्वेक्षण जैसे प्राथमिक सर्वेक्षणों में अन्तर करना चाहिए। जहां तक तट दूर क्षेत्र का सम्बन्ध है, बम्बई में ऊंचे स्तर पर बहुत से प्राथमिक सर्वेक्षण किये गये और इन सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप वहां से खुदाई के पश्चात् तेल प्राप्त होने की आशा है, और जैसा कि मैंने बताया है कार्य शीघ्र आरम्भ होने की आशा है। जहां तक अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, सर्वेक्षण-कार्य इस चरण तक नहीं पहुंच पाया कि यह कहा जा सके कि छिद्रण कार्य अब आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। परन्तु ये सर्वेक्षण निश्चय ही जारी हैं तथा इनमें निरन्तर प्रगति हो रही है।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है जिनके विरुद्ध पाइपलाइन जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश टकरू ने कड़ी टिप्पणियां की हैं ? मैं केवल निम्नलिखित एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा :

"आयोग का धैर्य सीमा पार कर गया है क्योंकि भारतीय तेल निगम ने संबंधित फाइलें उपलब्ध कराने में 18 मास लगा दिये जबकि भारतीय तेल निगम को उक्त फाइलें आयोग के गठन के तुरन्त बाद या फिर चार-पांच मास के अन्दर ही स्वतः ही आयोग को पेश कर देनी चाहिये थी, और इन फाइलों के किश्तों में पेश किये जाने से जांच की प्रगति में बाधा पड़ी है।"

हमने सभा में 4 तथा 5 मई को इस बारे में ध्यान दिलाया था। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय यह कैसे हुआ कि सरकार ने उनमें से एक अधिकारी की पदोन्नति भी कर

दी ? ऐसा कैसे हो सकता है तथा इसके लिये क्या स्पष्टीकरण है ? मैं यहां पाइपलाइन परियोजना के परियोजना अधिकारी का जिक्र कर रहा हूं । क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय इन अपराधियों के साथ सांठ-गांठ करना कब बन्द करेगा तथा सभा को यह आश्वासन देगा कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री एच० आर० गोखले: टिप्पणियों संबंधी प्रश्न यहां सभा में कई बार उठाया जा चुका है। मैंने स्वयं सभा में कहा था कि भारतीय तेल निगम तथा मंत्रालय दोनों को ही फाइलें पेश करनी चाहिये थीं । मुझे सही संख्या तो याद नहीं है परन्तु इनकी संख्या शायद 4000 या कुछ थीं जिन्हें भारतीय तेल निगम तथा मंत्रालय को पेश करना था । मंत्रालय से लगभग 350 फाइलें मांगी गई थीं जोकि दे दी गई थीं । यदि आयोग और अधिक फाइलें लेना आवश्यक समझता तो हमें भी उन्हें पेश करने में कोई सकुचाहट नहीं थी । भारतीय तेल निगम अथवा मंत्रालय को उक्त फाइलें देने में कोई संकोच नहीं होगा । अब जांच कर्त्ताओं को सहायता देने के लिये कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है ताकि वे फाइलों को देख सकें, जांच करने योग्य क्षेत्रों को पहचान सकें और आयोग के विचाराधीन विषय संबंधी फाइलों को समन्वित कर सकें । उक्त फाइलें आयोग को दे दी गई हैं। उन्होंने जांच आरंभ कर दी है, परन्तु यदि आयोग कोई फाइल चाहता है मुझे उसे देने में कोई संकोच नहीं है ।

श्री जी० विश्वनाथन : उस अधिकारी की पदोन्नति कर दी गई है, आप उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री राम सहाय पाण्डे : पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है तथा इस लिये मंत्री महोदय भी । मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय मंत्रालय के कार्यकरण को पुनः सक्रिय कर रहे हैं । काफी समय पहले यह निर्णय किया गया था कि उर्वरक संयंत्र जो कि एक कोयला-आधारित परियोजना है, को कोरबा में स्थापित किया जायेगा क्योंकि वहां घटिया किस्म का कोयला उपलब्ध है । वहां एक जर्मन-दल आया था तथा उन्होंने वहां का सर्वेक्षण करके अपना प्रतिवेदन पेश किया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त योजना अभी भी हाथ में है अथवा त्याग दी गई है ?

श्री एच० आर० गोखले: हमने इसे छोड़ा नहीं है ।

सेवा निवृत रेलवे कर्मचारियों को पेन्शन संबंधी लाभ

*207. **श्री एम० कतामुत्तु:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे भूतपूर्व रेल कर्मचारियों ने, जो चालू वर्ष (1972) के दौरान सेवा निवृत हुए हैं, यह मांग की है कि पहले सेवा निवृत हुए कर्मचारियों के समान उन्हें भी पेन्शन संबंधी लाभ का विकल्प अपनाने की अनुमति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). जी हां । इस आशय का एक अभ्यावेदन मिला था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रमिक संगठनों के अनुरोधों पर 15-7-72 को सेवारत रेल कर्मचारियों को पेंशन योजना के अन्तर्गत आने के लिए फिर से विकल्प दिया गया है, उन रेल कर्मचारियों को भी पेंशन योजना के लिए विकल्प का अवसर दिया जाय जो 15-7-72 से पूर्व सेवा

निवृत्त हो गये हैं। यह विनिश्चय किया गया है कि 15-7-72 से पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों को फिर से विकल्प की अनुमति देना सम्भव नहीं होगा।

श्री एम० कतामुत्तु: योजना को उदार बनाने के पश्चात् कर्मचारियों ने पेन्शन योजना को अपनाने का अपना विकल्प दिया है। मैं उन कर्मचारियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने पेन्शन के लिये अपना विकल्प दिया है, परन्तु अपने आवेदन पर निर्णय होने से पूर्व ही 15-7-72 से पहले सेवानिवृत्त हो गये। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कम से कम उन कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूति से विचार करेगी जो 15-7-72 से पहले सेवानिवृत्त हो गये थे?

श्री टी० ए० पाई: पहली बार यह योजना वर्ष 1957 में लागू की गई थी तथा इसके बाद हर बार जब भी इसमें संशोधन किया गया, कर्मचारियों को छः बार अपने विकल्प में परिवर्तन करने के अवसर दिये गये। वर्ष 1971 में हमने अखिल भारतीय रेलवे फेड्रेशन के साथ बैठक की थी और यह स्वीकार किया गया था कि पेन्शन के लिये फिर से सामान्य विकल्प की संभावना पर विचार किया जा सकता है तथा फिर इस मामले पर वित्त मंत्रालय की सलाह से विचार किया गया तथा फिर उस की सहमति से 15-7-72 को उन लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिये आदेश जारी किया गया जो कि इस तारीख तक सेवा में रहे, और, दूसरे, इसके बाद सेवा निवृत्त होने वालों को पेन्शन योजना स्वीकार करने को कहा गया। तत्संबंधी विकल्प 21-10-72 को पेश किया गया। इस आशय के आदेश भी जारी किये गये कि 15-7-72 तक रेलवे की सेवा में रहने वाले तथा निर्धारित समय के अन्दर अर्थात 21-10-72 तक अपना विकल्प पेश न कर सकने वाले कर्मचारियों की विधवाओं तथा परिवार के सदस्यों को भी कुछ शर्तें पूरी करने पर पारिवारिक पेन्शन योजना, 1964 सहित पेन्शन योजना के लिये विकल्प अपनाने की अनुमति दी जाये। इसके अतिरिक्त, जुलाई 1972 में सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अधीन राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति के संदर्भ में इस प्रकार के विकल्प की छूट रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं तथा परिवारों के सदस्यों को देने के लिये आदेश भी जारी किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय विस्तार में पढ़े जा रहे हैं। वह केवल सारांश बता सकते हैं।

श्री एम० कतामुत्तु: मेरा प्रश्न है कि कर्मचारियों का भाग्य......

अध्यक्ष महोदय: इतना कुछ बता देने पर भी वह और अधिक जानकारी चाहते हैं।

श्री एम० कतामुत्तु: मैं उन कर्मचारियों के बारे में किये गये निर्णय के संबंध में जानना चाहता हूं जिन्होंने पेन्शन के लिये विकल्प दिया परन्तु उस पर निर्णय होने से पूर्व 15 जुलाई, 1972 से पहले सेवा निवृत्त हो गये।

श्री टी० ए० पाई: जो लोग पहले ही इस का विकल्प दे चुके हैं जबकि उक्त विकल्प देने की छूट थी, तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

श्री वसन्त साठे: इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि रेलवे कर्मचारियों के संगठन ने इस विकल्प की मांग की थी तथा यह मांग कुछ समय तक जारी रही क्या सरकार इस निर्णय को वर्ष 1972 की बजाये इस तारीख से लागू करने पर विचार करेगी जिस तारीख से कर्मचारियों ने उक्त मांग की थी अर्थात संगठन ने सरकार के सामने उक्त प्रश्न उठाया था?

श्री टी० ए० पाई : प्रश्न यह था कि जब भी उक्त विकल्प दिया गया था, तथा यदि यह अधिक आकर्षक था, तो अन्य नियमों के अधीन आने वाले लोग भी उक्त विकल्प पेश करना चाहते थे तथा उन्हें भी यह विकल्प देने के लिये लगभग छः अवसर दिये गये। परन्तु यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात् यह पता लगता है कि कुछ और रियायतें भी दी गई हैं, तो फिर मेरे विचार से यह उचित नहीं होगा कि वे उन लाभों के लिये भी अपना विकल्प दे सकें जिसके कारण प्रशासन संबंधी अनेक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ यह कठिनाई थी कि वे तत्संबंधी बातों की पेचीदगी को नहीं समझते थे। उनका विचार था कि पेन्शन की बजाये उप-दान उनके लिये अधिक लाभप्रद होगा फिर, बाद में, जब यह बात अन्य कर्मचारियों को स्पष्ट की गई तो उन्हें पेन्शन वाली बात अधिक अच्छी लगी। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन कर्मचारियों को कोई अवसर दिया जायेगा जो इस योजना की वास्तविकता को समझे बिना ही सेवानिवृत्त हो गये थे, ताकि उन्हें भी अपनी वृद्धावस्था में उक्त योजना का लाभ मिल सके ?

श्री टी० ए० पाई : मेरा विचार है कि उन लोगों के पास बड़े ही जिम्मेवार संघ नेता तथा संघ हैं जो कि उन्हें इस संबंध पूरी तरह परिमित करा सकते थे। मेरे विचार से यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्हें उक्त योजना समझ में नहीं आई, परन्तु जब उन्हें बाद में यह अधिक लाभ-प्रद नजर आई तो स्वभावतः ही उन्होंने इसके लिये अपना विकल्प देना चाहा है।

आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की गोहाटी में हुई वार्षिक बैठक

*209. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने 27-28 मई 1972 को गोहाटी में हुई अपनी 19वीं सामान्य वार्षिक बैठक में यह मांग की थी कि प्रवरता तथा स्टेशनों के वर्गीकरण के आधार पर तबादले सम्बन्धी एक निश्चित नीति निर्धारित की जाए तथा उन्होंने इस बारे में उनके मंत्रालय को संकल्प भेजे थे ; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एसोसिएशन ने यह अभ्यावेदन किया है कि स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के स्थानान्तरण की नीति के सम्बन्ध में गुवाहाटी में उनकी बैठक में पास किये गये संकल्प क्रियान्वित किये जायें।

(ख) स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता और स्टेशनों के वर्गीकरण के आधार पर स्थानान्तरित करने की परिपाटी मितव्ययिता के विचार से कुछ वर्षों के लिए बन्द कर दी गयी थी। लेकिन, हाल ही में ऐसे स्थानान्तरणों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

Shri Ramavatar Shastri : There are 30,000 Station Masters and Assistant Station Masters in the country and they have always heen placing their difficulties before the Government but it is regrettable that the Government has not paid any attention towards them. They have been demonstrating. They are going to take direct action from 15-16th December. Taking all these things into consideration, I want to know the basis of classification of Stations and also want to know whether the Government had consulted the All India Station Master's Association before doing so, and if not the reasons terefor ?

श्री टी० ए० पाई : जहां तक हमारा सम्बन्ध है स्टेशन मास्टरों की एसोसियेशन को मान्यता प्राप्त नहीं है । रेलवे की बड़ी यूनियनें भी इसमें शामिल हैं अत: वर्गीकरण के मामले में हम उनसे विचारविमर्श करते । लेकिन स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया गया है और उनकी जांच की जायेगी, और यदि उनकी समस्याएं उचित होंगी तो उनका समाधान किया जायेगा ।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है कि उन्हें बड़े स्टेशनों पर नियुक्त करने अथवा उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत करने के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और क्या उक्त प्रतिबन्ध अभी भी जारी है जिससे बाधा उत्पन्न होती है ? मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि उक्त प्रतिबन्ध उठा लिया गया है ।

Shri Ramavatar Shastri : I am happy to note that the ban has been lifted but I want to know whether some Station Masters or Assistant Station Masters have been transferred after lifting that ban. There is no use of making any policy unless it is implemented.

श्री टी० ए० पाई : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं । लेकिन उक्त प्रतिबन्ध उठाने से यह स्पष्ट होता है कि इस बात को समझाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि अब पुरानी पद्धति का अनुकरण किया जा रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि देश में 27,000 से अधिक स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर हैं और वह एसोसियेशन उस समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है ? क्या हमें यह समझना चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसियेशन को रेलवे अधिकारियों से विचारविमर्श की अनुमति नहीं दी जायेगी और केवल उन मान्यता प्राप्त यूनियनों को ही, जो उक्त वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, इस मामले में अन्तिम रूप से विचार विमर्श का अधिकार होगा ?

श्री टी० ए० पाई : यह स्थिति बहुत जटिल है । अब ऐसे 80 वर्ग हैं जो या तो अपने स्वतंत्र अस्तित्व का दावा करते हैं अथवा जो कुछ राजनीतिक दलों से सम्बद्ध हैं जबकि उनका नेतृत्व संसद् सदस्य कर रहे हैं । स्वभावतया उनके विचारों का आदर किया जायेगा । यद्यपि उन्हें संसद् सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है फिर भी मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि रेलवे द्वारा किसी भी वर्ग की उचित कठिनाइयों की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

वास्तव में मैंने कुछ बड़ी यूनियनों को भी इन अभ्यावेदनों की जानकारी दी है जिससे उक्त कठिनाइयां दूर की जा सकें ।

श्री रामावतार शास्त्री : वे बड़ी यूनियनें नहीं हैं और उन यूनियनों के कोई अनुगामी नही हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप इस उत्तर से सन्तुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है । अब आप क्यों विघ्न डाल रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने इस वर्ग से बातचीत करने के बारे में पूछा । मैं इस समय इसे मान्यता देने की बात नहीं कर रहा हूं ।

Shri Ramavatar Shastri : They are going to demonstrate tomorrow and the Minister...

Mr. Speaker : The hon. Member may please sit quietly. He has asked his question and the hon. Minister has replied it.

श्री टी० ए० पाई : बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। यदि वह अपना अभ्यावेदन डाक द्वारा भेजना चाहते हैं अथवा यदि वे इसे मुझे निजी तौर पर देना चाहते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन शर्त यह है कि इसका मान्यता देने से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए।

Shri Krishna Chandra Pandey : Station Masters' Association is going to demonstrate on 29th. They have got some problems. I have also written a letter to the hon. Minister in this connection. I want to know what steps have been taken by the hon. Minister in this regard. I want to know whether their demands will be considered sympathetically or they will be forced to strike and demonstrate ?

श्री टी० ए० पाई : क्या मैं किसी को हड़ताल अथवा प्रदर्शन करने से रोक सकता हूं ? मेरी कठिनाई यह है कि इन यूनियनों को संसद् सदस्यों का नेतृत्व प्राप्त है अतः मुझे रेलवे प्रशासन, विशेषकर श्रमिक सम्बन्धों के बारे में बड़ी यूनियनों की विद्यमानता के कारण जिनके बारे में अब पूछ-ताछ की जा रही है, भारी कठिनाई हो रही है। यदि यही हड़ताल करने अथवा प्रदर्शन की प्रवृत्ति जारी रहती है तो मैं मजबूर हूं। मैं यही कह सकता हूं कि यदि रेलवे कर्मचारियों के किसी वर्ग को कोई वास्तविक कठिनाइयां हैं तो मैं उन पर सहानुभूति पूर्ण विचार करूंगा।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के कार्य में गतिरोध

*211. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 2 नवम्बर, 1972 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में 'आयल एक्सप्लोरेशन एट सटेण्ड स्टिल इन वैस्ट बंगाल' (पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के कार्य में गतिरोध) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्य में तेल की खोज के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ग) पश्चिम बंगाल के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक एकत्र तथा मूल्यांकित किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षण ब्यौरों से इस क्षेत्र में किन्हीं नये अनुकूल ट्रैपस, जो व्यधन द्वारा परीक्षण किये जाने के योग्य हों, की विद्यमानता का पता नहीं चला है।

इस प्रकार के अनुकूल ट्रैपस का पता लगाने की दृष्टि से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस क्षेत्र में जटिल डिजिटल भूकम्पीय उपकरणों के साथ भूकम्पीय क्षेत्रीय पार्टियों को भेजता रहा है। ये विस्तृत सर्वेक्षण आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल के दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्व भागों के कुछ क्षेत्रों में जारी रखे जायेंगे और इन भागों के शेष क्षेत्र को प्रादेशिक प्रारंभिक सर्वेक्षण से पूरा करने की

योजना बनाई गई है। यदि सर्वेक्षणों से अनुकूल ट्रैपस का पता लगता है तो इनका गहरे अन्वेषी कुओं के व्यधन द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के साथ सम्बद्ध रूसी सलाहकारों और तीन रूसी विशेषज्ञों ने जिनको सरकार ने कुछ समय पूर्व हमारे देश में तेल संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये आमंत्रित किया था, स्पष्ट रूप से कहा है—उनमें से एक ने कहा कि कलकत्ता में काफी अधिक तेल है—दक्षिण बर्दवान, बारसात, केनिंग, सुन्दरबंस तथा पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेल है और तेल प्राप्त होने की काफी सम्भावना है ? हाल ही में सरकार द्वारा गठित मालवीय समिति ने रूसी विशेषज्ञों के विचारों का समर्थन ही नहीं किया बल्कि यह कहा है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में तेल मिलने की काफी सम्भावना है, यदि हां, तो सरकार ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिये और तेल की खोज के लिये परियोजनाएं स्थापित करने हेतु अपने 10 वर्षीय कार्यक्रम में क्या उपाय किये हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : जैसाकि मैंने पहले कहा है जब तक भूकम्पीय सर्वेक्षण करके ट्रैप या अनुकूल ढांचे का पता न लग जाये तब तक खुदाई का काम नहीं किया जा सकता और खुदाई के बाद ही तेल मिलने की आशा हो सकती है। माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि दो रूसी विशेषज्ञ यहां आये थे—शायद वे वर्ष 1956 में आये थे—और उन्होंने भी इन क्षेत्रों के सर्वेक्षण में हमारा साथ दिया था और उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए काफी आशाजनक स्थिति बताई थी। उनके विचारों को स्वीकार कर लिया गया था और कई क्षेत्रों में सर्वेक्षण भी किया गया था। मेरे विचार में 10 क्षेत्रों में खुदाई की गई थी परन्तु हमें सफलता नहीं मिली। केवल बोदरा नामक एक क्षेत्र में स्थिति आशाजनक थी। शायद माननीय सदस्य के मन में भी इसी क्षेत्र का ध्यान है। यहां भी 4,197.5 मीटर तक एक कुएं की खुदाई की गई परन्तु किसी प्रकार के वाणिज्यिक महत्व के तेल या प्राकृतिक गैस का कोई पता नहीं चला है। इसलिये यह बात नहीं है कि हमने प्रयत्न करना छोड़ दिया है। अब भी ऐसे क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण और अन्वेषण की सम्भावनाओं का पता लगाया जाता है जहां हमें अनुकूल ढांचों का पता चलता है ताकि हम खुदाई आरम्भ कर सकें। मैं बंगाल में खुदाई के बारे में समस्त मामले के सम्बन्ध में संक्षेप में यह कह सकता हूं कि बकुलताला क्षेत्र में पहले एनेलाग यूनिट से सर्वेक्षण किया जा चुका है और अब निचले स्तर से भूकम्पीय सर्वेक्षण सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने के लिये भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है। हल्दिया के निकट चैतन्यपुर क्षेत्र में डिजिटल भूकम्पीय पार्श्विका एकक से प्राप्त आंकड़ों पर पुनः विचार किया जाना है। इन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी ढंग से काम हो रहा है। अतः हमने अपने प्रयत्न छोड़े नहीं हैं और हमें आशा है कि तेल प्राप्ति के लिये किये जा रहे इन सर्वेक्षणों से हम बंगाल में तेल का पता लगा सकेंगे जैसाकि रूसी विशेषज्ञों ने अपने पहले प्रतिवेदनों में आशा व्यक्त की थी।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने चैतन्यपुर नामक केवल एक क्षेत्र का उल्लेख किया है जबकि रूसी विशेषज्ञों ने केनिंग क्षेत्र, साऊथ बज-बज, बारसात, सुन्दरबंस आदि कई क्षेत्रों का उल्लेख किया था। उन्होंने भूकम्पीय अध्ययन और चुम्बकीय अध्ययन का भी स्पष्ट उल्लेख किया था। क्या यह सच है कि बोदरा में खुदाई के समय हाइड्रो कार्बन गैस मिली थी जो तेल की सूचक होती है। क्या वहां प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंट) तेल भी मिला था ? क्या अधिक गहराई तक खुदाई करनी पड़ती थी ? क्या इसीलिये इस काम को छोड़ दिया गया था ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बोदरा क्षेत्र के लिये अब भी लगभग 1.50 करोड़ रुपये की राशि अब भी बाकी है ? क्या हाइड्रो कार्बन और

प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंट) तेल से पता चलता है कि तेल का पता लगाने के लिये बोदरा क्षेत्र में और खुदाई की जानी चाहिये ।

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक बोदरा क्षेत्र का सम्बन्ध है 4197.5 मीटर तक खुदाई की गई थी । इसके बाद चट्टान निकल आने के कारण खुदाई का काम बन्द करना पड़ा । तेल या प्राकृतिक गैस मिलने का कोई संकेत न प्राप्त होने के कारण प्रश्न यह था कि और आगे कोई खुदाई की जाये या नहीं । तकनीकी सलाह के अनुसार खुदाई जारी रखना उचित नहीं समझा गया ।

श्री समर गुह : क्या प्रतिदीप्ति (फ्लोरोसेंट) तेल और/या हाइड्रो कार्बन गैस पाई गई थी ? यह बात सभा में बताई गई थी ।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने बताया है कि वाणिज्यिक महत्व का कुछ नहीं मिला ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को पता है कि गत जुलाई या अगस्त में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अन्वेषी दल की एक बैठक हुई थी जिसमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी और क्या यह सच है कि इस चर्चा में अनेक भूवैज्ञानिकों और भूभौतिकीविदों ने बताया था कि बोदरा क्षेत्र, चैतन्यपुर क्षेत्र और गालसी क्षेत्र के सम्बन्ध में काफी आंकड़े मिले हैं जिनसे इन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक कुआं खोदने की आवश्यकता अनुभव होती है ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या चेयरमैन श्री बी० एस० नेगी ने इसका विरोध नहीं किया है और क्या गम्भीर मतभेद पैदा हो गये थे और अन्त में किसने निर्णय किया था ? अन्तिम निर्णय लेने के लिये कौन सक्षम है ?

श्री एच० आर० गोखले : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ही अन्तिम निर्णय कर सकता है । जिस बैठक का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उसमें व्यक्त किये गये विचारों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । मैं इतना बता सकता हूं कि अनुकूल ढांचों का पता लगने के बाद तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्णय करता है कि और खुदाई की जानी चाहिये या नहीं । जैसाकि मैंने पहले बताया है इतनी असफलताओं के बावजूद तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निरुत्साहित नहीं हुआ है । सर्वेक्षण अब भी जारी है और हमें आशा है कि हम अन्य क्षेत्रों में भी खुदाई का काम आरम्भ कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेलवे से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रयत्न

*202. **श्री भोला मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1972 के "हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड" (अन्तिम डाक संस्करण) में "आल आउट एफर्ट टू रिमूव करप्शन फ्राम दि रेलवे" (रेलवे से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-3832/72]**

केन्द्रीय विद्युत् प्रजनन और विद्युत् एककों के नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना

*203. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्युत् प्रजनन और विद्युत् एककों के नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किया जाएगा ; और

(ग) इस संस्थान के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). विद्युत् की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठापित विद्युत् जनन क्षमता के, चौथी योजना के अन्त तक लगभग 30 मिलियन किलोवाट से पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग 40 मिलियन किलोवाट तक बढ़ने की सम्भावना है । ऐसे बृहत् विद्युत् विकास कार्यक्रम और वृहत् विद्युत् केन्द्रों के द्वारा मित्तव्ययी विद्युत् सप्लाई करने की आवश्यकता तथा विद्युत् प्रणालियों के समेकित प्रचालन के सम्बन्ध में बिजली सप्लाई उद्योग की पुनर्संरचना के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है । एक समन्वित केन्द्रीय संस्था के साथ क्षेत्रीय विद्युत् जनन संस्थाओं को इस पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में माना जाएगा ।

नाइलोन का धागा बनाने वाले कारखानों द्वारा अधिक कच्चा माल आयात करने के लाइसेंसों की मांग

*204. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ नाइलोन धागा बनाने वाले कारखाने निर्धारित क्षमता और शिफ्टों से अधिक काम कर रहे हैं तथा अधिक कच्चे माल के आयात लाइसेन्सों की मांग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों के नाम क्या हैं और उन्हें लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक कच्चे माल के आयात लाइसेन्स देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको दिये गये कच्चे माल के लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करने पर इन एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है या की जा रही है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). नाइलोन फिलामैण्ट तागा निर्माण करने वाले चार कारखाने, अपनी लाइसैन्स-कृत क्षमता के 125 प्रतिशत अनुज्ञेय स्तर से अधिक स्तर पर उत्पादन कर रहे हैं। इन कारखानों के नाम इस प्रकार हैं : मोदी पान, सैन्च्युरी इन्का, गारवरे नाइलोन्स और जे० के० सिन्थेटिक्स इन में से तीन कारखानों को, लाइसैंन्स कृत क्षमता के 125 प्रतिशत तक पुन: पूर्ति के आधार पर अग्रता उद्योगों के लिए आयातित कच्चे माल को देने की नीति के अन्तर्गत दिया गया है। चौथे कारखाने (अर्थात् जे० के० सिन्थेटिक्स) को खपत, जो लाइसैंन्स कृत क्षमता के 125 प्रतिशत स्तर से अधिक है, के वास्तविक स्तर पर पुन: पूर्ति के आधार पर कच्चा माल दिया गया है। देश में नाइलोन फिलामैण्ट यार्न, जिसकी कम सप्लाई हुई है और जिसके कारण बुनकर उद्योग (विशेषकर लघु उद्योग) को पर्याप्त मात्रा तक आयातित नाइलोन यार्न पर निर्भर होना पड़ता है, के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए योजना के अन्तर्गत, मोदीपान और गारवरे नाइलोन यूनिटों को लाइसैंन्स कृत क्षमता के 125 प्रतिशत स्तर से अधिक प्राप्य क्षमताओं तक उत्पादन करने के लिए हाल ही में अनुमति दी गई है। जे० के० सिन्थेटिक्स को भी अपनी क्षमता के पर्याप्त विस्तार के लिए एक आशय पत्र दिया गया है।

(ग) इस प्रकार का केवल एक केस सरकार के नोटिस में आया है। यह बताया गया है कि जे० के० सिन्थेटिक्स ने नाइलोन स्टैपल फाइबर के उत्पादन के लिए आयात किये गए कच्चे माल का नाइलोन फिलामैण्ट तागे के विनिर्माण के लिए व्यपवर्तन किया हैं। आयात व्यापार नियन्त्रण नियम एवं पद्धति का यह कथित अतिक्रमण परीक्षाधीन है।

गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति

*205. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार करने के लिये न्यायाधीश श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देशपद क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) निर्देशपद इस प्रकार हैं :—

(i) सामान्यत: समाज के निर्बल वर्गों और सीमित साधनों वाले व्यक्तियों तथा विशेषतौर से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार करना ;

(क) कानूनी सलाह जिससे वे अपने सांविधानिक और कानूनी अधिकारों तथा उचित दायित्वों से परिचित हों तथा तंग करने वाली और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके ; और

(ख) सिविल, दण्ड और राजस्व न्यायालयों की कार्यवाहियों में कानूनी सहायता जिससे समाज के सभी वर्गों को न्याय अधिक सरलता से उपलब्ध कराया जा सके।

(ii) उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए कानूनी सलाह और सहायता के लिए स्कीम बनाना ;

(iii) स्कीम को कार्यान्वित करने के समय और रीति के बारे में सिफारिश करना।

केन्द्र द्वारा दो बिजली उत्पादन केन्द्र स्थापित करना

*208. **श्री के० लकप्पा :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है कि पश्चिमी जोन में बिजली की कमी को दूर करने के लिए दो केन्द्रीय बिजली उत्पादन केन्द्र स्थापित किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी हां। पश्चिमी क्षेत्र में राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने पश्चिमी क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा 2-2 मिलियन किलोवाट क्षमता के दो वृहत् ताप विद्युत् केन्द्रों के प्रतिष्ठापन का सुझाव दिया है। एक सतपुड़ा में और अन्य कोयला-खानों का लाभ उठाते हुए, चान्दा कोयला खान क्षेत्र में किसी स्थल पर।

(ख) सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

रंगिया (आसाम) में प्रभागीय मुख्यालय (डिवीजनल हैडक्वार्टर्स)

*212. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगिया, आसाम में प्रस्तावित प्रभागीय मुख्यालय (डिवीजनल हैडक्वार्टर्स) की स्थापना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार का विचार इस परियोजना पर कार्य कब प्रारम्भ करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). असम सरकार से अनुरोध किया गया है कि पब-सितारा में नया मंडलीय मुख्यालय बनाने के लिए आवश्यक भूमि विकास करने के बाद रेलों को उपलब्ध कराये। असम सरकार भूमि की लागत देने को तैयार है, लेकिन निर्माण के उद्देश्य से भूमि को उपयुक्त बनाने के लिए उसके विकास और तटबन्ध का खर्च उठाने के लिए सहमत नहीं है। इस सम्बन्ध में असम सरकार को फिर से लिखा गया है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे का विकास

*213. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में केरल जैसे अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्रों में रेलवे का विकास करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष उपाय करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). रेलवे की विकास योजनाएं राज्यवार अलग-अलग नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट परिचालनिक और यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जाती हैं ।

पांचवीं योजना-अवधि के लिए यातायात की आवश्यकताओं तथा विकास-कार्यक्रम का निर्धारण तीन अन्तर्मन्त्रालयीय कार्यकारी दलों द्वारा किया जा रहा है और उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा है ।

श्रीनगर एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस का पठानकोट रेलवे स्टेशन पर गये बिना ही मार्ग बदल कर जम्मू पहुंचना

*214. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 से श्रीनगर एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्ग बदल कर उन्हें बिना पठानकोट रेलवे स्टेशन पर गए जम्मू चलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये, जो पठानकोट स्टेशन पर उतरना चाहते हैं ; सरकार का कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली से आने-जाने वाली एक जोड़ी गाड़ियां, अर्थात् 33/34 काश्मीर मेल पठानकोट के रास्ते चलती रहेंगी । पठानकोट को छोड़कर जाने वाली गाड़ियों को, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के यात्रियों की सुविधा के लिए, पठानकोट से 3.65 कि० मी० की दूरी पर स्थित चक्की बैंक स्टेशन पर ठहराया जायेगा । हिमाचल प्रदेश सरकार से चक्की बैंक से बस-सेवा चालू करने का भी अनुरोध किया गया है ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए स्थान का चुनाव करने वाली समिति का प्रतिवेदन

*215. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक परियोजना की स्थापना के लिए स्थान का चुनाव करने हेतु नियुक्त की गई समिति ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). समिति ने केवल एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। स्थान का चुनाव करने के लिए नियुक्त की गई समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही अन्तिम रूप से चुने गये स्थान के लिए की गई सिफारिशों के बारे में जाना जा सकेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) स्थान का चुनाव करने के लिए नियुक्त की गई समिति की अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस मामले पर आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के बारे में रूस के तकनीकी सहायता दल का प्रतिवेदन

*216. **श्री रण बहादुर सिंह :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के तकनीकी सहायता दल ने मथुरा तेल शोधक कारखाने के बारे में भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ;

(ख) क्या रूस भारत को हाइड्रोक्रैकिंग की जानकारी इस कारण नहीं देना चाहता है कि उसे इस टेक्नोलोजी के बारे में अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है ;

(ग) क्या रूस हाइडोक्रैकिंग को छोड़कर, जिसको रूस से आयात करना पड़ेगा, समूचे मथुरा तेल शोधक कारखाने को स्थापित करने में भारत की सहायता करने को इच्छुक है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). जून, 1972 के अन्त तक, Neftechimpromexport and Vnipineft से विशेषज्ञों के कए सोवियत दल ने भारत का दौरा किया था तथा उन्होंने उत्तर पश्चिम शोधनशाला प्रायोजना के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए एक प्रारंभिक तकनीकी पेशकश प्रस्तुत की है। इस पेशकश में उन्होंने शोधनशाला के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्रैकिंग यूनिटों को छोड़कर सभी यूनिटों के लिए सहायता देने में इच्छा व्यक्त की है। हाल ही में मास्को में भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा रूसी प्राधिका-रियों के बीच हुई बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि की गई थी ।

(घ) सरकार, उत्तर पश्चिम शोधनशाला प्रायोजना के कर्यान्वियन की पद्धतियों की जांच कर रही है। अभी इस संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हरियाणा के गांवों में बिजली पहुंचाना

*217. **श्री राम कंवर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने की हरियाणा द्वारा प्रस्तावित योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अस्वीकृत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तापीय और परमाणु शक्ति केंद्रों की स्थापना

*218. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तापीय और परमाणु शक्ति की ओर अधिक ध्यान देने का है क्योंकि देश की पनबिजली क्षमता सीमित है और उसको उपयोग में लाने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में अधिक तापीय तथा परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) पांचवीं योजना में तापीय और परमाणु केन्द्रों से कितनी बिजली पैदा की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) देश में जल-विद्युत् संसाधन विद्युत् उत्पादन के अत्यधिक मितव्ययी स्रोत हैं और मितव्ययी विद्युत्-जनन सुनिश्चित करने के लिए जल-विद्युत् संसाधनों को अधिकतम संभव विकसित करना लाभकारी होगा। जल विद्युत् विकास के साथ यह आवश्यक होगा कि ताप और परमांणु विद्युत् केन्द्र स्थापित किए जाएं ताकि आधारभूत विद्युत् ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विद्युत् प्रणाली के दक्ष तथा मितव्ययी प्रचालन के लिए जलविद्युत् ताप और परमाणु विद्युत् केन्द्रों के अधिकतम सहयोग की व्यवस्था करनी होगी और इसे यथासंभव किया जा रहा है। एक जलविद्युत् केन्द्र प्रचालन के लिए 5 से 7 वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय लग जाता है जबकि एक तापीय केन्द्र को पूर्ण होने में लगभग 5 वर्ष और परमाणु केन्द्र को 7 से 8 वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त जलविद्युत् केन्द्र किन्हीं खास जगहों पर ही बनाए जा सकते हैं। कभी-कभी तात्कालिक मांगों को पूरा करने के लिए ताप केन्द्रों का प्रतिष्ठापन करना जरूरी हो जाता है।

(ख) मंत्रालय द्वारा तैयार की गई पांचवीं योजना के लिए विद्युत् विकास के अस्थायी प्रस्तावों में वे सभी जलविद्युत् स्कीमें शामिल कर ली गई हैं जिनकी जांच की जा चुकी है और जिन्हें योजना के दौरान पूरा किया जा सकता है। शेष आवश्यकताओं को अधिकतर ताप केन्द्रों से पूरा करने का प्रस्ताव है। वर्तमान संयंत्रों के विस्तार के रूप में कुछ परमाणु केन्द्रों का भी सुझाव दिया गया है।

(ग) पांचवीं योजना में प्रस्तावित उत्पादन क्षमता और 21 मिलियन किलोवाट के प्रस्तावित

कुल योग में से, तापीय विद्युत् 11.8 मिलियन किलोवाट है और परमाणु विद्युत् 0.67 मिलियन किलोवाट है ।

राज्य सरकार और उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा उर्वरक योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

*219. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधियों ने उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी एक योजना को अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). यद्यपि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ कोई सीधा परामर्श नहीं हुआ है, फिर भी उनसे प्राप्त कई सुझाव सरकार के पास हैं। उर्वरक उत्पादन की क्षमता के आयोजन में इन सुझावों को विचार में रखा जायेगा और उनका सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी समूह द्वारा अध्ययन भी किया जा रहा है। इस कार्यकारी समूह में सरकार और उद्योग से सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञ शामिल हैं। कार्यकारी समूह ने कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर कई पैनल्स (नाम-सूचियां) बनाए हैं और इनका अभी अध्ययन किया जा रहा है। 1972 के अन्त तक कार्यकारी समूह की सिफारिशों के प्राप्त होने की आशा है।

रेल-पथ (परमानेंट वे) के लिए नियुक्त गैंगमैनों के वेतनमान का पुनरीक्षण

*220. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-पथ के लिए नियुक्त गैंगमैनों द्वारा किये जाने वाले कठिन कार्य को देखते हुए उनके वेतनमान को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) गैंगमैन सहित रेल कर्मचारियों की सभी कोटियों के वेतनमानों के परिशोधन का प्रश्न तीसरे वेतन आयोग के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Publication of Authorised Text of Indian Constitution in Hindi

2001. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to publish the authorised text of the Indian Constitution in Hindi ; and

(b) if so, the time by which it will be published ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b). It is the intention of the Government to publish an authorised translation of the Constitution in Hindi. As Parliamentary legislation will have to be enacted to provide for the publication of an authorised translation of the Constitution in Hindi, it is not possible to say when it will be possible to bring out the Publication of the Hindi version of the Constitution of India.

नर्मदा सागर बांध का निर्माण

2002. **श्री मार्तंड सिंह : क्या सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनासा के निकट नर्मदा सागर बांध के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तकनीकी सहायता के लिये भी अनुरोध किया है; और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिये अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई, मद्रास और बंगलौर के उच्च न्यायालयों द्वारा मुकदमों का निपटान

2003. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1972 से जून, 1972 तक बम्बई, मद्रास और बंगलौर के उच्च न्यायालयों द्वारा कितने-कितने मुदकमें निपटाये गये ; और

(ख) अनिर्णीत मुकदमों के शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क)

बम्बई	11,822
मद्रास	20,477
मैसूर	10,542

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या 245 से बढ़ाकर 324 कर दी गई है। राज्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक उच्च न्यायालय

में इस समय संस्थित किये जा रहे और निपटाये जा रहे तथा निपटाये जाने के लिये बकाया मुकदमों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की संख्या की फिर से जांच करें।

न्यायमूर्ति जे० सी० शाह की अध्यक्षता में, न्यायाधीशों की एक समिति ने उच्च न्यायालयों में बकाया मुकदमों की समस्या पर एक रिपोर्ट पेश की है। समिति ने बकाया मुकदमों की संख्या घटाने तथा न्याय में विलम्ब कम करने के लिये अनेक सिफारिशें की हैं। समिति की वे सिफारिशें, जो कि पूर्णतः प्रशासनिक प्रकार की हैं तथा जिनके लिये नियम, कानून या विधि में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों को क्रियान्वित करने के लिए भेज दी गयी हैं। जिन सिफारिशों में कानून या विधि के सशोधन की अपेक्षा की गई है, उनकी जांच की जा रही है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्य सरकारों के विचार जान लेने के पश्चात उनके बारे में निश्चय किया जायेगा।

विधि आयोग ने सिविल मुकदमेबाजी में विलम्ब समाप्त करने या कम करने और उस द्वारा खर्चे घटाने की दृष्टि से अपनी सत्ताईसवीं रिपोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के बारे में कुछ विशेष प्रकार के संशोधनों का सुझाव दिया है। सुझावों की जांच की जा रही है। पुनर्गठित विधि आयोग से भी सिविल प्रक्रिया संहिता में और संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये अनुरोध किया गया है।

विधि आयोग ने, दाण्डिक मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी विधि के संशोधन के लिये भी अनेक सिफारिशें की हैं। उनमें से बहुत सी सरकार द्वारा मान ली गई हैं और दण्ड प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिए एक विधेयक इस समय संसद की प्रवर समिति के समक्ष है।

ईंधन-तेल के स्थान पर कोयला काम में लाने वाले बिजली घर

2004. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईंधन-तेल पर आधारित बायलरों के स्थान पर कोयले पर आधारित बायलरों के प्रश्न की जांच करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार कौन-कौन से बिजली घर ईंधन तेल के स्थान पर कोयला काम में लाने लगे हैं ; और

(ख) शेष ऐसे बिजली घर कब तक कोयला काम में लाने लगेंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). समिति ने निम्नलिखित ताप विद्युत केन्द्रों को तेल-ईंधन से कोयले-ईंधन में उत्तरोत्तर परिवर्तन करने की सिफारिश की है—

(1) उत्तर बिहार में बरौनी

(2) महाराष्ट्र में ट्राम्बे

(3) गुजरात में धुवरण चरण-एक

(4) गुजरात में अहमदाबाद

अहमदाबाद विद्युत केन्द्र ने बायलरों में जलाने के लिये और बरौनी ने भी विद्यमान कोयला लाने ले जाने की सुविधाओं के अनुसार, जहां तक सम्भव हो सके, कोयले का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जहां तक धुवरण और ट्राम्बे विद्युत केन्द्रों का सम्बन्ध है, तेल-ईंधन के स्थान पर कोयला ईंधन प्रयोग शुरू नहीं किया गया है।

बायलरों के कोयला ईंधन में परिवर्तन के कार्य के लिये बायलरों को लम्बी अवधि के लिये बन्द करना होगा। बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में बिजली की सप्लाई स्थिति में अत्यधिक तंगी होने के ख्याल से राज्य प्राधिकारियों ने परिवर्तन को स्थगन करना आवश्यक समझा। बहरहाल, ट्राम्बे, अहमदाबाद और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले की मासिक खपत तेल-ईंधन में कमी के अनुरूप बढ़ गई है।

धार्मिक संस्थानों तथा सम्पत्तियों के प्रशासन तथा कार्यकरण के लिये समान कानून

2005. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धार्मिक संस्थानों के प्रशासन के लिये एक समान कानून न होने के कारण न्यासियों द्वारा बहुत कदाचार किये जाते हैं;

(ख) क्या अय्यर आयोग ने सुझाव दिया था कि धार्मिक संस्थानों, सम्पत्तियों आदि के प्रशासन और कार्यकरण के लिये समूचे देश के लिये एक समान कानून होना चाहिए; और

(ग) आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सरकार के पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है।

(ख) जी हां। अय्यर आयोग ने यह सिफारिश की थी कि यदि आवश्यक हो तो अन्य समुदायों की राय जानने के बाद ऐसे समान विधान पर विचार किया जा सकता है।

(ग) लोक न्यासों के बारे में विधान के लिये प्रस्ताव अब विधि आयोग को निर्देशित किया गया है।

सरकार ने हिन्दू धार्मिक विन्यास विधेयक, 1965 नाम से एक विधेयक प्रारम्भ में तृतीय लोक सभा में पुरःस्थापित किया था किन्तु उस पर विचार किये जाने से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई और वह विधेयक व्यपगत हो गया। बाद में सभी लोक न्यासों को लागू होने वाला एक नया विधेयक तैयार किया गया और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार जानने के लिये भेजा गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए यह मामला विधि आयोग को निर्देशित कर दिया गया है।

मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा निरीक्षण-रेल डिब्बों का उपयोग

2006. **श्री के० सूर्यनारायण : क्या रेल** मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षक रेल डिब्बों के उपयोग के सम्बन्ध में 11 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा लखनऊ जाने के लिये रेलगाड़ी से यात्रा करने की बजाय निरीक्षण रेल डिब्बे का 8 बार उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस मुख्य लेखा परीक्षक ने अपने दौरे में लखनऊ में क्या-क्या कार्य किया और प्रत्येक बार वह लखनऊ कितने समय तक ठहरा ;

(ग) मुख्य लेखा परीक्षकों के तीन दलों ने अपनी कार्यावधि के दौरान अपने धातु निर्मित पासों को लेकर गाड़ी से लखनऊ की यात्रा कितनी बार की; और

(घ) जब लखनऊ जैसे अन्तिम स्टेशनों पर आवास और भोजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो निरीक्षण रेल डिब्बों के उपयोग को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) मुख्य लेखा परीक्षक ने लखनऊ जाने के लिये निरीक्षण यान का उपयोग केवल अपने पद से सम्बन्धित कर्त्तव्यों को निभाने के लिये किया ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) ऐसे अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं कि निरीक्षण यानों का उपयोग मुख्य रूप से पद से सम्बन्धित कर्तव्यों के निभाने के लिये ही किया जाये और ऐसे स्टेशनों पर, जहां विश्रामगृह की पर्याप्ति सुविधाएं उपलब्ध हैं, बैठकों अथवा गोष्ठियों में भाग लेने जैसे कार्यों के लिये उनके उपयोग को प्रोत्साहन न दिया जाये ।

विवरण

मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा लखनऊ में किया गया काम और लखनऊ में उनके रुकने की अवधि

दौरे की संख्या	रुकने की अवधि	किया गया काम
1.	26–9–68 से 30–9–68 तक (29–9–68 का यात्रा भत्ता नहीं लिया गया)	सहायक कार्मिक कार्यालय, लखनऊ जंक्शन के लेखों का निरीक्षण ।
2.	19–7–69 से 23–7–69 तक (20–7–69 का यात्रा भत्ता नहीं लिया गया)	मण्डल लेखा परीक्षा कार्यालय, लखनऊ जंक्शन का निरीक्षण ।
3.	25–8–69 से 28–8–69 तक	लखनऊ में खान-पान यूनिट के लेखों का निरीक्षण ।
4.	7–12–69 से 10–12–69 तक	लखनऊ में सिगलन विभाग के प्रमुख कार्यों के लेखों का निरीक्षण
5.	11–1–70 से 13–1–70 तक	मण्डल लेखा परीक्षा कार्यालय, लखनऊ का निरीक्षण ।
6.	19–3–70 से 22–3–70 तक	मण्डल परिचालन अधीक्षक, लखनऊ के लेखों का निरीक्षण ।
7.	24–6–70 से 26–6–70 तक	मण्डल लेखा परीक्षा कार्यालय, लखनऊ का निरीक्षण ।
8.	3–9–70 से 6–9–70 तक	मण्डल अधीक्षक, लखनऊ के लेखों का निरीक्षण ।

Arrest of Persons for Selling Forged Railway Tickets at Different Places

2007. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a large number of forged Railway tickets were seized in different parts of country during July and August, 1972 ;

(b) the value of the seized tickets ; and

(c) the number of persons against whom action has been taken along with the nature of the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Some forged Railway tickets were seized in different parts of the country during August, 1972.

(b) The value of the seized tickets is Rs, 2,494.60.

(c) Action has been taken against 11 persons for offences under the Indian Penal Code and the Indian Railways Act.

New Railway Lines to be Laid in Next two Years

2008. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The total length of Railway lines in the country at present ; and

(b) the length (in kilometres) of new Railway lines proposed to be laid by Government in the next two years ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The route Kilometres as on 31st March 1972 were 60,275.

(b) Approximately 533 kms.

नंगल उर्वरक परियोजना के विस्तार हेतु पूरे विश्व से टेंडर न मांगने के कारण

2009. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंगल उर्वरक परियोजना के विस्तार के लिये परियोजना के सम्बन्ध में निर्माण के ठेके देने हेतु पूरे विश्व से टेंडर नहीं मांगे गए हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : प्लांट के प्रौद्योगिकी रूप से जटिल आकार को ध्यान में रखते हुए, प्रारम्भ में पूरे विश्व से टेंडर, (जो विख्यात सामर्थ्य पर आधारित है) के आधार पर पूर्व-चयन किया गया था। पूर्व चयन किये गए ठेकेदारों को, उनकी योग्यता तथा अनुभव पर उनसे प्राप्त सूचना पर आधारित पूर्व-योग्यता की एक और परीक्षा देनी पड़ी थी। पूर्व-अर्हता प्राप्त ठेकेदारों को अमोनिया प्लांट के कोटेशन देने के लिए कहा गया था। ऐसी पद्धति जटिल प्रौद्योगिकी के लिए अन्तर-राष्ट्रीय बोली हेतु सामान्यत: अपनायी जाती है।

कोचीन-मद्रास एक्सप्रेस में डीजल इंजन का बंद किया जाना

2010. **श्री वयालार रवि :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन-मद्रास-एक्सप्रेस में डीजल इंजन सेवा बंद करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी में कानून की पुस्तकों के लिये पुरस्कार प्रतियोगिता

2011. **श्री के० मालन्ना : क्या विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कानून की मानक पुस्तकें मूल रूप से हिन्दी में लिखे जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पुरस्कार प्रतियोगिता रखी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). हिन्दी में मूल रूप से मानक विधि पुस्तकों के लिखे जाने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सरकार ने किसी भी कैलेंडर वर्ष में हिन्दी में लिखित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों के लिए पुरस्कार देने की स्कीम चलाई है। स्कीम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में, विधि की प्रत्येक शाखा के लिए साधारणत: 10,000 रु० का एक पुरस्कार होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्था की सहायता के बिना लिखित/प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार देने के लिए विचार किया जा सकेगा।

(3) कोई भी लेखक अपनी पांडुलिपि/पुस्तक को विचारार्थ भेजने के लिए हकदार होगा और उससे उस पर उसका प्रतिलिप्याधिकार समाप्त नहीं होगा।

(4) किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान पुरस्कार देने के लिए पुस्तकों का चयन, इस प्रयोजन के लिए स्थापित मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर, किया जाएगा।

(5) यदि कोई भी पुस्तक अपेक्षित मानक वाली विनिर्णीत नहीं की गई तो कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तथापि विधि की किसी एक शाखा में 5000 रु० तक का समाश्वासक पुरस्कार उन पांडुलिपियों/पुस्तकों के लिए दिया जा सकता है जो मूल्यांकन समिति की सलाह से काफी अच्छी क्वालिटी की समझी जाए।

रेलवे बोर्ड में पर्यटन सेल

2012. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आने वाले पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्यटक विकास परिषद् ने रेलवे बोर्ड को एक पर्यटक सेल बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या परिषद् ने यह भी सुझाव दिया है कि रेलवे द्वारा सामूहिक यात्रा के लिए विशेष रियायतें दी जायें, अप्रयुक्त रेल टिकटों का पैसा वापिस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये और पर्वतीय स्थानों (हिल स्टेशन) के लिए समूचे वर्ष रियायतें दी जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं। लेकिन, पर्यटक कक्ष स्थापित करने के बारे में पर्यटक मंत्री और रेल मंत्री के बीच लिखा-पढ़ी चल रही है।

(ख) जी हां।

(ग) अंतर्ग्रस्त वित्तीय फलितार्थों के कारण रियायत का क्षेत्र नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसलिए, सामूहिक यातायात के लिए विशेष रियायत देने और वर्ष के किसी एक भाग के बदले जैसा कि समय समय पर अधिसूचित किया गया है पूरे वर्ष पर्वतीय स्टेशनों की रियायती टिकटें जारी करने से सम्बन्धित सुझाव पर सहमति नहीं दी जा सकती। जहां तक अप्रयुक्त टिकट का पैसा वापस करने की प्रणाली को सरल बनाने का सम्बन्ध है, वर्तमान कार्यविधि में कोई परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं है।

लेह-चुशूल सड़क पर विद्युत् परियोजना

2013. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह-चुशूल सड़क पर सिंधु के जल का उपयोग करके आरम्भ की जा रही विद्युत् परियोजना 1977 के अन्त तक पूरी हो जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी राशि व्यय होगी और उससे कितनी बिजली पैदा होगी ; और

(ग) उस क्षेत्र में आरम्भ की जाने वाली अन्य पन-बिजली और "माइक्रो-हाइडल" परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) लेह के निकट स्तकना जल विद्युत् परियोजना 1977 के अंत तक पूर्ण होनी अनुसूचित है।

(ख) परियोजना की स्वीकृत अनुमानित लागत 231 लाख रुपये है। प्रतिष्ठापन में 540-540 मैगावाट के पांच जनित्र यूनिट शामिल हैं और इससे हर साल लगभग 16 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी।

(ग) भविष्य में जिन लघु जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान किया जा चुका है, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	100% भार अनुपात पर विद्युत् शक्यता	प्रतिष्ठापित क्षमता
लेह	5750	5 × 2500
द्रास	1170	3 × 1000
सुम	4800	4 × 2400

जम्मू तथा काश्मीर में सिंध हाइडल परियोजना और चेनानी हाइडल परियोजना का निर्माण

2014. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जम्मू तथा कश्मीर में निर्माणाधीन 22 एम० डब्ल्यू० एस० सिंध हाइडल परियोजना और चेनानी हाइडल परियोजना के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अपर सिंध जल विद्युत् परियोजना के लिए टर्बाइन रनरों की सप्लाई में विलम्ब हुआ है। इनकी डिलीवरी में तेजी लाने के लिए पग उठाए गए हैं। चेनानी जल विद्युत् परियोजना के लिए उपस्कर की सप्लाई में भी देरी हो गई है। दोनों यूनिटों के लिए उपस्कर की प्राप्ति के पश्चात उनके प्रतिष्ठापन में तेजी लाने के लिए पग उठाए जाएंगे जिसके मार्च और जून, 1973 में होने की सम्भावना है।

रेलवे में माल के यातायात को बढ़ाने के लिए किये गये उपाय

2015. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह माल, जिससे अधिक भाड़ा प्राप्त होता है, सड़क परिवहन द्वारा भेजा जाता है और केवल वह माल रेलवे को जाता है जिस पर कम भाड़ा मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को ढुलाई के लिए मिलने वाले विभिन्न प्रकार के माल का प्रतिशत क्या है ; और

(ग) ढुलाई के लिए अधिक माल प्राप्त करने हेतु रेलवे का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले चार वर्षों में कोयला, अयस्क, संगमरमर और पत्थर, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, चारा और नमक जैसे कम दर वाले माल से भिन्न अन्य वस्तुओं का प्रतिशत, कुल प्रारम्भिक राजस्व अर्जक यातायात की तुलना में इस प्रकार रहा :—

68-69	69-70	70-71	71-72
27.2	27.4	27.9	28.2

इन वर्षों में, कम दर वाले यातायात से भिन्न वस्तुओं का प्रतिशत कुल राजस्व अर्जक माल यातायात की तुलना में बढ़ा है।

(ग) ऊंचे दर वाले और अधिक यातायात को आकृष्ट करने के लिए रेलों द्वारा अपनाये जा रहे कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) कंटेनर सेवाएं,
(2) भाड़ा, अग्रेषण सेवाएं,
(3) सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलना,
(4) शीघ्र पारवहन सेवाएं,
(5) सड़कों से माल उठाने और सुपुर्द करने की सेवाएं,
(6) रेलों के विपणन एवं विक्रय संगठन के माध्यम से व्यापार और उद्योगों के साथ सम्पर्क।

कालीकट-एरणाकुलम एक्सप्रेस का एरणाकुलम टाउन में रुकना

2016. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट-एरणाकुलम एक्सप्रेस एरणाकुलम टाउन में नहीं रुकती ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 47 डाउन/48 अप कोचीन-कालीकट एक्सप्रेस का एर्णाकुलम टाउन पर ठहराव यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। लेकिन नं० 47 डाउन/48 अप कोचीन-कालीकट एक्सप्रेस एर्णाकुलम जंक्शन पर ठहरती है जो एर्णाकुलम टाउन से केवल $2\frac{1}{2}$ कि० मी० दूर है।

केरल में बरकला रेलवे स्टेशन का विस्तार

2017. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में बरकला रेलवे स्टेशन की विस्तार योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए अब तक कितना व्यय हो चुका है और चौथी योजना की शेष अवधि में कितना व्यय किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) केरल में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम-बद्ध वर्कला रेलवे स्टेशन के विस्तार/सुधार से सम्बन्धित चार उप-कार्यों में से दो अर्थात् (1) तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था और (2) टट्टियों के लिए सोख गड्ढ़ों का काम पूरा हो गया है। पानी की सप्लाई में सुधार से सम्बन्धित तीसरा उप-कार्य हो रहा है, जब कि मौजूदा प्लेटफार्म का विस्तार करके उसे 800 फुट लम्बा करने से सम्बन्धित चौथा उप-कार्य मोटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलते समय किया जायेगा।

(ख) 40,794 रुपये पहले खर्च किये जा चुके हैं और 37,377 रुपये चौथी पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के दौरान खर्च होने की सम्भावना है।

पश्चिम रेलवे के प्रभागीय कार्यालयों में क्लर्कों और टाइपिस्टों की कमी

2018. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे तथा प्रभागीय कार्यालयों में क्लर्कों तथा टाइपिस्टों की कमी के बारे में 30 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8013 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार और कितना समय लेगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम रेलवे के मण्डल कार्यालयों में टाइपिस्टों, क्लर्कों और अन्य क्लर्कों के पदों के बीच कोई निर्धारित अनुपात नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में भोजनयान की सुविधाएं

2019. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में से गुजरने वाली लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में भोजनयान की सुविधा नहीं होती है ;

(ख) किन गाड़ियों में यह सुविधा उपलब्ध है और किन में नहीं है ; और

(ग) सभी गाड़ियों में यह सुविधा देने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) राजस्थान से गुजरने वाली कुछ गाड़ियों में भोजनयानों और बुफे यानों के रूप में चल खानपान व्यवस्था उपलब्ध है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह सूचना दी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3833/72**]

(ग) गाड़ियों में खानपान की व्यवस्था शुरू करना, गाड़ियों का समय, मार्गवती स्टेशनों पर खानपान/विक्रय के प्रबन्धों का पर्याप्त अथवा अपर्याप्त होना, भोजनयान लगाने के लिए गाड़ियों में गुंजायश, गाड़ियों में भीड़-भाड़ की मात्रा और भोजनयानों की उपलब्धता जैसे विविध बातों पर आधारित है । जिन गाड़ियों में खानपान की व्यवस्था नहीं रहती, उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकताएं मार्गवर्ती स्टेशनों पर उपलब्ध खानपान और विक्रय सुविधाओं से पूरी की जाती हैं । संलग्न विवरण के भाग ख (ii) में उल्लिखित किसी भी गाड़ी में भोजनयान लगाये जाने का इस समय विचार नहीं है ।

ईराक के साथ तेल की खोज में सहयोग

2020. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** :
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज में सहयोग के लिए ईराक के साथ करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं और यदि नहीं, तो बातचीत की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). ईराक के क्षेत्रों में से एक में तेल अन्वेषण तथा विकास के लिये ईराक नेशनल आयल कम्पनी (आई० एन० ओ० सी०) को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भेजी गई बोली के उपरान्त, विस्तृत बात-चीत करने के लिये आई० एन० ओ० सी० द्वारा चुनी गई पार्टियों में से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग था। विचार विमर्श का पहला दौर हाल ही में सम्पन्न हुआ है और जब तक आई० एन० ओ० सी० कोई निर्णय नहीं ले लेते, ये विचार-विमर्श भविष्य में भी जारी रहेगा।

तिनसुकिया, लुमडिंग और अलीपुर द्वारा (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर चाय, फलों आदि के स्टालों की संख्या

2021. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिनसुकिया, लुमडिंग और अलीपुर द्वारा स्टेशनों (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) पर कुल कितने चाय, फलों, पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों के स्टाल, जलपानगृह और मिठाई के स्टाल हैं ;

(ख) इन स्टालों का पट्टा कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है ; और

(ग) क्या कुछ पार्टियों को विभिन्न नामों से एक से अधिक स्टाल दिए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 36

(ख) 28 स्टाल आदि 27 ठेकेदारों द्वारा चलाये जाते हैं और 8 स्टाल आदि विभाग-प्रबन्धित हैं।

(ग) रेल प्रशासन को यह सूचना नहीं है कि एक ही पार्टी विभिन्न नामों से काम कर रही है।

तिनसुकिया में डिवीजनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति में नामजदगी

2022. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी आसाम वाणिज्य मंडल ने संबंधित प्राधिकारियों को अपना एक सदस्य डिवीजनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति, तिनसुकिया में नामजद, करने के लिए अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में बहुत से व्यापार मण्डल काम कर रहे हैं इसलिए मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में बारी-बारी से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ईस्टर्न असम चैम्बर आफ कामर्स को मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, तिनसुकिया में पिछली बार 1970-71 में प्रतिनिधित्व दिया गया था। चालू अवधि में उसे प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।

लमडिंग जंक्शन, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गैर-सरकारी स्टाल और होटल

2023. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लमडिंग जंक्शन, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, पर रेल मार्ग से 6 से 12 फुट की दूरी के अन्दर-अन्दर कुल कितनी गैर-सरकारी किराने की दुकानें, छोटी-छोटी पान की दुकानें, सेलून, चाय, स्टाल, जलपान गृह और होटल हैं ;

(ख) क्या इन गैर-सरकारी स्टालों से कोई किराया लिया जाता है ; और

(ग) क्या रेल-मार्ग के निकट ऐसी गैर-सरकारी दुकानें बनाना और ऐसे स्टाल चलाने की अनुमति दी जाती है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) किराने की दुकानें, होटल, जलपान गृह, पान की दुकानें और चाय के स्टाल जैसी 24 अनधिकृत निजी दुकानें हैं। ये दुकानें निकटतम रेल पटरी से दस फीट और उससे भी अधिक दूरियों पर रेलवे लाइनों से बिल्कुल अलग स्थित हैं।

(ख) उनसे कोई किराया नहीं लिया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए रेलवे ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

केरल से प्राप्त सिंचाई तथा विद्युत योजनाएं

2024. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए केरल सरकार से प्राप्त हुई सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल सरकार ने अपनी विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए निम्नलिखित सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	लाभ, लाख एकड़ों में
I. सिंचाई परियोजनाएं		
बृहद्		
एडमालायार	27.37	2.88
बनसुरसागर	11.37	0.59
तिरुनेल्ली	6.50	0.22
केरल भवानी (टेलरेस समुपयोजन)	8.05	0.80

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	लाभ, लाख एकड़ों में
मध्यम		
करापुजा सिंचाई	3.89	0.23
अट्टापाडी सिंचाई परियोजना	4.76	0.153
नूलापुजा	2.90	0.21
मंजत	3.18	0.12
थेन्डर	2.99	0.15
II. विद्युत परियोजनाएं	**अनुमानित लागत** (करोड़ रुपयों में)	**लाभ—प्रतिष्ठापित क्षमता**
इदिक्की जल विद्यत परियोजना विस्तार	11.58	390 मेगावाट
साइलैंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम	24.88	120 मेगावाट
इदयालीयार बहूद्देश्यीय परियोजना	12.66 (विद्युत भाग)	90 मेगावाट
मननथोड़ी बहूद्देश्यीय परियोजना	14.00	200 मेगावाट
केरल भवानी बहूद्देश्यीय परियोजना	9.18	100 मेगावाट

इद्दिक्की विद्युत परियोजना

2025. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहत्त इद्दिक्की विद्युत परियोजना के बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) वृहत्तर इद्दीकी परियोजना के सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-श्रीलंका पावर ग्रिडों का जोड़ा जाना

2026. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका संयुक्त समिति परस्पर लाभ के लिए दोनों देशों के पावर ग्रिडों को जोड़ने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). भारत सरकार और श्रीलंका सरकारें श्रीलंका और भारत विद्युत ग्रिडों को जोड़ने के संबंध में प्रारम्भिक-व्यवहार्यता अध्ययन करने पर सहमत हो गई हैं। इन अध्ययनों को करने के लिए दोनों भारत और सीलोन की तरफ से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। तमिलनाडु विद्युत प्रणाली, जिसके द्वारा श्रीलंका ग्रिड को जोड़ा जाएगा, के संबंध में कुछ तकनीकी आंकड़े श्रीलंका सरकार को भेजे जा चुके हैं। श्रीलंका से सीलोन विद्युत प्रणाली के संबंध में आवश्यक तकनीकी आंकड़े भी मंगाए गए हैं।

भारतीय रेलव में टाइपिस्टों के कर्त्तव्य

2027. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में काम कर रहे 110-180 रुपये (ए) वेतनमान वाले टाइपिस्ट, 130-300 रु० (ए) वेतनमान वाले वरिष्ठ टाइपिस्ट और 210-380 रु० (ए) वेतनमान वाले हेड टाइपिस्ट के अलग-अलग कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व क्या हैं ; और

(ख) भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन में प्रत्येक श्रेणी के टाइपिस्टों के लिये रोजगार विनियम वर्गीकरण के अनुसार अलग-अलग काम के घण्टे क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 110-180 रु० (प्रा०) ग्रेड के टाइपिस्टों और 130-300 रु० (प्रा०) ग्रेड के टाइपिस्टों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्व में कोई अधिक अन्तर नहीं है, सिवाय इसके कि टाइप का महत्वपूर्ण और आवश्यक काम सामान्यत: 130-300 रु० (प्रा०) के वरिष्ठ टाइपिस्टों द्वारा किया जाता है।

210-380 रु० (प्रा०) ग्रेड के प्रधान टाइपिस्टों के कर्त्तव्य इस प्रकार हैं :

(i) टाइप अनुभाग का समग्र पर्यवेक्षण ;

(ii) टाइपिस्टों में टाइप के काम का वितरण ;

(iii) टाइप की गयी सामग्री की अनुभागवार छंटाई और उसे सम्बन्धित अनुभागों को भेजना ;

(iv) आने और जाने वाली मिसिलों की डायरी रखना ;

(v) टाइप अनुभाग के लिए लेखन सामग्री प्राप्त करना ;

(vi) आपात के मामले में टाइपिस्टों को अतिरिक्त समय के लिए रोकना ;

(vii) यह सुनिश्चित करना कि उसके अधीन टाइपिस्ट मापदण्ड के अनुसार टाइप का काम करते हैं ;

(viii) उसे काम की अपेक्षाओं में टाइप का काम भी करना होगा ।

(ख) काम के घंटे विनियमों के अन्तर्गत क्रमश: 110-180 रु० (प्रा०) और 130-300 रु० (प्रा०) ग्रेड के टाइपिस्टों और वरिष्ठ टाइपिस्टों को "निरंतर" वर्ग में और 210-380 रु० (प्रा०) ग्रेड के प्रधान टाइपिस्टों को "पर्यवेक्षक" वर्ग में रखा जाता है ।

Railway wagons of wheat from Punjab and Haryana not reached Bhubaneshwar (Orissa)

2028. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Dharamrao Sharnappa Afzalpurkar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether about 800 tonnes of wheat, which loaded during April-October, 1972 in 26 Railway wagons from Punjab and Haryana for being sent to Bhubaneshwar (Orissa) have not reached Bhubaneshwar so far and those wagons are also not traceable ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). Information so far gathered reveals that 253 wagons containing wheat loaded by Food Corporation of India for destinations in Orissa were diverted at Mughalsarai to destinations in West Bengal and Bihar during the months of April, May, August and September 1972. Similarly 528 wagons of wheat loaded by Food Corporation of India for destinations in Bihar and West Bengal were diverted to destinations in Orissa by Food Corporation of India authorities in the same period. The 26 wagons referred to formed part of the 253 wagons mentioned above. It cannot, therefore, be said that these wagons are not traceable.

7-8 मार्च 1972 को सरकारी दौरे पर कलकत्ता गए भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारी/कर्मचारी

2029. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 21 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3465 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक की पुत्री के विवाह की तारीखों पर भारतीय उर्वरक निगम के बहुत से वरिष्ठ अधिकारी दौरे पर कलकत्ता गए थे ;

(ख) क्या इस जानकारी में जानबूझ कर विलम्ब किया गया और इन दिनों में जो बहुत से अधिकारी कलकत्ता के दौरे पर थे, को इस प्रश्न का अन्तिम उत्तर देने से पूर्व अवकाश पर दिखाया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय उर्वरक निगम के सभी यूनिटों/डिवीजनों में टेलेक्स/टेलीप्रिंटर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी एकत्र करने में कितना उचित समय लगता है ; और

(घ) इस घटना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। भारतीय उर्वरक निगम ने बताया है कि 15 अधिकारी जो कलकत्ता के मार्ग से अन्य स्थानों के दौरे पर गये थे अथवा जिन्हें इस शादी से पूर्व निर्धारित निगम के सामान्य कार्य को निपटाने या बैठकों के विचार विमर्श में सम्मिलित होने के लिए जाना पड़ा था ; विवाह उत्सव में उपस्थित हुए थे। कलकत्ता में निगम के कार्यालय में नियुक्त 13 अन्य अधिकारी भी विवाह में सम्मिलित हुए थे। किन्तु 36 अधिकारी जिन्हें विवाह तिथि के निश्चित होने से पूर्व निर्धारित सरकारी ड्यूटी या बैठकों में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता में जाना पड़ा था विवाह में उपस्थित नहीं हुए थे।

(ख) से (घ). निगम से अपेक्षित सूचना को प्राप्त करने में बहुत देरी नहीं हुई थी। भारतीय उर्वरक निगम के अनुसार 27 अधिकारियों ने इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए छुट्टी ली थी तथा वे निजी खर्चे पर गये थे।

हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर यात्रियों को बाहर आने से रोका जाना

2030. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्टूबर, 1972 के "सत्ययुग" बंगाली दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर 50 हजार यात्रियों को, उनके पास टिकट होते हुए भी, बाहर आने से रोका गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने घटना से संबद्ध रेल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां, परन्तु उल्लिखित समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्य सही नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इटली द्वारा भारत में पोलीएथिलीन संयंत्र की स्थापना

2031. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इटली से पोलीएथिलीन संयंत्र की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय पैट्रो-रसा-

यन निगम, एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, जो एक लो डेंसिटी पोलीएथिलीन संयंत्र की स्थापना कर रहा है, को इटली की एक फर्म के साथ-साथ विदेशी सहयोग कर्त्ताओं से पेशकश प्राप्त हुई थीं।

(ख) प्राप्त हुई विभिन्न पेशकशें प्रक्रिया जानकारी की व्यवस्था, मूल इंजीनियरिंग तथा निर्वासित करने के बारे में थीं। इस परियोजना के लिये विदेशी सहयोग के प्रबन्धों के बारे में सरकार द्वारा अभी अन्तिम रूप से अनुमोदन किया जाएगा।

हैवी ड्यूटी पी० वी० तथा हाई डेंसिटी पोलीएथिलीन के निर्माण के लिए नई क्षमता के लाइसेंस देना

2032. **श्री जगन्नाथ मिश्र:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुने हुए और गैर बुने हुए हैवी डयूटी पी० वी० तथा हाई डेंसिटी पोलीएथिलीन थैलों का निर्माण करने के लिए देश भर में नई क्षमता के लाइसेंस देने सम्बन्धी मामला सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो यह देश में पटसन उद्योग को कितनी हानि पहुंचायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). सरकार इस समय विभिन्न सम्बन्ध मामलों, जिनमें प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग से पटसन उद्योग पर होने वाले प्रभाव का मामला शामिल है, पर विचार कर रही है। इन मामलों की जांच मुकम्मल होने के पश्चात पलास्टिक थैलों के निर्माण हेतु और क्षमता के लिये लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु सम्बन्धी मामले का निर्णय

2033. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय की पूरी न्यायपीठ केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु सम्बन्धी मामले पर विचार कर रही थी ; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन मुद्दा क्या था और उस पर क्या निर्णय दिया गया ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या दण्ड न्यायालयों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के प्रश्न पर विचार करने की अधिकारिता है। केरल उच्च न्यायालय की पूरी न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 217(3) में अन्तर्विष्ट स्पष्ट उपबंध को देखते हुए दण्ड न्यायालयों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के सम्बन्ध में किसी मामले पर निर्णय देने की अधिकारिता नहीं है।

केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के लिए पदोन्नति के अवसर

2035. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को द्वारा विशेषतया केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान के लिए प्रशिक्षित किए गए वैज्ञानिक तथा इंजीनियर बहुत बड़ी संख्या में देश छोड़कर जा रहे हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पदोन्नति के अवसरों में असमानता है, और :

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) यूनेस्को तथा संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि स्कीम के अंतर्गत अधिकारियों में से दो अधिकारी निवृत्त हो चुके हैं और एक ने इस्तीफा दे दिया हुआ है, छः अधिकारी केंद्रीय विद्युत् गवेषणा संस्थान और केंद्रीय जल तथा विद्युत् आयोग (विद्युत् स्कंध) में कार्य कर रहे हैं। पांच अधिकारी संबंधित गवेषणा और विद्युत् संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय विद्युत् गवेषणा संस्थान में वैज्ञानिक और इन्जीनियर पृथक पृथक संवर्गों पर हैं। विज्ञान दिशा में पदों की संख्या कम है और वैज्ञानिकों के पदोन्नति के अवसर भी उसी हद तक सीमित हैं। इस समय वैज्ञानिक संवर्ग में केवल सहायक निदेशक के स्तर तक के ही पद शामिल हैं। सभी वैज्ञानिक गवेषण कार्य को एक ही विभाग के अंतर्गत, जिसका अध्यक्ष उपनिदेशक होगा, रखने के लिए पुनरवलोकन किया जा रहा है।

दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र (दामोदर घाटी निगम) में बिजली का बन्द होना

2036. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र की संचालनात्मक खराबियों के कारण हाल ही में बिजली बन्द हुई थी ;

(ख) क्या राज्यकीय विद्युत् विभाग के परामर्श से कोई उपाय निकाला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम) विद्युत् केन्द्र में प्रचालन खराबियों के कारण कोई बिजली फेल नहीं हुई है। पारेषण लाइनों में पथ-त्रुटि के कारण 3-9-72 को विद्युत् केन्द्र में पूरी बिजली एक बार फेल हुई थी जिसके परिणामस्वरूप विद्युत् केन्द्र में ओवर लोडिंग हो गई और मशीनें बन्द हो गईं। चूंकि बिजली की सप्लाई थोड़ी ही देर बाद चालू हो गई थी, उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई में बाधाएं कम हुईं। बहरहाल, विभिन्न उप-केन्द्रों अथवा सहायकों में खराबियों के कारण बिजली की सप्लाई में आंशिक रूप से बाधाएं आईं।

(ख) और (ग). लाइनों में काफी खराबियां आ जाती हैं। ये ओवरहैड साऊंड वायर तथा विद्युत् नियामकों की चोरी के कारण होती हैं। दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ लिखा-पढ़ी की है जोकि इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही हैं। जो नुक्स हो गए हैं उनकी जांच विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है और उपचारी कार्यवाही की जा रही है।

Rent of Gandhi Piao and Gandhi Statue charged by Railways

2037. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Gandhi Piao and Gandhi statue on Sojat Road are situated on plots of land under the jurisdiction of Railways ;

(b) whether Gandhi Piao is still being run ; and if so, who bears the expenditure thereon ;

(c) whether the Railways charge rent for the plots of land ; if so, the amount thereof and the reasons therefor ; and

(d) whether the rent was increased from 1962 ; if so the reasons therefor ; and whether the residents of the Sojat Road had requested Shri Gulzarilal Nanda, former Railway Minister, not to charge rent thereon, and the said Minister had given the assurance that rent would not be charged thereon ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) A licence to erect a Gandhi Statue on railway land and to provide a piao on the platform at Sojat Road has been granted in favour of the Secretary, Gandhi Smarak Samiti from 4-6-1950 and 13-11-1949 respectively.

(b) Yes, the expenses are borne by Shri Zabar Mehta, Secretary of the now defunct Gandhi Smarak Samiti, Sojat Road.

(c) A nominal licence fee of Re. 1/- per annum for each Gandhi Statue and Piao plot, is being charged from 4-6-'50 and 13-11-'49 to retain the Railway's title over the land.

(d) No. The nominal licence fee of Re. 1/- ber annum will however be raised to Rs. 20/- per annum at the time of next revision in accordance with the extant policy.

Sarpanch, Gram Panchayat of Sojat Road met the former Railway Minister on 21-9-1970, and Railway was directed that nominal licence fee may be levied.

मुगलसराय जंक्शन पर बिना टिकट यात्रा करने वालों की गिरफ्तारियां

2038. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1971 से सितम्बर, 1971 तक मुगलसराय जंक्शन पर बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को कारावास का दंड दिया गया ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 1,315

(ख) 1,032

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की योजना का क्रियान्वयन

2039. **श्री सरजू पांडे :**
श्री राम सहाय पाँडे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने सम्बन्धी योजना को बहुत से राज्यों में अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) योजना का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). कानूनी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई माडल स्कीम अनेक राज्यों में लागू नहीं की गई है किन्तु कुछ राज्यों ने अपनी स्कीमें बनाई हैं । राज्य सरकारों ने स्कीम लागू न करने का मुख्य कारण, धन की कमी बताया है ।

(ग) सरकार द्वारा पूरे मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

Protection of Ghamta Area in Champaran from Erosion by Narayani River

2040. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether during his last visit to Champaran he had stated that some permanent arrangements should be made to protect the Ghamta area in Champaran District from being eroded by Narayani river ; and

(b) if so, the action it intiated by Government in this regard and the results achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The Union Minister of Irrigation and Power after inspection of the areas affected by floods and breaches in the embankments on the right side of the Gandak (known as the Narani in the upper reaches) in July, 1971 had suggested that the embankments should be constructed along a new alignment and protection works for the embankment provided on the basis of model studies. The new alignment was to be finalised after a detailed study by a team consisting of Chief Engineers of Bihar, Uttar Pradesh and Central Water and Power Commission.

(b) The team consisting of the Chief Engineers, Bihar, Uttar Pradesh and Central Water and Power Commission have given their recommendations for the new alignment. The State Government of Bihar are preparing a scheme for the portion of the embankment in their territory according to the alignment suggested by the team of Chief Engineers.

The Ministry of Irrigation and Power have set up a technical committee to study the problem of floods and erosion in the Gandak river and suggest economical and permanent measures that are required to be taken in future. The report of this committee is expected by the end of December, 1972. Further works that are required for the protection of the embankment along the new alignment are to be planned taking into account the recommendations of this committee.

फरीदाबाद में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना

2041. **श्री एम० एस० संजीव राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद (हरियाणा) में कोई अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या इसके लिए कोई विदेशी सहायता भी ली जायेगी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय तेल निगम द्वारा फरीदाबाद (हरियाणा) में 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। केन्द्र के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

(1) पेट्रोलियम उत्पादों, विशेषरूप से लुब्रीकैन्टस तथा विशिष्ट पदार्थों का विकास ; और

(2) ग्राहकों को तकनीकी सेवा।

(ग) विशिष्ट लुब्रीकैन्ट्स के विकास के लिए विदेशी सहायता परिकल्पित है। भारतीय तेल निगम इस मामले पर विभिन्न तेल कम्पनियों से विचार विमर्श कर रहा है।

Completion of Irrigation and Power Schemes

2042. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the new measures proposed to be taken by Government to complete the incomplete power and Irrigation scheme ;

(b) whether Government have under consideration some projects to generate power which would not be affected by vagaries of rainfall ; and

(c) if so, the names thereof and the time likely to be taken on their implementation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) For Power Schemes, the following measures are being taken :

1. Where the progress is hampered for want of funds, the question of allocating additional funds where quick benefits are possible is under consideration.

2. In cases where there is delay in delivery of plant and equipment these are being expedited.

3. Imports of steel have been made wherever necessary for accelerating the civil and structural works of the projects. In the case of irrigation schemes, efforts are made to provide, within the State Plan frame work, the maximum amounts of funds possible for the continuing Schemes which are in an advanced Stage, keeping in view the overall resources and needs of other Sectors, so that benefits accrue from these projects as early as possible.

(b) The Thermal and Nuclear Projects which are not generally affected by vagaries of rainfall, are being taken up for construction in the various regions of the country.

(c) The names of these projects which are being considered for implementation during the Fifth Plan and benefits of which will accrue during that period are given below :

Northern Region

Faridabad Thermal Extension
Bhatinda Thermal Extension
Harduaganj Thermal Extension
Obra Thermal Extension
Badarpur Thermal Extension
Rajasthan Atomic Power Project
Panipat Thermal Project
Thermal Stations in Rajasthan
Gorakhpur Thermal Station
Thermal Station in Western U. P.

Western Region

Ukai Thermal Station Extension
Korba Extension
Satpura Extension
Amarkantak Thermal Extension
Nasik Thermal Extension
Wanakbori Thermal Station
North Gujarat Thermal Station
Tarapur Nuclear Extension

Southern Region

Kothagudem Extension
Kalapakkam Nuclear Extension
Thermal Additions in Tamil Nadu
Vijayawada Thermal Station

Eastern Region

Patratu Thermal Extension
Bandel Thermal Extension
Talcher Thermal Extension
Chandrapura Thermal Extension
Bokaro Thermal Station
Muzaffarpur Thermal Station
Kolaghat Thermal Station
Tenughat Thermal Station
Dhalkhola Thermal Station
Namrup Thermal Extension
Gauhati Thermal Extension

Names of Wagons manufacturing factories in Public and Private Sectors

2043. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the names of factories manufacturing Railway wagons functioning in public and private sectors in the country at present together with their production capacity ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : A statement showing the names of factories manufacturing Railway wagons in the public and private sectors alongwith their production capacity is attached. [**Placed in the Library. See No. LT-3834/72**]

बिहार और पश्चिमी बंगाल के बीच दामोदर घाटी निगम के विद्युत् प्रतिष्ठानों में असंतुलन

2044. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच दामोदर घाटी निगम विद्युत् के प्रतिष्ठानों में असन्तुलन के क्या कारण हैं ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी निगम का प्रस्तावित विद्युत् विकास कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच दामोदर घाटी निगम के विद्युत् प्रतिष्ठानों का अनुपात क्या होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) दामोदर घाटी निगम का अधिकार-क्षेत्र दामोदर घाटी निगम अधिनियम के अन्तर्गत विशेषरूप से उल्लिखित दामोदर घाटी है । उक्त क्षेत्र बिहार और पश्चिमी बंगाल के सीमा क्षेत्रों में फैला हुआ है । दामोदर घाटी निगम एक्ट में बिहार अथवा पश्चिम बंगाल में विद्युत्-प्रतिष्ठापन के अनुसूचित कोटे की कोई व्यवस्था नहीं है । इस समय बिहार में निगम की प्रतिष्ठापित क्षमता 711 मैगावाट है तथा पश्चिम बंगाल में 350 मैगावाट है । दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत् प्रतिष्ठानों का स्थान-निश्चय आर्थिक तथा तकनीकी विचारों जैसे कोयले तथा शीतल जल की उपलभ्यता, बांधों और जलाशयों का होना और मुख्य भार के स्थान आदि के आधार पर किया जाता है । दामोदर घाटी निगम के विद्युत्-प्रतिष्ठापन का बिहार तथा पश्चिम बंगाल के बीच वर्तमान वितरण ऐसे ही तथ्यों तथा विचारों पर निर्भर स्थान-निश्चय का प्रासंगिक परिणाम है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी निगम के विद्युत्-विकास कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । चन्द्रपुर (बिहार में) 120 मैगावाट की एक यूनिट पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है । अन्य विचाराधीन परियोजनाएं हैं–दुर्गापुर 200 मैगावाट (पश्चिम बंगाल में) बोकारो–400 मैगावाट (बिहार में) तथा पंशेट जल-विद्युत् केन्द्र 40 मैगावाट (बिहार में) ।

(ग) पश्चिम बंगाल तथा बिहार में स्थित प्रतिष्ठापनों की क्षमता वर्तमान अनुपात 33% और 67% है । भावी अनुपात पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर निर्भर करेगा ।

पंजाब में औद्योगिक एककों द्वारा जनरेटरों का आयात

2045. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में भारी विद्युत् संकट को देखते हुए, पंजाब सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि राज्य में औद्योगिक एककों के लिए जनरेटरों के आयात को उदार बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Exchange earned by Oil Industries

2046. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by oil industries annually ; and

(b) the amount of foreign capital invested in these industries and the percentage of profit remitted to foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Foreign exchange earned on account of exports of petroleum products, including supplies to Bunkers and Airlines, of the oil industries during 1970 and 1971 were Rs. 1292.8 lakhs and Rs. 1121.3 lakhs respectively.

(b) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Nationalisation of Drugs and Medicines manufacturing companies

2047. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to nationalise the drugs and medicines manufacturing Companies ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : No, Sir.

(b) More than 2800 units (including about 100 units in organised sector) are presently engaged in the manufacture of drugs and pharmaceuticals. Considering the large number of units, the range of their operations etc, Government do not consider it necessary to nationalise the drug industry. As a Schedule 'B' industry under the Industrial Policy Resolution of 1956, it can be developed both in the public and the private sectors.

उर्वरक संयंत्रों के कार्य की स्थिति

2049. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य स्वामित्व वाले उर्वरक सन्यन्त्रों की गति शिथिल पड़ रही है और विस्तार योजनायें तथा नई परियोजनायें निश्चित समय सारणी से पीछे चल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और सरकार का विचार भविष्य में इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में कुछ वर्तमान उर्वरक संयंत्र निम्न कारणों से संतोषजनक उत्पादन नहीं कर रहे हैं :–

(1) संयंत्रों का पुराना हो जाना ;

(2) प्रौद्योगिकी अथवा देखरेख की समस्याएं ;

(3) कच्चे माल की कमी ; और

(4) श्रमिक एवं अन्य स्थानीय समस्याएं ।

सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वियनाधीन कुछ उर्वरक प्रायोजनाएं भी निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अन्य कारणों से निर्धारित समय सारणी से पीछे चल रही हैं :–

1. देशीय उपकरण की सप्लाई में देरी ;

2. देशीय उपकरण के निर्माण के लिए कच्चे माल के सप्लाई में विलम्ब ;

3. चालन के दौरान कई उपकरणों की असफलता ;

4. दिसम्बर 1971 में युद्ध के कारण विदेशी विशेषज्ञों जो कई संयंत्रों के चालन/कार्यों को देख रहे थे, का चला जाना ;

5. श्रमिक कठिनाइयों ।

6. भारत पाक युद्ध के दौरान परिवहन सम्बन्धी अड़चनें ।

7. इस सम्बन्ध में पाई जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए उचित औपचारिक उपाय अपनाए गए हैं अथवा अपनाये जा रहे हैं और इन उपायों को अपनाने से कुछ सफलता प्राप्त हुई है ।

Power Production in States

2050. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 292 on the 14th November, 1972 regarding power production in the States and state :

(a) whether some schemes have been formulated to increase power generation in the country ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b). The present installed power generating capacity in the country is 17.5 million KW which would increase to about 20.2 million KW by 1973-74. The tentative plan for power development formulated by this Ministry for the Fifth Plan contemplates an addition of to the generating capacity of 21.8 million KW. This would comprise 6.7 million KW from the schemes continuing from the Fourth Plan, 7.8 million KW from schemes proposed to be taken up as extensions at developed sites and 7.3 million KW from new generation schemes, 8.6 million KW would be from hydro plants, 11.8 million KW from thermal plants and 1.4 million KW from nuclear.

Scarcity of Coal in Delhi due to delay in Unloading of Wagons

2051. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is artificial scarcity of coal in Delhi caused by slow pace of unloading of coal from the wagons at Railway Stations in Delhi area ; and

(b) the measures proposed to be taken to improve the situation in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) There has been slow removal of coal consignments from the Railway sidings in the Delhi area particularly when the inward receipts are heavy, and this may have affected the availability of coal in the market.

(b) Demurrage and wharfage charges are being collected and strictness in their waival is being exercised.

The assistance of Food and Supply Department of Delhi Administration is sought, when necessary, to get the coal wagons released and coal removed from Railway premises expeditiously.

It has been decided to increase the rates of demurrage and wharfage charge from 1st December, 1972 and with this step, it is expected that the clearance of consignments from Railway wagons and Railway premises will be quicker.

"धनबाद रेलवे एम्पलाईज अफेयर्स"

2052. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "धनबाद रेलवे एम्पलाईज़ अफेयर्स" (धनबाद रेलवे कर्मचारियों के कार्य शीर्षक के अन्तर्गत 17 दिसम्बर, 1971 के (डाक संस्करण) "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" की टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) समाचार पत्रों में रेलवे के मामलों से सम्बन्धित सभी प्रकाशित सामग्री पर सम्बन्धित रेल प्राधिकारी ध्यान देते हैं।

(ख) उल्लिखित निलम्बित कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर ले लिया गया है।

"डिसएपाइन्टमेंट एट मिनिस्टर्स एबसेंस एट धनबाद आन 2 अप्रैल, 1972" संबंधी समाचार

2053. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1972 के हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में "डिसएपाइन्टमेंट एट मिनिस्टर्स एबसेंस एट धनबाद आन 2 अप्रैल, 1972" (धनबाद में 2 अप्रैल, 1972 को मंत्री की अनुपस्थिति पर निराशा") नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख): तत्कालीन रेल-मन्त्री को अप्रत्याशित कारणों से अन्तिम क्षणों में अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ा ।

चार पहिये वाले वैगनों की मांग का विचाराधीन होना

2054. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 40,000 चार पहिये वाले वैगनों की सप्लाई की मांग किसके पास विचाराधीन पड़ी है ; और

(ख) उनके द्वारा मांग पूरी न किए जाने के लिये क्या कारण बताये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1-11-72 को मालडिब्बों के बकाया आर्डरों का विवरण दिखाया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3835/72]**

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के मालडिब्बा निर्माण उद्योग को चार पहियों के हिसाब से 32,716 मालडिब्बों के आर्डर दिये गये थे । इनमें से मूल ठेके की शर्तों के अनुसार केवल 3,295 मालडिब्बों की सुपुर्दगी की तारीख बीत चुकी है । मूल ठेके की शर्तों में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख के भीतर इन मालडिब्बों के निर्माण का काम पूरा न कर सकने के जो कारण मालडिब्बा निर्माताओं ने बताये हैं वे इस प्रकार हैं :

(i) इस्पात की अपर्याप्त उपलब्धता ; और

(ii) उनमें से कुछ के मामले में श्रमिक अशान्ति/तालाबन्दी का होना ।

जहां तक बाकी 29,421 मालडिब्बों का संबंध है, ठेके में निर्धारित सुपुर्दगी की तारीख के अनुसार, आर्डरों को पूरा करने के लिए मालडिब्बा निर्माताओं के पास काफी समय बचा हुआ है क्योंकि इन मालडिब्बों की सुपुर्दगी की निर्धारित तारीखें दिसम्बर, 1972 से फरवरी, 1975 तक के बीच पड़ती हैं ।

जहां तक रेल कारखानों को दिये गये 7,919.5 मालडिब्बों के आर्डर का संबंध है, आशा है कि वे क्रमश: निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ये आर्डर पूरे कर लेंगे ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना

2055. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार कितने लोगों को रोजगार दिए जाने की सम्भावना है तथा इस योजना के लिए कितना रुपया नियत किया गया है ; और

(ग) योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस समय मामला किस स्थिति में है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार की गई सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं के गहन अनुसंधानों की एक स्कीम तथा ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षणों की एक स्कीम पहले से ही चालू है ।

1972-73 में इन स्कीमों के लिए क्रमश: 634.5 लाख रुपये और 200 लाख रुपये अलाट किए गए हैं । ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत लगभग 5,850 लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे जिनमें 1150 इंजीनियरी स्नातक और 575 कृषि स्नातक शामिल होंगे । परियोजनाओं को गहन सर्वेक्षण स्कीम से 2,600 इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को रोजगार मिलेगा ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों का अधिग्रहण

2056. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों के अधिग्रहण के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मामले की जांच की जा रही है । इसमें महत्वपूर्ण नीति पहलू सम्मिलित हैं जिसके कारण राज्यों के साथ सलाह की जरूरत पड़ सकती है ।

पांचवीं योजना में नई रेलवे लाइन

2057. **श्री एम० कतामुत्तु :**
श्री वयालार रवि :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना अवधि में कौनसी नई लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है ; और

(ग) इन लाइनों पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पांचवीं योजना अवधि के लिए यातायात की आवश्यकताओं का निर्धारण रेलवे बोर्ड के कार्यकारी दल द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट की जांच के बाद नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

कुवैत द्वारा भट्टी के तेल के ठेका मूल्य को कम किया जाना

2058. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत ने भारत द्वारा आयात किए जाने वाले भट्टी के तेल का ठेका मूल्य घटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितने प्रतिशत कमी की गई है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भारतीय तेल आयोग और कुवैत राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम के बीच कोई दीर्घकालीन समझौता हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). चार वर्षों की अवधि (अर्थात् 1 जनवरी 71 से लेकर 31 दिसंबर 74 तक) में भट्टी के तेल, मिट्टी के तेल तथा लाइट डीजल तेल के आयात के लिए भारतीय तेल निगम ने कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी के साथ एक करार किया था । इस करार में इस उत्पादों के तयशुदा मूल्यों में इन उत्पादों के प्रकाशित दर्जशुदा मूल्यों में हुये परिवर्तन के अनुसार इस अनुबंध के साथ परिवर्तन करने के लिये व्यवस्था की गई है कि यदि प्रकाशित दर्जशुदा मूल्य कतिपय निर्धारित सीमाओं से भिन्न हुये तो दोनों पक्ष स्थिति का पुनरीक्षण करने तथा मूल्य के लिये फिर से बातचीत करने के लिये स्वतंत्र होंगे । सब मिलाकर तयशुदा मूल्य उत्पादों के समय समय पर प्रचलित मूल्यों से मिलते जुलते पाये गये किन्तु इस वर्ष के प्रारंभ में भट्टी के तेल के मूल्यों में तीव्र तथा अप्रत्याशित गिरावट आ गई थी जिसने अस्थाई तौर पर इसके आयात मूल्य प्रचलित मार्किट मूल्य से कुछ अधिक हो गये थे । कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी जुलाई से सितंबर 72 के चतुर्थांश के दौरान सप्लाई किये गये भट्टी के तेल के मूल्य में 7.15 प्रति सैंट के हिसाब से कमी करने के लिए सहमत हो गई थी । तयशुदा मूल्यों को बताना जनहित में नहीं होगा ।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने सम्बन्धी ज्ञापन

2059. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के बारे में 2 अप्रैल, 1972 के व्यापक ज्ञापन की इस बीच जांच कर ली गई है जो कि भूतपूर्व रेलवे मंत्री को भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) इस ज्ञापन में कुछ ऐसे विशिष्ट आरोप हैं जिनका सम्बन्ध सतर्कता से तथा धनबाद मंडल में प्रशासनिक किस्म के कुछ सामान्य मुद्दों से है । जिन आरोपों का सम्बन्ध सतर्कता से है तथा जो रेलों के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, उनकी जांच रेल प्रशासन द्वारा की जा रही है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सम्बन्धित मामले जांच और रिपोर्ट के लिए उक्त ब्यूरो को भेज दिये गये हैं ।

दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के कर्मचारियों को कर्मचारी कल्याण निधि से शिक्षा सहायता देना

2060. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को उनके बच्चों की स्नातक, स्नातकोत्तर तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए कर्मचारी कल्याण निधि से शिक्षा सहायता देता है ;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 में पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के कुछ कर्मचारियों ने कर्मचारी कल्याण निधि से सहायता के लिए आवेदन किया था परन्तु कर्मचारी कल्याण निधि, कलकत्ता के सचिव ने उनके आवेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सम्बन्धित कर्मचारियों को उक्त राशि देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 1970-71 में दानापुर मंडल से 558 अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 426 मामलों में, जिनमें अभ्यावेदन पूर्ण थे और जो पात्र उम्मीदवारों से प्राप्त हुए थे, सहायता की तुरन्त मंजूरी दे दी गयी थी । इनके अलावा, 34 अतिरिक्त मामलों में सहायता की मंजूरी बाद में, अभ्यावेदनों के पूर्ण हो जाने पर दी गयी थी । शेष मामलों में, जो पात्र नहीं थे, सहायता की मंजूरी नहीं दी जा सकी ।

बिहार स्थित आरा-सासाराम लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करना

2061. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दक्षिण शाहाबाद (जिला रोहतास) को उत्तरी शाहाबाद (भोजपुर) को जोड़ने वाली एक मीटर लाइन है जिसे आरा-सासाराम लाइट रेलवे चलाती है ;

(ख) क्या इन स्थानों के बीच आरा-सासाराम लाइट रेलवे ही सबसे छोटा रास्ता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आरा-सासाराम लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). आरा-सासाराम लाइट रेलवे, जो बिहार

के शाहाबाद जिले से गुज़रती है, छोटे आमान की लाइन है तथा आरा और सासाराम के बीच एक मात्र रेल सम्पर्क है।

(ग) जी नहीं।

गैर-सरकारी क्षेत्र से वैगन (माल डिब्बे) बनाने के उद्योग को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

2062. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि रेलवे वैगनों के निर्माण का कुछ भाग अपने हाथ में ले लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत की कमी के संबंध में एक विशेष समिति की स्थापना

2063. **श्री समर गुह :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश पर्यन्त विद्युत की कमी, उसके प्रेषण में खराबी आ जाने तथा उसके बन्द हो जाने की समस्याओं पर विचार करने के लिए योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति का गठन, शक्तियां, कृत्य तथा अन्य निदेशपद क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी, हां।

इस समिति का अध्यक्ष योजना मंत्री है तथा वित्त मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री, इस्पात और खान मंत्री, रेलवे मंत्री और सिंचाई और विद्युत मंत्री इसके सदस्य हैं। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(1) वर्तमान संयंत्रों के समुपयोजन में सुधार लाने के लिए उठाये जाने वाले पग ;

(2) निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रचालन में तेजी लाने के लिए उठाए जाने वाले पग ;

(3) जहां भी आवश्यक हो, बृहद् पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए उठाए जाने वाले पग;

(4) उन परियोजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही जिन्हें पांचवीं योजना में चालू किया जाना है।

मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के लिये बाड़ाचका जल निकासी योजना

2064. **श्री समर गुह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बाड़ाचका क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आने और पानी इकट्ठा होने की समस्या के हल के लिये बाड़ाचका जल निकासी योजना की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर अनुमानतः कितना व्यय आयेगा ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से बाड़ाचका जल निकासी योजना को प्राथमिकता देने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई है और जल निकासी योजना को कार्यरूप देने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बाराचौका निकास स्कीम योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1969 में 32.41 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकार की गई है। इस स्कीम में मिदनापुर जिले में बाराचौका बेसिन में 1800 हैक्टेयर क्षेत्र को राहत देने के लिए एक बटियाखाल में बाराचौका के जल निकास के एक भाग के व्यपवर्तन और बालियाथई नाले के पुनर्रूपण की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ). जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को उनके विचारार्थ इस स्कीम के शीघ्र कार्यान्वयन का सुझाव लिख कर भेजा था। यह स्वीकार करते हुए कि इस स्कीम को तेजी से कार्यान्वित करना लाभप्रद होगा, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चालू योजना में इस स्कीम को हाथ में लेने के लिए उनके पास धन उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल में छोटी लाइन की गाड़ियों को फिर से चलाना

2065. **श्री समर गुह :**
डा० रानेन सेन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में फिर से छोटी लाइन की गाड़ियों को चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य में, बन्द पड़ी छोटी लाइन की गाड़ियों को फिर से चलाने की योजना की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में छोटी लाइन की गाड़ियों को फिर से चलाने के लिए बनायी गयी योजना को कब लागू किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). इन लाइट रेलों को कब और कैसे चलाया जाय, इस प्रश्न का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। इसका निर्णय रेल मंत्रालय और पश्चिम बंगाल द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

रायल्टी और लाभांश के रूप में कोचीन तेलशोधक कारखाने द्वारा फिलिप्स कम्पनी को दी गई बड़ी राशि

2066. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल्टी और लाभांश के रूप में कोचीन तेल शोधक कारखाने द्वारा फिलिप्स को दी गई राशि अन्य तेल शोधक कारखानों के सहयोगियों को दी गई राशि की तुलना में बहुत ही अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या फिलिप्स कम्पनी को रायल्टी के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करने के विरोध में कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार एवं अमरीका की फिलिप्स पेट्रोलियम कं० जिसके पास 26% ईक्विटी है, के बीच हुये फार्मेशन एग्रीमेंट के अनुसार कोचीन रिफाइनरीज द्वारा विदेशी सहयोग कर्त्ताओं को कोई रायल्टी नहीं दी जानी है । तथापि शोधनशाला में इस्तेमाल करने के लिए फिलिप्स पेट्रोलियम कं० से खरीदे गये विस ब्रेकिंग प्रोसेस के लिए एकमुस्त रकम दी गई थी, जो आवर्ती अदायगी नहीं है ।

कोचीन रिफाइनरीज लि० तथा फिलिप्स पेट्रोलियम कं० के बीच हुए टैकनिकल सर्वसिस एग्रिमेंट के अनुसार, फिलिप्स पेट्रोलियम कं० को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए शोधनशाला के चालू होने की तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए प्रति तिमाही 110,000 डालरों, पहले पांच वर्षों के बाद 5 वर्षों की आगामी अवधि के लिए प्रति तिमाही 100,000 डालरों और उपरोक्त अवधि के बाद 5 वर्षों की आगामी अवधि के लिये प्रति तिमाही 90,000 अमरीकी डालरों के हिसाब से तकनीकी सेवाओं की फीस दी जाती है और भारत में तकनीकी सेवाओं के लिए तकनीकी सेवाओं की फीस का हिसाब शोधनशाला द्वारा लिये जाने वाले कच्चे तेल के प्रत्येक बैरल, बशर्ते-कि प्रतिदिन 55,000 बैरलों से अधिक न हों, के लिए 2.6 सैन्ट्स प्रति बैरल की दर से लगाया जाता है ।

कोचीन रिफाइनरीज लि० ने अपनी प्रदत्त ईक्विटी पर अब तक निम्नलिखित लाभांश घोषित किये हैं :

1967-68	21%
1968-69	21%
1969-70	18.6%
1970-71	16%

मद्रास रिफाइनरीज लि० जिसमें प्रत्येक ऐमोको तथा एन० आई० ओ० सी० के० पास 13% ईक्विटी हैं, ने 1971-72 के लिए 9% का प्रथम लाभांश घोषित किया है । लूब इंडिया लि०, जिसमें एस्सो ईस्टर्न इंक के पास 50% ईक्विटी है, ने 1971 के लिए 15% का प्रथम लाभांश घोषित किया ।

(ग) जी नहीं । सरकार को कोचीन शोधनशाला कर्मचारी परिषद के प्रधान से दिनांक 1.2.72 का पत्र जिसमें तकनीकी सेवाओं की फीस का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है । तकनीकी सेवाओं के लिए दी गई फीस पूर्णरूप से कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा फिलिप्स पेट्रोलियम के बीच हुये करार के अनुसार है ।

मतदान आयु को कम करना

2067. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देने के सम्बन्ध में बनाई गयी संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशें भारतीय निर्वाचन आयोग ने अस्वीकार कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए निर्वाचन आयोग ने क्या कारण दिये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) चूंकि निर्वाचन विधि के संशोधनों के बारे में संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर, जो इस समय विचाराधीन है, सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाना है, इसलिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देने की संयुक्त समिति की सिफारिश को निर्वाचन आयोग द्वारा अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्युत सप्लाई में कमी कर देने के कारण भारतीय उर्वरक निगम की नंगल यूनिट में उत्पादन की कमी तथा कार्य के घण्टों की हानि

2068. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की सप्लाई में कमी कर देने के कारण भारतीय उर्वरक निगम की नंगल यूनिट में कुल कितने उत्पादन की कमी हुई है तथा कार्य के कितने घंटों की हानि हुई है ;

(ख) क्या राऊरकेला संयंत्र की तरह, जहां उर्वरक कारखाने के लिये इस्पात कारखाने से स्टीम उपलब्ध हो जाती है, इस कारखाने को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजना का व्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उर्वरक के एक प्रक्रिया उद्योग होने से उत्पादन में कमी तथा कार्य के घण्टों की हानि के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं

है। किन्तु अप्रैल 1972 से अक्तूबर 1972 तक की अवधि के दौरान विद्युत की सप्लाई में कमी कर देने के कारण नंगल में उत्पादन में हुई हानि नाइट्रोजन तथा हैवीवाटर के रूप में क्रमशः 124,00 मीटरी टन एवं 1800 किलोग्राम थी।

(ख) और (ग). नंगल कारखाना बिजली को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। यदि बिजली की आवश्यकताएं पूर्णतया पूरी की जाती हैं तो कारखाना पूर्ण क्षमता पर कार्य करने में समर्थ है। भाखड़ा क्षेत्र में बिजली की अधिक कमी को ध्यान में रखते हुए, कच्चे माल के रूप में ईंधन तेल पर आधारित नंगल कारखाने के विस्तार के कार्य पर विचार किया जा रहा है। विस्तार के कार्यान्वियन से वर्तमान यूनिट की बिजली की आवश्यकताएं धीरे-धीरे कम हो जायेंगी।

तटदूर तेल निकालने में विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में सरकारी अनुमोदन

2069. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटदूर तेल निकालने में विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में सरकारी नीति में कोई परिवर्तन आया है ; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). कई विदेशी कम्पनियों, जिनमें तेल कम्पनियां भी शामिल हैं, ने भारत में तटदूर अन्वेषण में सहयोग के लिये रुचि व्यक्त की है। लेकिन सरकार ने अभी तक तटदूर तेल अन्वेषण में विदेशी सहयोग के बारे में कोई विचार नहीं किया है।

रेलवे आरक्षण को रद्द करने के लिये, लिए जाने वाले शुल्क में वृद्धि

2070. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी श्रेणियों की रेल यात्रा के लिये यात्रियों द्वारा आरक्षित टिकटों के रद्द करवाने के लिये ली जाने वाली शुल्क दर में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्धारित की गई शुल्क दर क्या है और उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें रद्द करने के शुल्क की संशोधित दरें बतायी गयी हैं।

रद्द करने के लिए लिये जाने वाले शुल्क में वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग आरक्षणों को रद्द न करायें क्योंकि ऐसा करने से कभी-कभी गाड़ियों में स्थान खाली रह जाता है।

विवरण

शायिकाओं का आरक्षण कराने के बाद रेल यात्रियों द्वारा यात्रा रद्द करवाने पर उनसे जो शुल्क लिया जाता है उसकी दर 1-10-1972 से इस प्रकार है :

वापस की गयी टिकटों के लिए	रद्द करवाने का प्रति यात्री शुल्क		
(क) यात्रा की तारीख से पांच दिन से अधिक पहले (यात्रा का दिन नहीं गिना जाता)	वातानुकूल	5.00 रु०	
	पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सी	3.00 रु०	
	अन्य दर्जे	2.00 रु०	
(ख) यात्रा की तारीख से 5 से 3 दिन पहले (यात्रा का दिन नहीं गिना जाता)	किराये का 10 प्रतिशत लेकिन निम्नलिखित सीमाओं में :		
		अधिकतम	न्यूनतम
		रु० पै०	रु० पै०
	वातानुकूल	7.50	15.00
	पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सी	5.00	10.00
	अन्य दर्जे	2.50	5.00
(ग) यात्रा की तारीख से दो से एक दिन पहले (यात्रा का दिन नहीं गिना जाता)	किराये का 20 प्रतिशत लेकिन निम्नलिखित सीमाओं में :		
		अधिकतम	न्यूनतम
		रु० पै०	रु० पै०
	वातानुकूल	20.00	40.00
	पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सी	10.00	20.00
	अन्य दर्जे	5.00	10.00

वापस की गयी टिकटों के लिए	रद्द करवाने का प्रति यात्री शुल्क		
(घ) यात्रा के दिन और गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 3 घंटे पहले तक	किराये का 30 प्रतिशत लेकिन निम्नलिखित सीमाओं में :		
		अधिकतम	न्यूनतम
		रु० पै०	रु० पै०
	वातानुकूल	30.00	60.00
	पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सी	15.00	30.00
	अन्य दर्जे	6.00	12.00

2. दूसरे और तीसरे दर्जों में आरक्षित बैठने के स्थानों को रद्द करवाने के लिए लिये जाने वाले शुल्क की दरें इस प्रकार हैं :

(क) यात्रा की तारीख से 3 दिन से अधिक पहले (यात्रा का दिन नहीं गिना जाता)	1.00 रु०
(ख) यात्रा की तारीख से 3 दिन या 2 दिन पहले (यात्रा का दिन नहीं गिना जाता)	2.00 रु०
(ग) यात्रा की तारीख से दो दिन से कम पहले (यात्रा का दिन नहीं गिना जाता) और गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से तीन घंटे पहले तक	3.00 रु०

3. जहां यात्रा की तारीख से तीन दिन से अधिक पहले बैठने के स्थानों के आरक्षण की अनुमति नहीं है वहां रद्द करवाने के शुल्क की दर इस प्रकार है :

(क) गाड़ी छूटने के निर्धारित समय तक :

	रद्द करवाने का शुल्क रु० पै०
वातानुकूल दर्जा	5.00
पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सीयान	3.00
दूसरा और तीसरा दर्जा	2.00

(ख) गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से तीन घंटे बाद तक :

वातानुकूल दर्जा	7.50
पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सीयान	5.00
दूसरा और तीसरा दर्जा	2.50

मध्य प्रदेश में भूमि की सिंचाई

2071. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य में कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी ; और

(ख) गत वर्ष की तुलना में सिंचाई की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). 1972-73 के दौरान मध्य प्रदेश में विकसित होने के लिए प्रस्तावित वृहद् तथा मध्यम परियोजनाओं से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 57000 एकड़ है जबकि यह 1971-72 के दौरान 33000 एकड़ थी।

भूतपूर्व लाइट रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलवे में काम पर लगाना

2072. **श्री राम कुंवर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्टिन बर्न कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली छोटी लाइन की गाड़ियों के बन्द होने के समय तत्कालीन रेल मंत्री ने यह कहा था कि उनके सब कर्मचारियों को भारतीय रेलवे में काम पर लगा दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो लाइट रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलवे में काम पर लगा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे के कर्मचारियों की जांच करने के बाद उन्हें उत्तर रेलवे में नियुक्त कर लिया गया था। 800 व्यक्तियों की जांच की गई थी जिनमें से लगभग 500 ने अपना काम सम्हाल लिया है और शेष या तो काम पर आये नहीं अथवा डाक्टरी परीक्षा में अनुपयुक्त घोषित कर दिये गये।

हवड़ा-आमता और हवड़ा-शियाखाला लाइट रेलों के 1400 व्यक्तियों की जांच की गयी थी, जिनमें से लगभग 1000 ने पहले ही काम सम्हाल लिया है।

बांदी कुई (पश्चिम रेलवे) में गैंगमैनों और इंजीनियरिंग कर्मचारियों की छंटनी

2073. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांदी कुई पश्चिम रेलवे में हाल ही में कितने गैंगमैनों और अन्य इंजीनियरिंग कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) क्या उनकी सेवाएं समाप्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम के सभी उपबन्धों का पालन किया गया था; और

(ग) छंटनी के क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों और एवजी मैंगमैनों की संख्या 28 है।

(ख) जी हां। जहां लागू होते थे।

(ग) निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण के कार्यों में कटौती हो जाने के कारण वे आवश्यकता से अधिक हो गये थे।

Double line between Delhi-Ahmedabad

2074. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to double the Delhi-Ahmedabad Railway line ;

(b) if so, the time by which it is likely to be completed ;

(c) whether Government propose to use the old line of Delhi-Ahmedabad section for laying Railway track between Kotah and Chittorgarh ; and

(d) if so, the time by which it would be completed and whether any scheme has been formulated in this regard ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) There is no proposal to double the remaining single line portions on the Delhi-Ahmedabad Section.

(b) Does not arise.

(c) No.

(d) Does not arise.

पतरातू तापीय बिजली घर की इकाइयां

2075. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :**
श्री सोमचन्द्र सोलंकी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पतरातू तापीय बिजलीघर की कितनी इकाइयां इस समय चालू हैं;

(ख) क्या गत तीन मास में किसी इकाई का काम ठप्प हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 50-50 मैगावाट के चार और 100-100 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिटों में से इस समय 50 मैगावाट का एक और 100-100 मैगावाट के दो यूनिट काम कर रहे हैं। 100 मैगावाट के दूसरे यूनिट के दो वायलरों में से केवल एक बायलर है जो चालू अवस्था में है।

(ख) और (ग). गत 3 महीनों के दौरान, वायलर में यान्त्रिकीय त्रुटि आ जाने के कारण 50 मैगावाट का एक यूनिट टूट गया। इसी अवधि के दौरान 50 मैगावाट के एक और यूनिट पर बड़ा रखरखाव कार्य हो रहा था। 50 मैगावाट के एक और यूनिट के रोटर की हैदराबाद में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० के कारखाने में मरम्मत हो रही है।

डाल्टनगंज में एक शंटिंग गाड़ी द्वारा दस व्यक्तियों की मृत्यु

2076. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 नवम्बर, 1972 को डाल्टनगंज में एक शंटिंग गाड़ी के नीचे आकर 10 व्यक्ति मर गये थे;

(ख) क्या इस दुर्घटना की जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति दी गई है और क्या उनके उत्तराधिकारियों अथवा पात्र आश्रितों को रेलवे में उपयुक्त रोजगार दिया गया था ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). 2-11-1972 को डाल्टनगंज स्टेशन पर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। सम्भवतः आशय उस दुर्घटना से है जो 1-11-1972 को भाबानाथपुर प्राइवेट साइडिंग में हुई थी। उस दिन गाड़ी नं० 2976 डाउन-गढ़वा रोड-चोपन शटल जो बोकारो स्टील लिमिटेड की भाबानाथपुर प्राइवेट साइडिंग की लाइन नं० 1 पर आयी थी, का इंजन लाइन नं० 7 के विस्तारित भाग से 11 बाक्स डिब्बों का आंशिक भार लाया और उसे उसी लाइन पर खड़े 10 बाक्स माल डिब्बों के दूसरे भाग से जोड़ने के लिये आगे गया। चूंकि पहले भाग के अन्तिम और दूसरे भाग के पहले माल डिब्बों के मध्यवर्ती बफर कपलर ठीक तरह से नहीं जुड़ पाये, अतः दूसरा भाग लुढ़कने लगा और उसने पटरी से उतरे हुए टक्कर रोक के पास खड़े एक बाक्स माल डिब्बे को टक्कर मारी फलस्वरूप 10 बाहरी व्यक्ति जो पटरी से उतरे डिब्बे के नीचे अनधिकृत रूप से सो रहे थे कुचल कर मर गये।

(ग) उनके परिवारों को न तो कोई क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है और न उनके आश्रितों को उपयुक्त नौकरी दी गई है।

गुजरात और आसाम के तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल निकालना

2077. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जुलाई मास में गुजरात और आसाम के तेल क्षेत्रों से 6.10 लाख मीटरी टन कच्चा तेल निकाला गया था;

(ख) यदि हां, तो यह मात्रा उसकी मासिक औसत की मात्रा की तुलना में कितनी कम या अधिक है; और

(ग) क्या वर्ष में 75 लाख मीटरी टन के अनुमानित उत्पादन से इस उत्पादन में वृद्धि के रुख का पता चलता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उक्त मास में अशोधित तेल के उत्पादन के वास्तविक आंकड़े 6,08,622 मीटरी टन थे।

(ख) इन आंकड़ों की मासिक औसत के साथ अनुकूल रूप में तुलना हो सकती है।

(ग) जी हां।

बम्बई में एस्सो तथा बर्मा शैल तेल शोधक कारखानों में अप्रयुक्त पड़ी क्षमता

2078. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में एस्सो तथा बर्मा शैल तेल शोधक कारखानों में लगभग 35 लाख मीटरी टन की क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). एस्सो और बर्मा शैल ने दावा किया है कि उनके पास प्रति वर्ष लगभग 2 से 2.5 मिलियन मीटरी टन की अप्रयुक्त क्षमता पड़ी है; जिसका तत्काल प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों विदेशी कम्पनियां अपनी 4.1 मिलियन मीटरी टन संयुक्त लाइसेन्सकृत क्षमता के मुकाबले में प्रतिवर्ष लगभग 6.4 मिलियन मीटरी टन क्षमता पर पहले ही परिचालन कर रही हैं। इन कम्पनियों की शोधनशालाओं में अतिरिक्त क्षमता के प्रयोग के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा अर्थात् जब बम्बई शोधनशालाओं के आर्थिक सप्लाई क्षेत्र में उत्पादों की मांग ऐसे प्रयोग के लिए न्याय संगत होती है।

आई० ओ० डब्ल्यू०, डी० के० जैड में काम करने वाले कर्मचारियों के छुट्टी के लेखे का गुम होना

2079. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ओ० डब्ल्यू०/डी० के० जैड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की छुट्टी का लेखा बहुत समय से गुम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच छुट्टी का लेखा दोबारा तैयार कर लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). 106 में से 74 छुट्टी लेखे खो गये थे और उन सभी को फिर से बना दिया गया है ।

Confirmation of staff working on daily wages

2080. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons who have been working on the Railways on daily wages for the last two years ;

(b) whether Government propose of formulate any scheme for their confirmation ; and

(c) if so, the broad features of the scheme ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) :(a) Casual labourers on works other than projects are given regular scales on completion of six months' service ; only Casual Labourers employed on projects continue on daily wages irrespective of duration. According to available information, about 23 thousand Casual Labourers were employed on daily wages on projects for more than one year as on 31-3-1972.

(b) and (c). All Casual Labourers, on completion of six months' service become eligible for absorption against regular posts subject to their suitability being adjudged by Screening Committees. All Class IV posts are, by and large, filled up from amongst such casual labourers. Once appointed to regular cadre, they are considered for confirmation in their turn.

मैसूर में अपर कृष्णा परियोजना द्वारा सिंचाई

2081. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य में अपर कृष्णा परियोजना के पूरा होने के पश्चात् कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी तथा कितना जल उपलब्ध हो सकेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मूल अपर कृष्णा परियोजना में 6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और 103 टी० एम० सी० के जल समुपयोजन की व्यवस्था थी। फरवरी, 1971 में मैसूर सरकार से प्राप्त संशोधित परियोजना में उतने ही जल समुपयोजन के साथ 14.45 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए सिंचाई की सुविधा का प्रस्ताव रखा गया है।

चौथी योजना में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाना

2082. **श्री झारखण्डे राय :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में अब तक कुल कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाई गई है ; और

(ख) इस बनाई गई सिंचाई क्षमता के उपयोग में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना के विभिन्न वर्षों में बृहद् तथा मध्यम परियोजनाओं से देश में सिंचाई शक्यता और समुपयोजन निम्नलिखित रूप से है :—

	शक्यता	**समुपयोजन**
	(हजार एकड़ों में)	
1968-69 के अन्त तक	8431.23	7051.44
1969-70 के अन्त तक	8930.79	7435.52
1970-71 के अन्त तक	9179.12	7763.15
1971-72 के अन्त तक	9746.30	8273.84
1972-73 के अन्त तक (प्रत्याशित)	10,865.44	9321.54

पाइप लाइन जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन

2083. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टकरु आयोग द्वारा पाइप लाइन जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य विशेष बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). विस्तृत मामले तथा कई पार्टियों के होने के कारण आयोग ने अभी तक जांच पूरी नहीं की है । गत जुलाई में आयोग ने सूचना भेजी थी कि अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए उसे अपने निष्कर्ष पूरा करने और सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कम से कम एक और वर्ष चाहिये, अतः प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय अवधि को 31 अगस्त, 1973 तक बढ़ा देने का अनुरोध किया था । इस बात को मान लिया गया तथा अवधि उस तारीख तक बढ़ा दी गई है ।

भारतीय उर्वरक निगम में खाली पड़े महाप्रबन्धक के पद

2084. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम में पिछले कुछ समय से महा-प्रबन्धकों के नौ पद खाली पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक भरा जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार, केवल वे व्यक्ति जिनके नाम सरकारी उपक्रमों के उच्च पदों के लिए उपयुक्त सूची में दर्ज हैं, महाप्रबंधकों के रूप में नियुक्त किये जाने के योग्य समझे जाते हैं । योग्य आफिसरों को उपयुक्त सूची में लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है । महाप्रबंधकों के रूप में नियुक्त करने के लिए निगम के दो आफिसरों को पेनल में ले लिया गया है ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिए जब पेनल में लिए गये आफिसर उपलब्ध हो जायेंगे तो नियुक्तियां की जायेंगी । इस बीच ऐसे मामलों में कार्य के कुशलतापूर्ण निपटाने के लिए निगम द्वारा स्थानापन्न प्रबंध किये गये हैं ।

केरल और अन्य स्थानों पर वैगन बनाने के कारखाने

2085. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वैगन निर्माण उद्योग की बहुत बड़ी क्षमता के बेकार पड़े रहने के बावजूद केरल तथा अन्य स्थानों पर वैगन बनाने के नये कारखाने खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली से पंजाब को बिजली की सप्लाई

2086. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की कमी है और राजधानी में कुछ समय के लिए बिजली की सप्लाई कम करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली से पंजाब को बिजली सप्लाई करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी नहीं राजधानी में लोड शेडिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, पंजाब, हरियाणा आदि के सहवर्ती राज्यों में बिजली की गम्भीर कमी होने के कारण दिल्ली भाखड़ा से कम बिजली ले रहा है और हरियाणा-पंजाब ग्रिडों को वह बिजली भी दे रहा है जो कि इसको आवश्यकताओं से अधिक है।

हल्दिया तेलशोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाना

2087. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रो-रसायन विकास आयोग ने हल्दिया तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो पहले प्रस्तावित क्षमता क्या थी, विस्तार के बाद क्षमता क्या होगी, तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार ने इस प्रकार का कोई आयोग नियुक्त नहीं किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी 1972 में एक पेट्रो रसायन विकास समिति की नियुक्ति की थी। राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने और बातों के साथ-साथ हल्दिया शोधनशाला का विस्तार करने की सिफारिश की है।

हल्दिया शोधन शाला, जिसकी क्षमता प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन होगी और जिसपर 67.50 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, निर्माणाधीन है और 1973 के अन्त तक इसमें नियमित उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। इस शोधनशाला के कुछ खण्डों के मुख्य उपकरण इस आकार के हैं जिनमें प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल शोधित होगा। यह अनुमान है कि शोधनशाला की क्षमता को 3.5 मिलियन मीटरी टन तक बढ़ाने जो 1976-77 तक आवश्यक होगा, के लिए 7 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के बारे में हल्दिया शोधनशाला के विस्तार से संबंधित एक प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता को जा रही पंजाब मेल को पटना सिटी स्टेशन के पास विस्फोट द्वारा उड़ा देने का प्रयास

2088. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माह सितम्बर, 1972 में पटना सिटी रेलवे स्टेशन के पास कलकत्ता को जा रही पंजाब मेल को विस्फोट द्वारा उड़ा देने का निष्फल प्रयास किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सस्ती बिजली पैदा करने के लिए मैसूर राज्य की योजना

2089. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य में सस्ती बिजली पैदा करने तथा बिजली के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार को एक योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसूर सरकार का अनुमान है कि राज्य को जल-विद्युत् शक्यता 5500 मेगावाट है । उन्होंने इसमें से लगभग 966 मेगावाट का प्रचालन कर लिया है । उन्होंने बताया है कि अब भी 4500 मेगावाट को विकसित करना शेष है । उन्होंने पांचवीं योजना में 1623 मेगावाट की परियोजनाओं का सुझाव रखा है । उन्होंने सुझाव दिया है कि मैसूर को आवश्यकताओं के अतिरिक्त फालतू विद्युत् अन्य राज्यों, जिन्हें विद्युत् की आवश्यकता है, को तापविद्युत् को दरों से पर्याप्त कम दरों पर उस समय तक दी जा सकती है जब तक कि मैसूर में भार का विकास नहीं हो जाता । अन्य राज्यों, जिनमें विद्युत् की आवश्यकता है, में महंगी तापीय यूनिटों पर भारी निवेश करने के स्थान पर यह बेहतर है कि मैसूर में सस्ती जल-विद्युत् परियोजनाओं पर निवेश किया जाए और उनको सस्ती विद्युत् उपलब्ध की जाए ।

5500 मेगावाट के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं । केन्द्र के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मैसूर को यथार्थ जल-विद्युत् शक्यता 60% लोड फैक्टर पर 3.1 मिलियन किलोवाट है । आधार भार को उपलब्ध करने के लिए तापीय विद्युत केन्द्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और किसी भी हालत में मैसूर राज्य में सीमित जल-विद्युत् दक्षिणी क्षेत्र को दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी ।

वर्ष 1972 में तेल की आवश्यकता तथा उसका आयात

2090. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में हमारे देश की तेल की अनुमति आवश्यकता कितनी होगी ;

(ख) 1972 के प्रत्येक देश से कुल कितना-कितना तेल आयात किया गया ; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1972 के दौरान

कच्चे तेल की आवश्यकताओं (शोधनशाला की वास्तविक थ्रूपुट के अनुसार) का अनुमान 19.7 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) और (ग). जनवरी / सितम्बर, 1972 की अवधि के दौरान (ईरान, ईराक तथा सऊदी अरब से) आयातित कच्चे तेल की कुल मात्रा तथा लागत बीमा-भाड़ा क्रमश: 9.1 मिलियन मीटरी टन और 104.97 करोड़ रुपये थे। कच्चे तेल की देश-वार आयात को बताना जनहित में नहीं है।

पश्चिमी रेलवे के रतलाम नीमच सैक्शन में हड़ताल के बारे में गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों से बातचीत

2091. **श्री धर्मगज सिंह :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के रतलाम नीमच सैक्शन में 27 जुलाई, 1972 को स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन ने 10 बजे से लेकर 13 बजे तक हड़ताल रखी और तीन घंटे तक रेलगाड़ी सेवायें बिलकुल बन्द हो गयी थीं ;

(ख) क्या कार्य को पुन: नियमित करने के लिये स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन के अन्य दो सदस्यों के साथ रतलाम के डिवीजनल अधीक्षक द्वारा, बातचीत के लिए बुलाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो रतलाम के डिवीजन अधीक्षक बातचींत के लिए गैर-मान्यता प्राप्त एसोसियेशन के सदस्यों को बुलाकर रेलवे प्रशासन की निर्धारित नीतियों से क्यों हट गये ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में माल और पार्सल की बुकिंग पर रोक लगाने का अधिकार

2092. **श्री धर्म गज सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनल रेलवे में माल तथा पार्सल की बुकिंग पर रोक लगाने का अधिकार किस प्राधिकारी को है ;

(ख) पश्चिम रेलवे में अजमेर डिवीजन के डिवीजनल आपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट ने 19 जून 1972 के अपने तार संख्या टी 215/86 के अनुसार अजमेर डिवीजन के स्टेशनों से 10 बोरियों से अधिक अनाज, दाल, तथा तोरिया की बुकिंग पर रोक लगा दी है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के रोक लगाने के क्या कारण हैं ; और इस प्रकार की रोक पश्चिम रेलवे के अन्य डिवीजन में भी लगाई गई है ; और

(घ) 20 जून से 31 जुलाई तक वर्ष 1971 और 1972 में अनाज, दालों और तोरिया के लदान संबंधी अलग-अलग आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) क्षेत्रीय रेलों के मुख्य परिचालन अधीक्षक और मंडल अधीक्षक।

(ख) जी हां। इस तार के द्वारा जो कुछ लागू किया गया वह एक 'विनियम' था, 'प्रतिबन्ध' नहीं।

(ग) यथार्थ फुटकर यातायात की मदद के लिए, बन्द मालडिब्बों में ले जायी जाने वाली जिन्सों के लिए पूरे मालडिब्बा भार की मांगों के विभाजन को रोकना आवश्यक था क्योंकि वर्षा आरम्भ हो जाने के कारण तथा सीमेंट, सुपरफासफेट और कांडला से उर्वरक यातायात के लिए डिब्बों की भारी मांग के कारण इन डिब्बों की सप्लाई कम थी। ऐसा विनियम अन्य मंडलों द्वारा लागू नहीं किया गया।

(घ) 20.6.72 से 31.7.72 तक की अवधि में अनाज, दालों और तोरिया से 544 माल डिब्बे लादे गये, जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 854 डिब्बे लादे गये थे।

डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, अजमेर द्वारा सवारी गाड़ियों से भेजे गये पार्सलों को निर्दिष्ट स्टेशन से आगे ले जाने की अनुमति देना

2093. **श्री धर्मगज सिंह :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, अजमेर ने 24 जुलाई, 1972 की अपनी टेलीफोन सूचना संख्या डी सी/ 24 के द्वारा सवारी गाड़ियों से भेजे गये पार्सलों को गाड़ी के रुकने के निर्धारित समय में न उतार पाने की दशा में निर्दिष्ट स्टेशन से आगे ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 24 जुलाई, 1972 से 10 अगस्त, 1972 तक तारीखवार शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं और नष्ट न होने वाली वस्तुओं के ऐसे पार्सलों की संख्या क्या है, जिन्हें निर्दिष्ट स्टेशन से आगे ले जाया गया; और

(ग) निर्दिष्ट स्टेशन से आगे ले जाये जाने के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के पार्सलों और निर्दिष्ट स्टेशन पर सर्वथा न मिलने वाले पार्सलों से कितने प्रतिशत हानि हुई ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। वह संदेश यात्री गाड़ियों के समय-पालन में सुधार के लिए जारी किया गया था।

(ख) 24-7-1972 से 10-8-1972 की अवधि में चार बार पार्सल अजमेर से आगे चले गये थे। विवरण इस प्रकार हैं :-

	अतिवाहित पार्सलों की संख्या		
तारीख	**विनाशवान**	**गैर-विनाशवान**	**जोड़**
3-8-1972	2	4	6
4-8-1972	8	34	42
7-8-1972	102	17	119
9-8-1972	—	52	52

सभी अतिवाहित पार्सल अजमेर वापस आ गये । 3-8-1972 और 4-8-1972 को पार्सलों के अतिवहन का कारण यह था कि राजस्थान में गैर-सरकारी परिवहन परिचालकों के हड़ताल के फलस्वरूप अजमेर को बुक किये गये पार्सलों में असाधारण वृद्धि हो गयी थी और 7-8-1972 तथा 9-8-1972 को अतिवहन का कारण ख्वाजा साहिब का उर्स का मेला था ।

(ग) सुपुर्दगी के समय विनाशवान परेषणों की क्षति 15 से 75 प्रतिशत के बीच कूती गयी थी जिसका कुल मूल्य 1467.50 रुपये था । गैर-विनाशवान पार्सलों की कोई क्षति नहीं हुई ।

गाड़ियों की गति बढ़ाना

2094. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी रेल गाड़ियों की गति बढ़ाई गई ;

(ख) उन गाड़ियों के पहुंच समय में औसतन कितनी कमी हुई है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). 1970 से 1972 तक के दौरान जारी की गयी समय सारणियों में कुल लगभग 767 गाड़ियों की रफ्तार 15 मिनट या उससे अधिक बढ़ायी गयी और उनके चालन-समय में 15 मिनट से 240 मिनट तक की कमी हुई ।

(ग) जी नहीं । लेकिन समय-सारिणी परिशोधित करते समय हर बार गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जाता है और यथासाध्य गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी जाती है ।

नई गाड़ियां चलाने से अर्जित लाभ

2095. **श्री वरके जार्ज** :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में देश में चलाई गई नई गाड़ियों के क्या नाम हैं ; और

(ख) ये किन स्थानों पर चलाई गई हैं तथा इनसे कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). 1 नवम्बर, 1972 से लागू समय सारणी में निम्नलिखित नयी गाड़ियां चलायी गयी हैं :

(1) पटना और धनबाद के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां ।

(2) छपरा और वाराणसी के बीच एक जोड़ी सवारी गाड़ियां ।

(3) सिकन्दराबाद और निजामाबाद के बीच एक जोड़ी सवारी गाड़ियां ।

(4) न्यू जलपाइगुड़ी और सिलीगुड़ी के बीच एक जोड़ी शटल गाड़ियां।

(5) कोल्लम से वास्कोडिगामा तक एक सवारी गाड़ी।

इन गाड़ियों से होने वाले संभावित लाभ का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि आय और व्यय के खाते गाड़ीवार नहीं रखे जाते हैं।

गोवा में स्थायी न्यायिक आयुक्त का पद

2096. **श्री दिग्विजय नारायण सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में स्थायी न्यायिक आयुक्त का एक पद है ;

(ख) यदि हां, तो कितने समय से स्थायी रूप से कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं रहा है ; और

(ग) अपर न्यायिक आयुक्तों के कितने पद खाली हैं अथवा उन पर स्थायी रूप से कोई व्यक्ति नहीं हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) यह पद 2 नवम्बर, 1971 को रिक्त हुआ था और वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश को उस तारीख से कार्यकारी न्यायिक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति नियमित न्यायिक आयुक्त के रूप में 26 अक्टूबर, 1972 को अधिसूचित की गई थी।

(ग) एक, किन्तु कार्य के अपर्याप्त होने के कारण, यह विनिश्चिय किया गया है कि इस पद को न भरा जाए।

राष्ट्रीय समिति और भारतीय तेल निगम के भूतपूर्व निदेशक का टकरू आयोग से हटना

2097. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइप लाइन जांच में सहायता करने सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति और भारतीय तेल निगम के भूतपूर्व निदेशक 31 अक्तूबर, 1972 को टकरू आयोग की आगे की कार्यवाहियों से हट गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित प्रतियां संलग्न है ; **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-3836/72]**

(1) पाइपलाइन जांच में सहायता करने संबंधी राष्ट्रीय समिति का दिनांक 31 अक्तूबर 1972 का प्रार्थनापत्र और भारतीय तेल निगम के भूतपूर्व निदेशक श्री अरुणराय चौधरी की परिस्थितियों जिनके अन्तर्गत वह आयोग की कार्यवाही में और भाग नहीं लेंगे ।

(2) आयोग के दिनांक 30-10-1972 और 31-10-72 के आदेश

(3) आयोग के उपर्युक्त तिथियों के आदेश

क्योंकि मामला आयोग के समक्ष न्यायाधीन है और सरकार इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी प्रस्तुत नहीं करना चाहती है ।

Names of Medicines being sold at controlled prices

2098. **Dr. Laxminarain Pandeya:**
Ch. Ram Prakash:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of the medicines being sold at controlled prices at present ; and

(b) the names of medicines which are proposed to be included in this category ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) The medicinal preparations marketed by the drug manufacturing units run to several thousands, and a brochure has been compiled containing a representative list of firms and the formulations produced by them. Copies of this brochure entitled "Price List (of hundred selected pharmaceutical companies) under Drugs (Prices Control) Order 1970" are available in the Parliament Library.

(b) Under the Drugs (Prices Control) Order 1970, the prices of all drugs and medicinal preparations coming under its purview would require Government approval before they are marketed.

अगरतला से त्रिपुरा तक रेल मार्ग के लिए सर्वेक्षण

2099. **श्री दशरथ देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला से त्रिपुरा में सबरूम तक रेल-मार्ग बनाने के लिए सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा में डमबोरो पनबिजली परियोजना पर हुआ व्यय

2100. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री त्रिपुरा में डमबोरो पनबिजली परियोजना का निर्माण पूरा होने में विलम्ब के बारे में 14 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डमबोरो पनबिजली परियोजना पर अब तक कितना धन खर्च हो चुका है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : त्रिपुरा में दम्बोरू जल विद्युत (गुमटी) परियोजना पर अगस्त, 1972 तक 443.85 लाख रुपये व्यय किए गए।

Seniority of Clerks working in Chief Mechanical Engineer's Office, Bombay (Central Railway)

2101. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the seniority of all the Clerks transferred from the Chief Operating Superintendent's Office to the Chief Mechanical Engineer's Office, Central Railway, Bombay in 1964 has been fixed as per rules vis-a-vis the seniority of those clerks who were already working in the Chief Mechanical Engineer's Office, and if so, whether a copy of the seniority list would be laid on the Table of the House ; and

(b) the number of Clerks whose seniority has not been fixed so far and the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). On Central Railway, 4 Clerks of the Chief Operating Supdt's office had been transferred to the Chief Mechanical Engineer's office. Three of them opted for retransfer and were so retransferred. Fixation of seniority of the fourth Clerk is under correspondence between the Central Railway and the Railway Board.

दक्षिण कोरिया में सियोल में एशियाई देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन

2102. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया में सियोल में हाल ही में 14 एशियाई देशों के मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों में सुधार करने के लिए यदि कोई सुझाव दिये गये थे तो वे क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले):(क) और (ख). जी हां। ग्यारह देशों के मुख्य न्यायाधिपतियों और तीन देशों के मुख्य न्यायाधिपतियों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। उसमें दो विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था, अर्थात् (i) विधान का न्यायिक पुनर्विलोकन ; और (ii) किसी एक देश में दिए गए निर्णय का किसी दूसरे देश में निष्पादन ।

(ग) ऐसे कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं ।

रेलवे बोर्ड और राज्य परिवहन निकायों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय

2104. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने विधि मंत्रालय के परामर्श के साथ सड़क तथा रेल परिवहन प्रणाली के बीच अबाधित प्रतियोगिता को विनियमित और समन्वित करने के लिए रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों को राज्य परिवहन निकायों से संबद्ध करने के प्रस्ताव की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है ।

ईराक से आयात किये गये कच्चे तेल का विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा शोधन करना

2105. **श्री अर्जुन सेठी** :
श्री विश्वनाथ झुंझुंनवाला :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक से आयात किये जाने वाले कच्चे तेल का शोधन करने के लिए सरकार ने कुछ विदेशी तेल कम्पनियों को अनौपचारिक रूप से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नये पुल से होकर गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच जल्दी जल्दी शटल सर्विस चालू करना

2106. **श्री सत्य चरण बेसरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली में अन्य सेवाओं में लगे हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गाजियाबाद से जल्दी जल्दी परिवहन सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो नये पुल होकर गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच भीड़ के समय हर 15 मिनट के बाद शटल सर्विस चलाने में क्या कठिनाई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). रेलवे के महानगर परिवहन संगठन द्वारा दिल्ली के अन्दर/चारों ओर व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन किया जा रहा है। इस योजना का ब्यौरा 1973 में उपर्युक्त अध्ययन पूरा कर लिये जाने के बाद ज्ञात होगा।

(ग) इस समय गाजियाबाद-साहिबाबाद खण्ड पर पर्याप्त लाइन क्षमता न होने और दिल्ली क्षेत्र में पर्यन्त सुविधाओं के अभाव के कारण, नये पुल के रास्ते गाजियाबाद और नयी दिल्ली के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

मैसूर को पन-बिजली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

2107. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री पम्पन गौडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने योजना आयोग को यह पेशकश करते हुए लिखा है कि यदि प्रारम्भ की गई पन-बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता दी गई तो वे बिजली के अकाल का सामना करने वाले राज्यों को बिजली उपलब्ध करा सकेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). योजना आयोग से पता चला है कि उन्होंने ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं किया है। बहरहाल, दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति पर मुख्य मंत्रियों की बैठक में हाल ही के विचार-विमर्श के दौरान, जब यह प्रश्न मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों ने उठाया था, उन्हें यह बताया गया कि राज्य में सीमित जल-विद्युत दीर्घकालीन आधार पर दक्षिणी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में ग्रामों को बिजली की सप्लाई

2108. **श्री अरविन्द नेताम :**
श्री गंगा चरण दीक्षित :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे कुल कितने ग्राम हैं जहां अब तक बिजली पहुंचा दी गयी है और ऐसे कुल कितने ग्राम हैं जहां चालू वर्ष में बिजली पहुंचाई जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) :मध्य प्रदेश में 70,414 ग्रामों में से 31-8-1972 तक 8,996 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके थे। 1972-73 के दौरान मध्य प्रदेश के 1000 ग्रामों को बिजली देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इनमें से 209 ग्रामों को 31-8-1972 तक विद्युतीकृत किया जा चुका था।

मध्य प्रदेश के टिम्बर के व्यापारियों को रेल वैगनों की अनियमित सप्लाई

2109. **श्री अरविंद नेताम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के टिम्बर व्यापारियों से रेल वैगनों की अनियमित सप्लाई के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न किस्म के आवश्यक यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप टिम्बर की ढुलाई के लिए अधिक से अधिक माल डिब्बों की सप्लाई के प्रयास किये गये हैं। अप्रैल से अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में मध्य प्रदेश के स्टेशनों से कुल 11,171 माल डिब्बे टिम्बर का लदान हुआ जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 11,119 माल डिब्बों का लदान हुआ था।

पोंग बांध से निकाले गये व्यक्तियों को राजस्थान में बसाना

2110. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1972 तक पोंग बांध क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) से निकाले गये कितने व्यक्तियों को राजस्थान में बसाया जाना था और अक्तूबर, 1972 तक वस्तुत: कितने व्यक्तियों को बसा दिया गया है ; और

(ख) पुनरीक्षित कार्यक्रम के अन्तर्गत निकाले गये सभी व्यक्तियों को राजस्थान में कब तक बसा दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). राजस्थान में जून, 1971 के मध्य तक पोंग बांध के 568 विस्थापितों को भूमि अलाट की गई थी। तबसे इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि भूमि के आवंटन के लिए विस्थापितों की पात्रता से संबंधित कुछ मामलों पर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच मतभेद था। इस संबंध में दोनों राज्यों ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल सचिव, जिसको यह मामला निर्दिष्ट किया गया था, की सलाह मान ली है। राजस्थान सरकार द्वारा इसके बाद बनाये गये भूमि के आवंटन संबंधी नियमों का इस समय वे पुनरवलोकन कर रहे हैं। भूमि आवंटन और विस्थापितों का जाना नियमों के पुनरवलोकन के बाद आरंभ होगा।

Indents pending for Allotment of Wagons for Timber and Charcoal at Beohari, Shahdol, Pali and Umaria

2111. **Shri G. C. Dixit :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a large number of indents for the transport of timber and charcoal are

pending at the Railway Stations between Katni-Bilaspur, Dongargarh-Bilaspur, Raipur-Mahasamund and Dhamtari ;

(b) whether the timber to be supplied to Railways and Defence through DGS&D is held up in the Railway yards of R. S. D. Khapa due to non-availability of wagons ; and

(c) whether a large number of indents placed by the Department for allotment of wagons at Beohari, Shahdol, Pali and Umaria for the movement of charcoal are still pending with the Railways for over three months ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) After loading 4,650 broad gauge wagons during April to October 1972, about 6,000 wagon indents were pending at the end of October 1972, but 3,945 wagon indents were cancelled during the period indicating that all the pending indents are not genuine. On Raipur-Dhamtari narrow gauge section, 722 wagons were loaded and 1,445 wagon indents are pending.

(b) No indent is pending at Khapa station for movement on Railways, Defence or DGS&D account.

(c) Department-wise account of indents is not maintained at stations. However, on 31.10.1972, altogether 68 indents at Umaria, 96 at Shahdol, 36 at Birsinghpur (Pali) and 4 at Beohari were pending for charcoal.

Power Failure in Madhya Pradesh

2112. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received complaints about power failure in some parts of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) No complaint of Power failure in Madhya Pradesh has been received.

(b) Does not arise.

गोआ और पांडीचेरी की बिजली की कमी कार्य को पूरा करना

2113. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1972 को बंगलौर में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था ;

(ख) क्या गोआ और पांडीचेरी की बिजली की कमी को अन्य राज्यों से पूरा करने के सम्बंध में कोई निर्णय लिया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) जी, हां । बैठक 31-10-1972 को हुई थी ।

(ख) और (ग). आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर और तमिलनाडु के चार राज्यों के प्रतिनिधि इस बात पर राजी हो गए थे कि 0.4 मिलियन यूनिट प्रति दिन की कुल ऊर्जा कमी को पूरा कर दिया जाए—गोवा के लिए 0.3 मिलियन यूनिट और पांडेचेरी के लिए 0.1 मिलियन यूनिट ।

'एस्सो' द्वारा ट्राम्बे उर्वरक संयंत्र को कच्चे माल की सप्लाई कम करने की धमकी

2114. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनी 'एस्सो' ने सरकार को नोटिस दिया है कि वह सरकार के स्वामित्व वाले उर्वरक संयंत्र ट्राम्बे को अपनी कच्चे माल की सप्लाई में कमी करेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ट्राम्बे के उर्वरक कारखाने के लिये नेफ्था की सप्लाई के लिये मैसर्स एस्सो ने भारतीय उर्वरक निगम के साथ दो करार किये हैं । 31 जुलाई 1974 को समाप्त होने वाला एक करार प्रतिवर्ष 45,000 मीटरी टन की सप्लाई के लिये है और 31 दिसम्बर 1975 को समाप्त होने वाला दूसरा करार प्रतिवर्ष 32,000 मीटरी टन की सप्लाई के लिये है । करार की शर्तों के अनुसार एस्सो ने 25 जुलाई 1972 को भारतीय उर्वरक निगम को 45,000 मीटरी टन नेफ्था की सप्लाई से संबंधित करार की संक्रिया के लिये दो वर्षों का अग्रिम नोटिस दिया है । तथापि, दोनों करारों के अन्तर्गत सप्लाई की जा रही है । 1 अगस्त, 1974 के बाद प्रतिवर्ष केवल 32,000 मीटरी टन की सप्लाई होगी ।

(ख) और (ग). उन मार्किटों, जिनमें एस्सो द्वारा सप्लाई की जा रही है, में मोटर स्पिरिट के लिये बढ़ती हुई मांग के कारण 1 अगस्त 1974 से नेफ्था की उपलब्धि में पूर्वानुमानित कमी को ध्यान में रखते हुये मैसर्स एस्सो ने भारतीय उर्वरक निगम को संक्रिया का नोटिस दिया है । एस्सो के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि नोटिस एस्सो तथा भारतीय उर्वरक निगम ट्राम्बे के बीच हुये करार के उपबन्धों के अन्तर्गत दिया गया है । सप्लाई के वैकल्पिक संसाधनों द्वारा भारतीय उर्वरक निगम, ट्राम्बे की पूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने के लिये प्रबन्ध किये जाएंगे ।

1972 में कोयला वितरण के लिये वैगनों की सप्लाई

2115. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त रेलव परिवहन कोयला उद्योगों को क्षति पहुंचा रहा है और इससे देश में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है ;

(ख) क्या 1969 से कोयला उद्योगों को वैगन सप्लाई करने में निरन्तर गिरावट आई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जनवरी, 1972 से अक्तूबर, 1972 तक कोयला परिवहन के लिये प्रति मास दिये गये वैगनों की वास्तविक स्थिति क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). 1969-70 से लेकर अब तक विभिन्न कोयला क्षेत्रों से कोयले का दैनिक औसत लदान नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बंगाल-बिहार	अन्य दूरस्थ कोयला क्षेत्र	जोड़
1969-70	6242	1934	8176
1970-71	5542	2015	7557
1971-72	5647	2183	7830
1972-73 (अक्तूबर तक)	5676	2301	7977

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि दूरस्थ कोयला—क्षेत्रों से कोयले का लदान हर वर्ष तेजी से बढ़ता रहा है। पूर्वी अंचल में अनेक समाज-विरोधी गतिविधियों के कारण जिनपर रेलवे का कोई नियंत्रण नहीं था सितम्बर, 70 से बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले के लदान पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1971-72 की अन्तिम तिमाही से कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर जाने के फलस्वरूप इस कोयला-क्षेत्र से कोयले के लदान में भी सुधार होने लगा है।

इस क्षेत्र से कोयले के लदान को और बढ़ाने के लिए भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) जनवरी से अक्तूबर 1972 तक सभी कोयला क्षेत्रों से जितने माल डिब्बों में कोयले का लदान किया गया उनकी दैनिक औसत संख्या नीचे दी गयी है :—

महीना	बंगाल-बिहार	दूरस्थ क्षेत्र	जोड़
जनवरी, 72	5764	2229	7993
फरवरी, 72	5920	2218	8138
मार्च, 72	6072	2280	8352
अप्रैल, 72	5872	2292	8164
मई, 72	5484	2273	7757
जून, 72	5444	2350	7794
जुलाई, 72	5709	2355	8064
अगस्त, 72	5734	2257	7991
सितम्बर, 72	5765	2311	8076
अक्तूबर, 72	*5727	*2269	7996

* अनन्तिम

कच्चे माल सम्बन्धी नीति में परिवर्तन के कारण विटामिन निर्माताओं पर प्रभाव

2116. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अक्तूबर, 1972 के 'इकोनोमिक टाइम्स' बम्बई में मुख पृष्ठ पर "शिफ्ट इन रा मेटीरियल पालिसी-विटामिन मेकर्ज हिट" (कच्चे माल सम्बन्धी नीति में परिवर्तन-विटामिन निर्माताओं को हानि) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संक्षेप रूप से स्थिति यह है कि उस प्रक्रिया से स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल/मध्यवर्ती पदार्थों का प्रयोग करते हुए, सभी औषधि निर्माण करने वाले कारखानों को अधिक मूल अवस्थाओं में विभिन्न औषधियों के उत्पादन को प्रारम्भ करने की उत्तरोत्तर आवश्यकता होती है । इस संदर्भ में नायसीनागाइड (विटामिन ग्रुप में एक औषधि) के उत्पादनकर्ताओं को, आयातित साइनोपाइरीडाइन के बजाय देशीय उपलब्ध पाइकोलाइन पर उत्पादन करने के लिये कहा गया था । साइनोपाइरीडाइन के आयात को प्राप्त करने में कठिनाई एक योग्य विषय था । कई कारखानों ने पाइकोलाइन का प्रयोग करते हुए नाइसीनामाइड के निर्माण को प्रारम्भ कर दिया है । किन्तु क्योंकि इस औषधि के लिये बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त पाइकोलाइन उपलब्ध नहीं थी वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं द्वारा प्रतिबन्धित आधार पर इसके आयात की अनुमति के अतिरिक्त कुछ आयात की राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यवस्था करनी पड़ी थी औषधि नियंत्रण की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न कारखानों को यह आयातित माल उपलब्ध कराया जाता है ।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन को नियंत्रण में लेना

2117. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ती हुई बिजली की कमी के कारण केन्द्रीय सरकार का विचार विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य शीघ्र अपने हाथ में लेने अथवा उनके क्रियान्वयन के लिये सहायता बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) देश में विद्युत-उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई विचार नहीं है । बरहाल, केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं को वित्तीय तथा अन्य सहायता में तेजी लाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिनके कार्यान्वयन में, शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिये, तेजी लाई जा सकती है ।

(ख) आंध्र प्रदेश में लोअर सिलेरू और कोठागुडम परियोजनाओं पर प्रगति में तेजी लाने के लिए ऐसी सहायता देने पर विचार किया जा रहा है ।

"एस्सो" प्रबन्ध कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

2118. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एस्सो' प्रबन्ध कर्मचारी संघ ने अभी हाल में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मांगे की गई हैं; और

(ग) सरकार का उस ओर क्या रवैया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संक्षिप्त रूप में संघ (एसोसियेशन) की मुख्य मांगें ये हैं कि एस्सो के साम्य में सरकार द्वारा 74 प्रतिशत साझेदारी के लिये उनकी मौजूदा पेशकश अथवा तय शुदा आधार पर उसकी परि-सम्पत्ति के विक्रय के बारे में विचार / बातचीत करते समय, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए :—

(i) एस्सो के वर्तमान सभी कर्मचारियों को, पूर्ण एवं अवाध्य नौकरी तथा तुलनात्मक क्षति-पूर्ति मानकों का आश्वासन देना चाहिए ।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि एस्सो की वर्तमान परिसम्पत्ति (उसकी सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए) सम्पूर्णतया सुरक्षित है ।

(iii) कर्मचारियों के हितों पर कुप्रभाव डालने वाले विषयों पर संघ को सरकार तथा एस्सो की बातचीत में भाग लेने की अनुमति हो ।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि एस्सो कर्मचारियों की पेंशन, उपदान आदि जैसी उपलब्धियों की ओर देयताओं की उचित व्यवस्था करेगा ।

(ग) विभिन्न वैकल्पों अर्थात् साम्य साझेदारी, राष्ट्रीयकरण आदि, जिन पर विस्तार रूप में विचार एवं जांच की जा रही है, पर अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात संघ की मांगों के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता तथा उनका उत्पादन

2119. **श्री के० बालदन्डायुतम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता देशी उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं तथा उनके उत्पादन में इस समय कितना अन्तर है;

(ग) क्या पांचवीं योजना अवधि में इस अन्तर के और बढ़ जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

अशोधित तेल				(मिलियन मीटरी टनों में पेट्रोलियम उत्पादन मात्रा)			
वर्ष	उत्पादन	आवश्यकताएं	आयात	उत्पादन	आवश्यकताएं	आयात	निर्यात
1970	6.8	18.5	11.7	17.2	17.6	1.0	41
1971	7.2	19.6	12.7	18.2	19.5	1.9	15
1972 (अनुमानित	7.3	19.7	12.4	17.9	21.8	3.90	—

(ग) और (घ). पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए जिसके 1978 में लगभग 41.6 मिलियन मीटरी टन के होने का अनुमान है। 1978 में 43 मिलियन टन अशोधित तेल को साफ करने के लिए, शोधनशाला क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाने हेतु अस्थायी आयोजन किया गया है। 64 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल के अतिरिक्त प्राप्त निक्षेपों (संचारों) की स्थापना और 1977-78 तक लगभग 8 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल की वार्षिक उत्पादन क्षमता के विकास के विचार से, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने संक्रियाओं की एक पंचवर्षीय योजना (973 से 1977-78) तैयार की है।

आयल इण्डिया लि० को पहले से सौंपे गये क्षेत्रों में अधिक तेल मालूम करने के प्रयास में, उक्त कम्पनी, एक दीर्घ कालीन योजना (1970-74) जिसमें अरुणाचल प्रदेश में तेल का अन्वेषण सम्मिलित है, के आधार पर कार्य कर रही है।

Goods Traffic by transport policy affected States

2120. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway goods traffic has been affected by the transport policy of States ;

(b) if so, the extent of effect on Railway goods traffic during the last two years ; and

(c) the steps taken by Railway Department to make good the loss ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes, to a certain extent. Railways losing some traffic to road transport has to be judged in the context of certain inherent advan-

tages which the road transport enjoys over rail. While efforts are being made to achieve maximum possible rail-road coordination, some competition between rail and road transport over certain parallel routes and in respect of certain high rated commodities exists. The road transport, by virtue of its ability to pick and choose the commodities, to vary rates at will, non-handling of goods **enroute** and rendering of door to door service, is in an advantageous position. This has resulted in diversion of some traffic from rail to road.

(b) The extent of diversion from rail to road cannot be quantified.

(c) Steps taken by the Railways to attract more high-rated goods traffic are as under :

(i) Keeping close liaison with the industry and trade through Marketing and Sales Organization set up on each Railway.

(ii) Introduction and expansion of Container Services with a view to provide door-to-door service and with less packing cost to the customer.

(iii) Introduction and expansion of freight forwarder services for collection of small consignments and providing an integrated rail-cum-road service.

(iv) Introduction of Quick Transit Service between specific pairs of stations with guaranteed transit time.

(v) Operation of Street Collection and Delivery Services in important cities.

(vi) Drive against thefts and pilferages of goods.

Legislation to Prohibit Polygamy

2121. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to make law to prohibit polygamy in the country ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No such proposal is under consideration at present. However, polygamy is already prohibited under the Indian Christian Marriage Act, 1872 (section 60), the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936 (section 5), the Special Marriage Act, 1954 (section 44), and the Hindu Marriage Act, 1955 (section 17).

(b) Does not arise.

Rural Electrification Schemes in States

2122. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the criteria adopted by the Central Government in sanctioning schemes for rural electrification in the States ; and

(b) the nature of exemption given in this regard to the backward areas affected by drought every year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b). The emphasis during the Fourth Plan continues to be on the energisation of pump-

sets. The electrification of villages is a subsidiary part of this programme. Additive finances in the form of long term loans at low rates of interest are provided by the Central Government through the Rural Electrification Corporation for rural electrification schemes of State Electricity Boards. Is pursuance of the directives issued by the Government of India, the Corporation has worked out norms of economic viability which are required to be satisfied by schemes financed by the Corporation. Such rural electrification schemes should promote general economic development in an area by stimulating increased agricultural production and growth of rural industries, should be based on the project approach with emphasis on electrification of agricultural pumpsets, should yield an adequate return on investments. Loans on concessional rates of interest with longer periods of repayment are given. In respect of schemes in backward areas and under-developed hill/desert/tribal areas longer periods are also allowed for achieving the minimum rates of returns from the scheme. Susceptibility of an area to drought is one of the factors taken into account in determining whether the scheme falls within the category of backward areas.

उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय के टी० आर० ए० और कोचिंग सेक्शन (ओ० पी० टी० जी०) के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

2123. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय के टी० आर० ए० और कोचिंग सेक्शन (ओ० पी० टी० जी०) के कर्मचारियों को अपने कार्य निष्पादन में जनता से सम्पर्क रहता है ;

(ख) क्या इस सेक्शन में कार्य करने वाले अधिकांश कर्मचारी तीन वर्ष की अधिक अवधि से वहीं कार्य कर रहे हैं और क्या उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). टी० आर० ए० और कोचिंग सेक्शन में अधिकांश कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं। थोड़े से कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और जांच के बाद यथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पन बिजली घरों द्वारा बिजली का उत्पादन

2124. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली के उत्पादन के लिये देश मुख्यत: पन-बिजली क्षमता पर निर्भर करता है ;

(ख) क्या वर्षा के अभाव की स्थिति में पन बिजली घरों द्वारा बिजली के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या तापीय और आणविक साधनों के अलावा बिजली के उत्पादन करने का कोई वैकल्पिक साधन पता लगाने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इस प्रकार देश में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 42% इस समय जल संसाधनों से होता है।

(ख) जी, हां। किसी भी वर्ष वर्षा की कमी जल विद्युत की उपलभ्यता को प्रभावित करती है।

(ग) बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिये तापीय अथवा परमाणु स्रोतों के अलावा विद्युत उत्पादन के कोई और वैकल्पिक स्रोत तकनीकी रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

Delhi School Teachers' pay scale for Railway run School Teachers

2125. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry had taken a decision that the pay scales of the Railway Teachers should be at par with the pay scales of the Teachers of the Delhi Schools ;

(b) whether the pay scales of the Railway Teachers have not so far been raised to the level of pay scales of Delhi Teachers ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) The scales of pay adopted by the Ministry of Education for the schools in the Centrally administered areas are generally adopted for Railway schools also.

(b) and (c). On the basis of two revisions made by the Ministry of Education in respect of School Teachers in the Centrally administered areas, the scales of pay of Railway School Teachers have also been revised upward twice in the years 1969 and 1970 respectively. In regard to the third revision, it has been decided to await the report of the Third Pay Commission which is expected shortly.

विदेशों में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के लिये भारतीय तकनीकी जानकारी

2126. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्य विकासशील देशों को, अपने राष्ट्रीय तेल उपक्रम स्थापित करने तथा विदेशी एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता प्रदान करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारत ने विदेशी सहयोग द्वारा तेल-शोधक उपक्रम स्थापित करने तथा लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये अपने विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किये ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). भारत ने विशेष रूप से भूमि पर तेल अन्वेषण के क्षेत्र में, शोधनशालाएं स्थापित करने और वितरण एवं विक्रय कार्यों के प्रबन्ध करने में पर्याप्त प्रगति की है और उन विकासशील देशों जो इन क्षेत्रों में मिलकर काम करने के इच्छुक हों, से सहयोग करने के लिए सहमत होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारतीय तकनीकी व्यक्ति इस समय कुवैत तथा श्री लंका की सरकारी स्वामित्व की शोधनशालाओं में कार्य कर रहे हैं।

उर्वरक का उत्पादन और उद्योगों की स्थापना

2127. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या चौथी योजना के दौरान और अधिक उर्वरक कारखाने स्थापित करने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कारखानों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या ये सभी सरकारी क्षेत्र में खोले जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना द्वारा और जहां कहीं सम्भव हो वर्तमान संयंत्रों के विस्तार द्वारा देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए क्षमता को बढ़ाने हेतु उपाय अपनाये गये हैं अथवा अपनाये जा रहे हैं। ये उन उपायों के अतिरिक्त हैं; जो वर्तमान कारखानों में उत्पादन को बढ़ाने के लिये सतत आधार पर अपनाये जा रहे हैं।

(ख) से (घ). इस समय वर्तमान 3 कारखानों के विस्तार को सम्मिलित करते हुए 14 उर्वरक प्रायोजनाओं का कार्यान्वियन किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में 3 और प्रायोजनाएं और गैर सरकारी क्षेत्र में एक और प्रायोजना के शीघ्र ही कार्यान्वियन किये जाने की आशा है। इस समय कार्यान्वियनाधीन प्रायोजनाओं में से 4 गैर सरकारी क्षेत्र एक सहकारी क्षेत्र तथा शेष सरकारी क्षेत्र में हैं।

बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश को बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए राशि का आवंटन

2128. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को बिजली उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ राशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन तीन राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना में राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में राज्यों को दी जा रही है। विद्युत उत्पादन तथा सप्लाई बढ़ाने के लिये बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों को 1972-73 के दौरान योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता से अधिक कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई है। संतालडीह, पथरातू और ओब्रा के प्रचालन में तेजी लाने के लिये अतिरिक्त राशि देने के प्रश्न पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पठानकोट–जम्मू लाइन पर यात्री यातायात

2129. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट-जम्मू रेल लाइन को निकट भविष्य में यात्री यातायात के लिए खोला जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को कब तक यातायात के लिए खोला जायेगा ; और

(ग) इससे पठानकोट तथा जम्मू के बीच यातायात अवस्था में क्या सुधार होगा ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) 2-12-72 से।

(ग) पठानकोट होती हुई जम्मू तक आने-जाने वाली 33/34 कश्मीर मेल और जम्मू-पठानकोट के बीच प्रस्तावित एक जोड़ी यात्री गाड़ियों के चलने से पठानकोट और जम्मू के बीच के यातायात के लिए सीधी रेल-यात्रा की सुविधा हो जायेगी।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का विश्व न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में चुना जाना

2130. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त विश्व न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुन लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह अपने नये पद का कार्यभार कब तक सम्भालेंगे ; और

(ग) उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वर्तमान पद धारक, डा० नगेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित कर लिए गए हैं।

(ख) ऐसी सम्भावना है कि वह 1973 के आरम्भ में अपने नए पद का भार ग्रहण करेंगे।

(ग) आशा की जाती है कि उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति ठीक समय पर कर दी जाएगी, जिससे डा० नगेन्द्र सिंह के पद-त्याग करने के पश्चात् वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का भार ग्रहण कर सकें।

दिल्ली-अहमदाबाद मेल गाड़ियों में नये शयन-यान लगाना

2131. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मीटर गेज लाइन में 1-अप तथा 2-डाउन दिल्ली अहमदाबाद मेल गाड़ियों में नया शयन-यान लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह शयन-यान वर्तमान शयन-यानों के अतिरिक्त होगा ;

(ग) वर्तमान यानों की तुलना में नये यानों की विशेषतायें क्या हैं ; और

(घ) क्या उक्त प्रकार के यान देश में अन्य मेल गाड़ियों में भी जोड़े जायेंगे ; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों और लीवरमैन को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना

2132. **श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में वर्ष 1968 और 1969 से अनेक स्टेशन मास्टरों और लीवरमैन को समयोपरि भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनको समयोपरि भत्ते की कितनी राशि का भुगतान किया जाना है ; और

(घ) इस विलम्ब को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है और इस समयोपरि भत्ते का भुगतान उनको कब तक कर दिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इलाहाबाद मंडल के सहायक स्टेशन मास्टरों और लिवरमैनों को 1968 और 1969 वर्षों के समयोपरि भत्ते के कोई बिल भुगतान के लिए बाकी नहीं पड़े हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे तेल की सप्लाई के लिए नाइजेरिया का प्रस्ताव

2133. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में नाइजेरिया सरकार से भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्ताव की जांच अब कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

"ओन योअर कंटेनर्स" योजना को चलाया जाना

2134. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने "ओन योअर कंटेनर्स" नामक योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और यह योजना कब आरम्भ की जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) योजना का संक्षेप नीचे दिया गया है :—

(i) कंटेनर रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कंटेनरों का उपयोग करने वालों को भाड़ में छूट दी जायेगी ।

(ii) कंटेनरों के आमाम और अभिकल्प का अनुमोदन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।

(iii) कंटेनरों की गारंटीशुदा सप्लाई ।

(iv) यह योजना प्रारम्भ में उन्हीं स्टेशनों के बीच लागू की जायेगी जहां कंटेनर सेवाएं पहले से चल रही हैं ।

कुछ व्यवसायों और उद्योगों से प्राप्त मांगों पर विचार किया जा रहा है । उनके साथ शर्तों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद यह योजना लागू की जायेगी ।

नर्मदा के पानी को उपयोग में लाने के लिए नवगाम के बांध की ऊंचाई

2135. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** :
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा के पानी को उपयोग में लाने के लिये नर्मदा नवगाम में बांध की ऊंचाई के प्रश्न पर विचार कर लिया है जैसा कि गुजरात तथा मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा सुझाव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). संबंधित मुख्य मंत्रियों के बीच यह समझौता हो गया है कि वे नवगाम बांध की ऊंचाई के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के फैसले को मान लेंगे । उम्मीद है कि फैसला दो महीनों में उपलब्ध हो जाएगा ।

संवैधानिक विधि और संसदीय संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में डिप्लोमा के लिए स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम

2136. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्था संवैधानिक विधि और संसदीय संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में डिप्लोमा के लिए कोई स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम चला रही है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संस्था द्वारा अन्य कौन कौन से पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्था द्वारा (i) संवैधानिक विधि तथा (ii) संसदीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में डिप्लोमा के लिए संचालित किया जाने वाला स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम मार्च, 1973 से प्रारम्भ होकर अगस्त, 1973 तक समाप्त होगा। पाठ्यक्रमों के ब्यौरे संस्था द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) (i) संवैधानिक विधि तथा (ii) संसदीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम शाम के समय कक्षाओं में चलाया जा रहा है ।

उड़ीसा में बालीमेला जल-विद्युत् परियोजना के लिए सहायता

2137. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को बालीमेला जल-विद्युत् परियोजना के लिये कितनी सहायता प्रदान की है ;

(ख) परियोजना के निष्पादन में अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने परियोजना के लिये 4 करोड़ रुपये के विशेष नियतन का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चतुर्थ योजना के आरम्भ तक बलिमेला परियोजना को 10.24 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। चतुर्थ योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता उनके सम्पूर्ण योजना परिव्यय के प्रति ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जा रही है, न कि किसी विशेष परियोजना के लिए।

(ख) सिविल कार्य काफी प्रौढ़ अवस्था में है। प्रथम तथा द्वितीय टर्बाइन यूनिट का प्रतिष्ठापन कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रथम तथा द्वितीय यूनिटों के जनित्रों तथा अन्य विद्युतीय कार्यों का प्रतिष्ठापन कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने 1972-73 के दौरान परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध किया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

Foreign Orders placed on Government for Railway Bogies

2138. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of foreign orders placed on Government for Railway bogies during 1970-71 and 1971-72 ;

(b) the names of the countries from which these orders were received ; and

(c) the time by which the Railway bogies are likely to be supplied and the amount of foreign exchange which would be earned thereby ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c). No foreign orders for supply of coach bogies were received during 1970-71 and 1971-72.

But Integral Coach Factory had manufactured and supplied between Jan. '70 and March'70 bogies against earlier orders, 100 Nos. to Taiwan and 45 Nos. to Thailand at a total cost of Rs. 31.42 lacs. Also, an export order for 113 complete railway coaches received in Sept. 70 from Taiwan was completed and supplied by Oct. '71 by this Factory. At present, this Factory is engaged in completing an order for six coaches for Zambia received in February '72.

Shortage of Cement and Coal in Delhi due to Wagon Shortage

2139. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the non-supply of wagons by the Railways in time is the only cause of shortage of cement and coal in Delhi ; and

(b) if so, the efforts being made by Government to remove this difficulty ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). The quantity of cement that actually moves into Delhi, or, for that matter to any other place depends on the programme of despatch of different cement factories. The Railways have no difficulty in moving the required quantity of cement into Delhi and whenever any special assistance was required from the Railways in moving more quantities of cement than normal into Delhi, this assistance has been given.

Movement of coal is undertaken on the basis of sponsorship done by the Delhi Administration. Movement of slack coal and soft coke to Delhi has been more during April to October this year as compared to last year as may be seen from the following figures.

(in four-wheelers)

	Soft Coke	Slack Coal
April-October, 1972	9278	3835
April-October, 1971	7851	3023

Constant efforts are being made to improve the loading further.

ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत झांसी जिले में दोषपूर्ण पाइपों का उपयोग

2140. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'ब्लिट्ज' दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 में "रूपीज 50 लैख लीक

डाउन दी डिफैक्टिव पाइप्स", शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बैंजनाथ कुरील) : (क) और (ख). यह प्रश्न स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय से संबंधित है । सूचना उनके द्वारा एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Setting up of a Project for Protection of People from Sea Erosion by Burhi Gandak River

2141. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether in spite of his personal visit to the site and despite his talks with the Chief Engineer of Bihar, no progress has been made on the project to protect the people from soil erosion by Burhi Gandak river near Bariyarpur in Motipur (Muzaffarpur) area ; and

(b) if so, the reasons therefor and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) and (b). The scheme for checking the erosion by the Burhi Gandak near Bariyarpur is to be finalised on the basis of the results the model studies recommended by a Sub-Committee headed by the Adviser, Central Board of Irrigation and Power. The State Government of Bihar have informed that the results of the model studies carried out at the Hydraulic Research Station, Patna were communicated to the Sub-Committee for their advice in July, 1972 and that the replies received from the Committee members are now under study. In the meantime, a retired embankment has been constructed in the vulnerable reach for protecting the area from inundation.

Bihar Government Demand for Railway Connection between Gua and Manoharpur

2142. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any demand has been made by Bihar Government for connecting Gua and Manoharpur, both mineral fields by a Railway line;

(b) if so, the reasons for not taking any action in this regard so far ;

(c) whether Government propose to construct a Railway line between Gua and Manoharpur mines during the Fifth Five Year Plan ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) A Study Team has been appointed for the development of the ore deposits in the Malangtoli Block. Decision regarding the construction of new lines in this area will be taken after the specific recommendations of the Study Team become known.

(c) and (d). Formulation of the Fith Five Year Plan has not yet been finalised.

Bihar Government request for Railway lines in Singhbhumi and Shahabad Districts

2143. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have not acceded to the demand made by the Government of Bihar for laying new Railway lines in Singhbhumi and Shahabad Districts of Bihar where rich deposits of iron ore and pyrite and limestone exist ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). So far new Railway lines in Singhbhumi District are concerned it may be mentioned that a Study Team has been appointed for the development of the ore deposits in the Malangtoli Block. A decision regarding the construction of new lines in this and surrounding areas will be taken after the specific recommendations of the Study Team become known.

In the District of Shahabad a proposal for a new B. G. line from Dehri-on-Sone to Amjhore/Banjari was considered earlier. Engineering and Traffic Surveys carried out revealed that this 36.20 kms. line will cost Rs. 2.58 crores. In this connection a reference was made to the Planning Commission who have advised that the provision of a B. G. line from Dehri-on-Sone to Amjhore/Banjari may be kept in abeyance till the question of Sindri expansion is settled by the Committee appointed for the purpose. Further advice from the Planning Commission is awaited.

Railway line from Hajipur to Motihari or Sagauli Via Lalganj, Sahaganj (North Eastern Railway)

2144. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for which Government are not considering the techno-economic aspects and also public interest in respect of laying a Branch line connecting Hajipur with Motihari or Sagauli via Lalganj, Sahaganj, Kessaria, Sangrampur and Oraj on North Eastern Railway, despite the fact that attention has been drawn to the problem in the House time and again ;

(b) whether this Branch line would prove uneconomic to Government ; and

(c) if not, the time by which a survey of this line is proposed to be conducted ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) to (c). Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, the suggested rail link is not likely to merit priority for consideration in the near future. The proposal for its construction may have to await better times for consideration, when so warranted by major developments, growth and pattern of traffic in this sector.

रेलवे कैन्टीन (पूर्वी रेलवे) द्वारा घटिया खाना सप्लाई करना

2145. **श्री राम भगत पास्वान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे की कैन्टीन अधिक पैसे लेने के बावजूद भी घटिया खाना सप्लाई करती है ;

(ख) खरीदारों को ताजा बने चावल, रोटी तथा अन्य सामान सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है और 1968 से लेकर अब तक इस सम्बन्ध में कितने लाइसैंसधारियों को दण्ड दिया गया ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). ग्राहकों को कम से कम मूल्य पर ताजा और पौष्टिक भोजन देने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। फिर भी भोजन की खराब क़िस्म के बारे में कुछ शिकायतें मिल जाती हैं।

(ग) रेलों में खान-पान का स्तर सुधारने के लिए उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(i) भोजन और सेवा का अच्छा स्तर सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और निरीक्षकों के खान-पान यूनिटों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है ;

(ii) विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर जांच की जाती है और दोषी ठेकेदारों या विभागीय खान-पान कर्मचारियों को दण्डित किया जाता है ;

(iii) विभागीय खान-पान यूनिटों के लिए अच्छी किस्म के कच्चे माल की खरीद और सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न सम्मिश्रणों का अनुपात निर्धारित करते हुए विस्तृत हिदायतें जारी की गयी हैं ;

(iv) विभागीय खान-पान स्थापनाओं में नियुक्त कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध किये गये हैं ;

(v) नयी दिल्ली और बम्बई के बीच फ्रंटियर मेल गाड़ियों पर, स्थिर यूनिटों से पका भोजन लिया जाता है और उन्हें गर्म डिब्बों में इकट्ठा करके पेंट्री कार द्वारा ग्राहकों को दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण गाड़ियों में ऐसी ही प्रणाली क्रमशः चालू करने का प्रस्ताव है। 1968 से अब तक, खराब किस्म का भोजन देने के लिए पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा ठेकेदारों पर 27 मामलों में जुर्माना किया गया और 51 मामलों में चेतावनी दी गयी।

पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना

2146. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना केन्द्र द्वारा अनुमोदन न किये जाने के कारण पिछड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका अनुमोदन न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त तीस्ता बराज परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा जांच की जा चुकी है और उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं। इन टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

जल संसाधनों संबंधी विधान

2147. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
डा० गोविन्ददास रिछारिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जल संसाधनों के बारे में कोई केन्द्रीय विधान इस सत्र में प्रस्तुत करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). कृषि तथा आर्थिक विकास में जल के बढ़ते हुए महत्व के साथ, बेसिन राज्यों द्वारा प्रयोग की वर्तमान सीमित धारणा की जगह क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आधार पर जल संसाधनों के आयोजन तथा विकास की आवश्यकता अधिकाधिक महसूस होती जा रही है। विधिक विचारधाराओं समेत इस नई पहुंच के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि प्रस्ताव तैयार करने के लिए और समय लगेगा।

Direct Recruitment of Scheduled Castes in Railway Education Institutions

2148. **Shri Chattrapati Ambesh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question No. 6713 on the 3rd August, 1971, Unstarred Question No. 1200 on the 23rd November, 1971 and Unstarred Question No. 1390 on the 28th March, 1972 regarding the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Teachers in the Railway Schools and Colleges and state :

(a) whether Government propose to make direct recruitment or bring persons on deputation from Centrally administered Territories, in order to complete the quota reserved for Scheduled Caste candidates in the posts of Principal, Headmaster and Post-graduate teachers in the schools run by Railways ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). In accordance with the recruitment rules, the posts of Principals, Headmasters and Postgraduate teachers are filled by promotion. Direct recruitment is resorted to only in cases where suitable persons are not available for promotion in the lower grades. No proposal for direct recruitment of Principals, Headmasters and Post-graduate teachers or bring persons on deputation from Centrally administered Territories is at present under consideration. When direct recruitment to the posts is made, reservation of vacancies for Scheduled Castes/Scheduled Tribes is made according to rules.

बिजली की सप्लाई के लिये राज्यों के ग्रिडों को जोड़ने हेतु कार्यक्रम

2149. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति में बिजली की सप्लाई को बढ़ाने के लिए राज्य ग्रिडों को जोड़ने हेतु कोई निश्चित कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जैसा कि 9 मई, 1972 को लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 758 के उत्तर में बताया गया था, आपत्कालीन अवधि के दौरान सहायता लेने के लिए तथा उपलब्ध उत्पादन क्षमता के उपयोग को अधिकतम करने के लिए राज्यों को विद्युत् प्रणालियों के अन्तः सम्पर्क को धारणा पहले ही मान ली जा चुकी है और कई अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनें निर्मित की जा चुकी हैं।

(ख) ग्रिड प्रणालियों के प्रतिष्ठानों में अब तक की गई प्रगति और इससे प्राप्त लाभ नीचे दिए जाते हैं :–

पंजाब और हरियाणा प्रणालियां आपस में भाखड़ा प्रणाली के अन्तर्गत 220 के० वी० पारेषण लाइनों से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली विद्युत् प्रणाली 220 के० वी० गंगवाल-रोहतक रोड लाइन के जरिए भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड प्रणाली से 85 मैगावाट बिजली ले रही है। हिसार-बल्लभगढ़-दिल्ली 220 के० वी० लाइन के पूर्ण होने पर दिल्ली प्रणाली अब भाखड़ा प्रणाली के बराबर चल रही है। राजस्थान हिसार से खेतरी तक 220 के० वी०/एस/सी लाईन और हिसार से राजगढ़ तक 132 के० वी० एस/सी लाइन के जरिए भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड प्रणाली से जुड़ा हुआ है, इन लाइनों से क्रमशः लगभग 50 मैगावाट और 20-40 मैगावाट बिजली ली जा रही है। मुरादनगर से दिल्ली तक एक 220 के०-वी० लाइन जनवरी, 1970 में चालू की गई थी और उत्तर प्रदेश इस लाइन से दिल्ली प्रणाली से लगभग 35 मैगावाट बिजली ले रहा था।

गुजरात और पश्चिमी महाराष्ट्र विद्युत् प्रणालियां आपस में तारापुर परमाणु विद्युत् केन्द्र के रास्ते 220 के० वी० लाइन के जरिए जुड़ी हुई है और गुजरात तारापुर परमाणु विद्युत् केन्द्र से इस लाइन पर बिजली लेता है। चन्दनी (मध्य प्रदेश) और भुसावल (महाराष्ट्र) को जोड़ने वाली एक सर्किट स्ट्रंग के साथ डी/सी खम्भों पर 132 के० वी० एस/सी लाइन 1969 में चालू की गई थी। दूसरा सर्किट फरवरी, 1972 में चालू किया गया था।

दक्षिणी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में उनको अपनी अपनी प्रणालियों में एकीकृत ग्रिड पहले से ही विद्यमान् हैं। मैसूर और तमिलनाडु विद्युत् प्रणालियों को जोड़ने वाली बंगलौर से सिंगारपेट तक 220 के० वी० एस/सी लाइन नवम्बर, 1965 में चालू की गई थी और तमिलनाडु प्रणाली को मैसूर प्रणाली से, जब भी सम्भव होता है, 150 मैगावाट बिजली दी जा रही है। प्रम्बा (केरल) और मदुराय (तमिलनाडु) के बीच 220 के० वी० सम्पर्क 1969-70 में चालू किया गया था और तमिलनाडु लाइन पर केरल से 100 मैगावाट बिजली ले रहा है। मंगलौर (मैसूर) से कसारगोडे (केरल) तक एक 110 के० बी० एस/ सी० लाइन अक्तूबर, 1966 में चालू की गई थी और तब से केरल राज्य कसारगोडे-गन्ना क्षेत्र में विद्युत् की मांगों को पूरा करने के लिए मैसूर से बिजली ले रहा है। मुरादाबाद से हाम्पी तक 220 के० वी० एस०/सी० लाइन 1970 में पूरी की गई थी और आंध्र प्रदेश इस लाइन पर 70-110 मैगावाट बिजली ले रहा है। चित्तूर (आंध्र प्रदेश) से कटपड्डी (तमिलनाडु) तक 220 के० बी० एस०/ सी० लाइन पूरी हो गई है।

पूर्वी क्षेत्र में विविध विद्युत् प्रणालियां पहले ही 132 के० वी० लाइनों द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं। बिहार, चांदिल (दामोदर घाटी निगम) से राजखरसावन (बिहार) तक 132 के० वी० एस०/सी० लाइन के जरिए दामोदर घाटी निगम से 50 मैगावाट बिजली ले रहा है। दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) से दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम) तक 132 के० वी० डी/सी० पर पश्चिम बंगाल

के साथ विद्युत् सप्लाई विनिमय कर रहा है । बिहार, केदपोसी (बिहार) से जोड़ा (उड़ीसा) तक 132 के० वो० एस०/सी० लाइन उड़ीसा से 20 से 40 मैगावाट तक और रूरकेला-गायलकेरा 132 के० वी० एस० / सी० लाइन पर लगभग 10 मैगावाट विद्युत् प्राप्त कर रहा है ।

असम, गोलाघाट और दीमापुर को जोड़ती हुई 66 के० वी० लाइन द्वारा नागालैंड को विद्युत् सप्लाई कर रहा है ।

बदरपुर से अग्रतला (त्रिपुरा) तक 132 के० वो० एस० /सी० का बदरपुर-धर्मनगर सैक्शन पूर्ण हो गया है और 33 के० वी० पर चार्ज हो गया है ।

रिहन्द और बिहार / दामोदर घाटी निगम प्रणालियां, रिहन्द (उत्तर प्रदेश) से बारुण (बिहार) तक एक 132 के० वो० डबल-सर्किट लाइन द्वारा आपस में जुड़ी हुई है । उत्तर प्रदेश प्रणाली, मुगल-सराय से करमनासा तक 132 के० वी० डी० / सी० लाइन द्वारा बिहार / दामोदर घाटी निगम प्रणाली के साथ आपस में जुड़ी हुई है । पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र के साथ कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से बेलगाम (मैसूर) तक 220 के० वी० लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र में गोआ, दक्षिणी क्षेत्र में मैसूर के साथ पोंडा और डंडेली के बीच 110 के० वी० लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है जिसके जरिए गोआ लगभग 17 मैगावाट बिजली मैसूर से ले रहा है । उत्तर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश से लगभग 70 मैगावाट बिजली मोर्वा (मध्य प्रदेश) से रिहन्द (उत्तर प्रदेश) तक 132 के० वी० लाइन से ले रहा है । उत्तरी क्षेत्र नीमच से उदयपुर तक 132 के० वो० लाइन द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है । राजस्थान प्रणाली इस सम्पर्क पर मध्य प्रदेश से लगभग 25 मैगावाट बिजली ले रहा है ।

यहां यह उल्लेख कर दिया जाता है कि तारापुर और नासिक विद्युत् केन्द्रों के बंद हो जाने के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात ग्रिडों में हाल ही के बिजली संकटों के दौरान, बेलगाम-कोल्हापुर 220 के० वी० लाइन और चन्दनी भूसावल 132 के० वी० लाइन ने क्रमशः मैसूर और मध्य प्रदेश से बिजली ले कर कुछ हद तक महाराष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ा लाभदायक काम किया । इस प्रकार उपलब्ध बिजली का एक भाग काल्बा तारापुर नवसारी 220 के० वी० सम्पर्क द्वारा महाराष्ट्र से गुजरात ग्रिड को प्रेषित कर दिया गया ।

अधिक क्षमता की ओर अन्तर्राष्ट्रीय लाइनों के निर्माण में सहायता करने के लिए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य योजना के बाहर चतुर्थ योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय / अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए राज्यों को ऋण सहायता देती है । प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत् प्रणालियों का समेकित प्रचालन कर सकने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं ।

विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे वैगनों को रोकना

2150. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे वैगन रोके जाने के बारे में कोई सांख्यिकीय अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). महत्वपूर्ण मार्शलिंग यार्डों, टर्मिनल स्टेशनों और आमान-भंग यानान्तरण स्थलों पर मालडिब्बों की रुकौनी के आंकड़े नियमित रूप से संकलित और

प्रकाशित किये जाते हैं और उन पर नजर रखी जाती है। यदि ये आंकड़े निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षा असामान्य रूप से अधिक होते हैं तो यथोचित उपचारी कार्रवाई के लिए मामला उपयुक्त स्तर/स्तरों पर उठाया जाता है।

दक्षिण-मध्य रेलवे से पूना-बरसी और पूना-मिराज सेक्सनों के प्रशासन को मध्य रेलवे द्वारा नियन्त्रण में लेना

2151. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को पूना-शोलापुर-बरसी और पूना-मिराज सेक्शनों के नियंत्रण को तकनीकी कारणों से और प्रशासन में सुधार लाने के विचार से दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो रेल मंत्रालय की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). कुछ समय पहले इस विषय में एक प्रस्ताव मिला था कि मराठवाड़ा क्षेत्र के पुणो-मिरज, पुणो-शोलापुर तथा अन्य खण्डों को मिलाकर एक ऐसा नया मंडल बनाया जाये जिसका मुख्यालय या तो शोलापुर में हो अथवा मिरज में और उसे मध्य रेलवे से सम्बद्ध कर दिया जाये, लेकिन उस प्रस्ताव को प्रशासनिक तथा परिचालनिक कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है।

बड़ौदा में विद्युत चालित इंजनों के लिये शेड

2152. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे का विचार विद्युत चालित इंजन ठहराने के लिये बड़ौदा में शीघ्र एक बड़ा शैड बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ; और

(ग) बड़ौदा में इंजन के लिये शैड बनाने से कितने कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिल जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) निर्माण 1970-71 में प्रारम्भ किया गया था और ऐसी संभावना है कि मार्च, 1973 तक वह पूरा हो जायेगा।

(ग) बड़ौदा के बिजली लोकोशेड के लिए कुशल और अकुशल कर्मचारी यथा संभव विद्युतीकरण के फलस्वरूप फालतू हुए भाप इंजन अनुरक्षण कर्मचारियों तथा पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में काम करने वाले बिजली कर्मचारियों में से लिये जायेंगे। इसलिए, बिजली इंजन शेड में काम करने के लिये बाहर से सीधे भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या थोड़ी होगी और वह इस बात पर निर्भर करेगी कि बिजली इंजन अनुरक्षण कर्मचारी के रूप में परिवर्तन के लिए उपयुक्त कर्मचारी कितने कम उपलब्ध हैं।

रेलवे वाणिज्यिक निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति के लिए एक समान नीति

2153. **श्री पन्नालाल बारुपाल :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलों में केवल वाणिज्यिक क्लर्क ही वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नत के पात्र हैं परन्तु दक्षिण पूर्वी रेलवे में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को भी वाणिज्यिक निरीक्षकों के पदों के लिए पात्र समझा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे की इस भेदभाव पूर्ण नीति के क्या कारण हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक रेलवे अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अपनी सरणि निर्धारित करने के लिए सक्षम है । फिर भी, वाणिज्यिक निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति की वर्तमान सरणि पुनरीक्षा मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन द्वारा की जा रही है ।

पश्चिम रेलवे में 'क्लेम ट्रेसरों' के चयन के संबंध में जांच

2154. **श्री पन्नालालबारुपाल :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मंत्री पश्चिम रेलवे में क्लेम ट्रेसरों के चयन के संबंध में जांच के बारे में 29 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच के दौरान सतर्कता विभाग ने प्रत्याशियों की पात्रता के संधंध में किस प्रकार की गल्तियों का पता लगाया ;

(ख) उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) पूर्व के चयन के समय प्रत्याशियों की पात्रता संबंधी शर्तें क्या थीं और क्या अब भी वही शर्तें हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) पश्चिम रेलवे द्वारा निर्धारित पदोन्नति सरणि के अनुसार केवल 110-200 रुपये के वेतनमान वाले वाणिज्यिक क्लर्क 150-240 रुपये के वेतनमान में क्लेम ट्रेसर के पदों पर पदोन्नति पाने के अधिकारी हैं । 1967-68 में हुई उपयुक्तता परीक्षा में कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी जो 150-240 रुपये के वेतनमान में वाणिज्यिक क्लर्क के रूप में स्थायी किये गये थे, बुलाया गया था । यह ठीक नहीं था ।

(ख) श्री एस० ए० भटनागर, कार्मिक अधिकारी। इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी क्योंकि कदाचार न सिद्ध हो सका। वह अप्रैल, 1970 में सेवा निवृत्त हो गये।

(ग) 20-5-1966 को जब उक्त परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र मंगाने के लिए अधिसूचना जारी की गयी तब 110-200 रुपये के वेतनमान में वाणिज्यिक क्लर्क तथा वे वाणिज्यिक क्लर्क जो 150-240 रुपये के वेतनमान में नियमित रूप से काम कर रहे थे लेकिन इस ग्रेड में स्थायी नहीं किये गये थे, पात्र थे। पात्रता की यह शर्त अब बदल गयी है।

(घ) 7-7-66 को ऐसी हिदायतें जारी की गयी थीं कि एक ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को उसी ग्रेड के निःसंवर्ग पदों पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये हिदायत इस बात को ध्यान में रखकर जारी की गयी थीं कि एक बार जब एक कर्मचारी किसी पद पर पदोन्नति स्वीकार कर लेता है तब यह समझ लिया जाता है कि उसने उस पद के लिए विकल्प दे दिया है और वह समकक्ष ग्रेड के किसी दूसरे पद के लिए विचार किये जाने का पात्र नहीं है।

गढ़वा और डाल्टनगंज स्टेशनों (पूर्व रेलवे) पर आरक्षण की व्यवस्था

2155. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़वा और डाल्टनगंज स्टेशनों (पूर्व रेलवे) पर रेलवे बुकिंग के लिये आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) गढ़वा और डाल्टनगंज स्टेशनों पर रेलवे बुकिंग के लिए आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाएं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1971-72 में दिल्ली तथा नई दिल्ली जंक्शन पर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों का गिरफ्तार किया जाना

2156. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में दिल्ली और नई दिल्ली जंक्शनों पर रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्रियों को गिरफ्तार किया गया ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : बिना टिकट अथवा गलत टिकटों पर यात्रा करते हुए 782 यात्री गिरफ्तार किये गये थे।

बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में बिहार में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

2157. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मन्त्री बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में बिहार में की गई गिरफ्तारियों के बारे में 30 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7928 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसे सभा पटल पर कब तक रख दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। यह सूचना संलग्न अनुबंध के जरिये 8-9-1972 को संसदीय कार्य विभाग को भेजी जा चुकी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3837/72]**

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में दैनिक मजूरी पर सामान उठाने वाले कुलियों को रोजगार

2158. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में गत तीन वर्षों से सामान उठाने वाले लगभग 30 कुली दैनिक मजदूरी पर काम करते आ रहे हैं ; और

(ख) क्या यह इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली सामान्य सुविधाओं से वंचित रखा जा सके और यदि नहीं, तो उन्हें कब तक स्थाई बनाया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, फिरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के अन्तर्गत मलेरिया निरीक्षकों की नियुक्ति

2159. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनः जोरदार अभियान चला दिया है ;

(ख) इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए फिरोजपुर में कितने मलेरिया निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) यदि किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं। केवल फिरोजपुर में ही जोरदार अभियान फिर से चालाया गया है, पूरे फिरोजपुर मण्डल में नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) चूंकि फिरोजपुर मण्डल के एक छोटे से भाग में ही हाल में मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनः जोरदार अभियान चलाया गया है, अतः इससे मलेरिया निरीक्षक के पूर्णकालिक पद का औचित्य नहीं बनता।

विभिन्न वेतन मानों के स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति

2160. **श्री अजीज इमाम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर भिन्न-भिन्न वेतनमान के स्वास्थ्य निरीक्षकों को किस आधार पर नियुक्त किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई)

स्वास्थ्य निरीक्षकों के चार ग्रेड हैं :

335-425 रु० के वेतनमान में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक

250-380 रु० के वेतनमान में स्वास्थ्य निरीक्षक, ग्रेड I

205-380 रु० के वेतनमान में स्वास्थ्य निरीक्षक, ग्रेड II

130-212 रु० के वेतनमान में स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड III

विभिन्न स्टेशनों के कार्यभार और उत्तरदायित्व के आधार पर वहां अलग-अलग ग्रेडों के स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद नियत किये जाते हैं ।

स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड III, 130-212 रु० के 75 प्रतिशत तक पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और शेष 25 प्रतिशत पद चिकित्सा विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों से प्रवरण द्वारा भरे जाते हैं।

स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड II, 205-280 रु० का पद वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है। उपयुक्तता का निर्णय सामान्यतः लिखित परीक्षाओं और सेवा-वृत्त द्वारा किया जाता है।

स्वास्थ्य निरीक्षक ग्रेड I, 250-380 रु० का पद प्रवरण द्वारा भरा जाता है, जिसमें लिखित परीक्षा और प्रवरण समिति द्वारा साक्षात्कार शामिल है।

मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक 335-425 रु० का पद वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है। उपयुक्तता का निर्णय सेवा-वृत्त और/या लिखित परीक्षा द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में शीरे सम्बन्धी घोटाला

2161. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश में शीरे सम्बन्धी बड़े पैमाने के एक घोटाले का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जांच करने का आदेश दिया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अक्तूबर, 1972 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा देवरिया जिलों के 6 औद्योगिक यूनिटों, जिन्हें आबकारी आयुक्त द्वारा सीरा दिया गया था, का निरीक्षण किया गया था और इसका प्रत्यक्षत: निष्कर्ष यह था कि सीरा सभी मामलों में अथवा औद्योगिक यूनिटों के प्रयोजन के लिए पूर्णरूप से इस्तेमाल नहीं किया गया था ।

(ख) इस बारे में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

(ग) इस केस के कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा तदनुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है । राज्य सरकार द्वारा कानूनी उपबंधों तथा कार्यप्रणालियों का संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है ।

Construction of Rajghat Dam Over Betwa River

2162. **Dr. Govind Das Richharia** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether all the formalities in regard to an agreement arrived at between the Chief Ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh for the construction of Rajghat Dam over Betwa river have since been completed and whether Government have received reports regarding the proposed dam from both the State Governments ; and

(b) if so, the main features thereof and the time by which the work on this project is likely to start ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The Government of Uttar Pradesh had sent Rajghat Irrigation project report to the Central Water and Power Commission in June, 1970. The project could not then be cleared by the Central Water and Power Commission as it involved inter-State aspect with Madhya Pradesh.

The Chief Ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have recently signed an agreement in regard to the utilisation of irrigation waters in their respective States consequent on the taking up of Rajghat Project. The revised Rajghat Dam Project report has been received from the Government of Uttar Pradesh by the Central Water and Power Commission only on 23rd November 1972.

(b) The salient features of the Rajghat Dam project as contained in the project report from Uttar Pradesh are at Annexure. **[Placed in Library. See No. LT—3838/72].**

The question as to when the work on this project will start will arise only after the necessary formalities in regard to the sanction of the project have been gone into.

Measures for Checking Floods in Ganga, Jamuna and Brahmputra

2163. **Dr. Govind Das Richharia** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the measures adopted by Government so far to check the loss of crores of rupees caused by floods in Ganga, Jamuna and Brahmaputra every year ; and

(b) the steps proposed to be taken in this regard in the Fifth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Since the launching of the National Flood Control programme in 1954, a number of measures for protection against floods and reducing the recurring flood damage has been implemented in the Ganga basin (which includes the Yamuna river) and the Brahamputra basin. The measures implemented include construction of embankments, river training works, town protection works, raising of villages and drainage channels. The progress made till the end of March, 1972 is as follows :

	Ganga basin	Brahamputra basin (consisting of Brahamputra valley and Barak valley in Assam and North Bengal rivers)
1. Length of embankments ..	2845 km	3410 km
2. Length of drainage channels	3900 km	770 km
3. Town protection schemes	75	52
4. Villages raised	4585	Nil
5. Area protected	27 lakh ha.	8.9 lakh ha.
6. Total outlay	Rs. 108 crores	Rs. 51 crores.

Further works are being implemented to provide protection to more areas in the balance period of the Fourth Plan.

Central flood forecasting units have been set up at Delhi, Lucknow and Patna in the Ganga basin and Jalpaiguri and Gauhati in the Brahamputra basin for the issue of flood forecasts in the vulnerable areas to enable the district authorities for making timely arrangements for rescue and relief operations.

Flood Control Commissions have been set up for the Brahamputra Valley in Assam and the North Bengal rivers by the State Governments of Assam and West Bengal respectively for the preparation of comprehensive plans and their implementation in a coordinated and effective manner. The Government of India have set up the Ganga Flood Control Commission for the preparation of a comprehensive plan of flood control in the Ganga basin and arranging its implementation in a coordinated manner through the concerned State Governments.

(b) It is proposed to increase the tempo of flood control works in the Ganga and Brahamputra basins during the Fifth Plan period. The flood protection measures during the Fifth Plan will include besides the continuing schemes of the Fourth Plan, construction of new embankments, raising and strengthening of the existing embankments, construction of new drainage channels, river training works and protection of important towns and flood moderation dams. Protection or rehabilitation of villages on river margins has also been proposed. It is also proposed to extend the flood forecasting and warning arrangements to more river basins and to improve and strengthen the existing flood forecasting units. The details of the proposals for the Fifth Plan are to be finalised after the outlays to be provided in the flood control sector are decided.

छोटे स्टेशनों पर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर भत्ता दिया जाना

2164. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल स्तर पर एक ही श्रेणी के सभी क्वार्टरों की कुल लागत को ध्यान में रख-कर क्वार्टरों का किराया रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है ;

(ख) क्या बड़े नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे कस्बों में क्वार्टरों की निर्माण लागत समान है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा बड़े नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों को कम किराये पर क्वार्टर देने और नगर भत्ता देने के क्या कारण हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कस्बों में नियुक्त कर्मचारियों को उसी श्रेणी के क्वार्टर अधिक किराये पर देकर और उनको नगर भत्ता न देकर उन्हें दंड दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जैसा कि भाग (क) में बताया गया है, कूते गये किराये का हिसाब पूल के आधार पर लगाया जाता है। नगर प्रतिकर भत्ता कुछ वर्गीकृत नगरों में नियुक्त रेल कर्मचारियों को दिया जाता है और वह वसूल किये जाने वाले किराये से संबद्ध नहीं है।

रेलवे क्वार्टरों का किराया निर्धारित किया जाना

2165. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थान पर बने प्रत्येक क्वार्टर के लिए रेलवे अलग अलग किराया निर्धारित नहीं करता है परन्तु एक ही श्रेणी के सभी क्वार्टरों के लिए सामूहिक रूप से किराया निर्धारित किया जाता है ;

(ख) क्या पूर्वी रेलवे में 1 नवम्बर, 1970 से क्वार्टरों के किराये में संशोधन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या क्वार्टरों की श्रेणी के आधार पर किराया निर्धारित किया जाता है अथवा रेलवे जोन में क्वार्टरों के कुर्सी क्षेत्र के आधार पर ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। :

(ख) जी हां।

(ग) मानक किराये का निर्धारण कोटि के आधार पर किया जाता है, किन्तु कुछ पूलों में इतना परिष्करण और किया गया है कि एक कोटि के अन्दर मानक किराये का निर्धारण अलग-अलग मकानों के या उप-समूहों के कुर्सी-क्षेत्र के आधार पर किया जाता है ।

एरणाकुलम स्टेशन पर सीटों तथा शायिकाओं का आरक्षण

2166. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एरणाकुलम में स्टेशन पर सीटों तथा शायिकाओं के आरक्षण के लिए कोई नई व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). जी नहीं । लेकिन, परीक्षण के तौर पर एक महीने के लिए सभी स्टेशनों पर, जिनमें एरणाकुलम स्टेशन भी शामिल है, तीसरे दर्जे के लिए अग्रिम आरक्षण के लिए समय सीमा—10 दिन से बढ़ा कर 30 दिन और पहले दर्जे के लिए 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गयी है ।

ग्राम्य विद्युतीकरण योजना के अधीन आदिवासी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए केरल को अनुदान

2167. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्राम्य विद्युतीकरण योजना के अधीन आदिवासी क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिए केरल राज्य को कोई अनुदान देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उनके ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए अनुदान नहीं देती । केरल राज्य बिजली बोर्ड को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कम ब्याज के साथ योगात्मक धनराशियां दी गई हैं जिनमें 290 ग्रामों तथा 5920 पम्पों के विद्युतीकरण तथा 923 लघु और कृषि उद्योगों को बिजली की सप्लाई के लिए 451.666 लाख रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है । निगम ने केरल में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए भी दो स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 1.727 लाख रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना की है ।

यह निगम खास तौर से कम विकसित इलाकों के ग्राम विद्युतीकरण के लिए रियायती दरों पर ऋण देता है । इस प्रकार का ऋण जनजाति क्षेत्रों को भी दिया जा रहा है । अभी तक केरल राज्य बिजली बोर्ड से इस श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए कोई स्कीम भी प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा सारी सहायता राज्य योजना से बाहर है ।

ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा केरल में ग्राम्य विद्युतीकरण

2168. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने केरल में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध की है ; और

(ख) इन परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) अभी तक ग्राम्य विद्युतीकरण निगम ने केरल को 10 ग्राम्य विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 290 ग्रामों के विद्युतीकरण 5920 पम्पों के ऊर्जन और 923 लघु तथा कृषि उद्योगों को बिजली की सप्लाई की परिकल्पना की गई है। इनमें से दो स्कीमें 1972-73 के दौरान स्वीकृत की गई थीं और शेष 8 स्कीमें 1970-71 और 1971-72 में। 451.666 लाख रुपये की कुल स्वीकृत ऋण राशि में से 180.533 लाख रुपये मार्च, 1972 तक दे दिए गए थे और 1972-73 के दौरान 112.987 लाख रुपये देना अनुसूचित है।

निगम ने 22 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करने के लिए केरल को 2 स्कीमें भी स्वीकृत की हैं जिनमें 1.727 लाख रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है। यह राशि भी केरल को 1972-73 के दौरान दे दी जाएगी।

(ख) केरल के लिए स्वीकृत स्कीमों का जिलावार ब्यौरा उपबंध में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3839/72]**

Increase in Demand for Railway Wagons in the Country along with the Industrial Development

2169. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the demand for Railway wagons is increasing in the country along with the industrial development of the country ;

(b) if so, the present annual requirement thereof ; and

(c) whether most of the Factories manufacturing Railway wagons belong to the private sector ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes.

(b) Taking into account the anticipated growth of traffic during the Plan Period, wagon requirements are assessed for the five year plan period as a whole and not on yearly basis. The requirements of goods stock on additional and replacement account in the Fourth Five Year Plan have been assessed as 36148 and 35628 wagons (in terms of 4-wheelers) respectively.

(c) Yes.

तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त विद्युत् परियोजनाएं

2170. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में बिजली पैदा करने के लिए केन्द्र सरकार ने कुल कितना धन व्यय किया है ;

(ख) तमिलनाडु में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ; और

(ग) तमिलनाडु की उन विद्युत् परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने पूर्ण अथवा आंशिक सहायता दी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चतुर्थ योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 18 करोड़ रुपये ।

(ख) लगभग 135 यूनिट ।

(ग) नेवेली विद्युत् परियोजना—600 मैगावाट (पूर्ण) ।

मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना कलपक्कम 400 मैगावाट समस्त व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया गया है ।

नई विद्युत् परियोजनाएं स्थापित करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की विशेष तकनीकी जानकारी

2171. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने गैर-सरकारी सलाहकारों से कोई सहायता प्राप्त किये बिना नई विद्युत् परियोजनाओं को स्थापित करने और उनके रख-रखाव के लिए विशेष तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली है ;

(ख) क्या विद्युत् प्रजनन उपकरणों के डिजाइन तैयार करने/निर्माण/स्थापना और/अथवा रख-रखाव के लिए सरकारी क्षेत्र की विद्युत् परियोजनाएं गैर-सरकारी परामर्शदाताओं से परामर्श प्राप्त कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बिजली-घर से सम्बद्ध ऐसे परामर्श-दाताओं के नाम क्या हैं और गत एक वर्ष में उनको कुल कितनी राशि दी गई है या उनको देना स्वीकार कर लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने बिना किसी बाहरी सहायता के ताप विद्युत् और जल विद्युत् परियोजनाओं के आयोजन, इन्जीनियरी, अभिकल्प तथा कार्यान्वियन के लिए पिछले वर्षों में काफी विशेषज्ञता विकसित कर ली है । किन्तु सीमित स्टाफ होने के कारण केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग सभी सलाहकारी तथा अभिकल्प कार्य अपने ऊपर नहीं ले सकता ।

(ख) कुछ राज्य विद्युत् बोर्डों तथा अन्य उपक्रमों ने ताप विद्युत् परियोजनाओं के इन्जीनियरी, अभिकल्प तथा निर्माण पर्यवेक्षण के लिए प्राइवेट सलाहकार नियुक्त किए हुए हैं ।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरणों में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3840/72]**

जापान से चल प्लेटफार्म की डिलीवरी

2172. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अक्तूबर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में जापान का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे खुले समुद्र में तेल की खोज के लिए अपेक्षित बहते हुए चल प्लेटफार्म की डिलीवरी लेने के लिए वहां गये थे ; और

(ग) क्या बम्बई के खुले समुद्र में तेल की खोज के लिए वहां प्लेटफार्म को सर्वप्रथम रखा जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों में बिजली पैदा करना

2173. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सभी बिजली घरों में बिजली पैदा करने की कुल क्षमता कितनी है और इस समय, राज्य-वार, उनके द्वारा कुल कितनी बिजली पैदा की जाती है ;

(ख) उनकी अधिकतम बिजली पैदा करने की क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों में बिजली पैदा करने की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) प्रत्येक राज्य में ऊर्जा के दैनिक उत्पादन के साथ सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत् केन्द्रों की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता का विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3841/72]**

(ख) इस समय कुछ केन्द्रों में अधिकतम क्षमता का समुपयोजन न होने के ये कारण हैं :

(एक) वाह्य क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षापात के कारण जल विद्युत् जलाशयों में पानी की कमी ।

(दो) कोयला और तेल की अपर्याप्त मात्रा की सामयिक प्राप्ति में कठिनाई ।

(तीन) द्वि चरण वाशरियों से प्राप्त मध्यम दर्जे के कोयले के प्रयोग के कारण ताप विद्युत् संयंत्रों का बार-बार रुक जाना।

(चार) यूनिटों के रख-रखाव और ओवरहाल के लिए अपेक्षित आयातित फालतू पुर्जों को प्राप्त करने में कठिनाई।

(पांच) कुछ केन्द्रों के लिए शीतक-जल की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने में कठिनाई।

(ग) केन्द्रों में अधिक बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित पग उठाये गए हैं :

(एक) विद्युत् केन्द्रों के लिए पर्याप्त कोयले और तेल की सप्लाई ताकि विद्युत् उत्पादन बढ़ाया जा सके।

(दो) मध्यम दर्जे का कोयला प्रयोग में लाने वाले ताप केन्द्रों को बेहतर कोयले को, उस समय तक, सप्लाई जब तक तीन चरण-वाशरियां प्रतिष्ठापित नहीं हो जातीं, ताकि जहां तक सम्भव हो सके मजबूरन आउटेजिज को कम किया जा सके।

(तीन) यूनिटों की शीघ्र मरम्मत और रख-रखाव के लिए आयातित फालतू पुर्जों को प्राप्त करने में सहायता।

(चार) उन जगहों पर शीतक-जल सप्लाई के वर्तमान प्रबंधों में सुधार लाना जहां ये संतोष-जनक नहीं है।

(पांच) ताप और जल-विद्युत् केन्द्रों के निरीक्षण के लिए तथा उनके कार्य में सुधार लाने के लिए दो विशेषज्ञ दलों का गठन किया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की मांगें

2174. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के सचिव का मंडल अधीक्षक, समस्तीपुर को खुला पत्र के बारे में 30 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8024 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के दिनांक 19 अप्रैल, 1972 के खुले पत्र में उल्लिखित विशिष्ट मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : दो खुले पत्र मिले थे, जिनमें से एक पर पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के एक गुट के हस्ताक्षर थे और उनमें 15 बातें थीं। दूसरे पत्र पर उस यूनियन के दूसरे गुट के हस्ताक्षर थे और उनमें मांग की गई थी कि पहले पत्र पर कोई कार्रवाई न की जाय। लेकिन सरकार की इस नीति के अनुसार कि कर्मचारियों की शिकायतें किसी भी स्रोत से मिलें, उन पर विचार किया जाये, प्रथम पत्र में की गयी मांगों पर रेल प्रशासन ने विचार किया है और उनमें से जो मान्य और तर्कसंगत थीं, उन्हें पूरा कर दिया है।

तृतीय श्रेणी के शयन यान सहित जयनगर से पहलैजाघाट तक यात्री गाड़ी का चलाया जाना

2175. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3182 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयनगर से पहलैजाघाट तक सीधे तृतीय श्रेणी के शयन यान की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयल वर्क्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट एण्ड कान्सट्रक्सन सोसाइटी लिमिटड, कलकत्ता 16 को ठेका

2176. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल वर्कर्स कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रैक्ट एंड कन्सट्रक्सन सोसाइटी लिमिटेड शक्सीपोयर सरणी कलकत्ता 16 भारतीय तेल निगम लि० (विपणन शाखा) पूर्वी शाखा के अन्तर्गत निर्माण कार्य कर रहे स्वयं नियोजित श्रमिकों-ठेकेदारों की एक संस्था सहकारी संस्था के रूप में बन गई है ; और

(ख) क्या अभी भी इस तरह सहकारी संस्था को अपेक्षा निजी ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय तेल निगम की पूर्वी ब्रांच में स्वयं नियोजित श्रमिकों की एक सहकारी संस्था स्थापित की गई है जो आयल वर्कर्स को-आपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट एण्ड कन्सट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। यह सहकारी संस्था, इस समय भारतीय तेल निगम की पूर्वी ब्रांच के पहाड़पुर एवं बज-बज प्रतिस्थापनों पर बैरल्स एवं अन्य पीपों के लदान एवं परिवहन तथा अन्य कार्यों का निष्पादन कर रही है।

(ख) कार्य के उपर्युक्त मदों, जो पहले कुछ ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किये जाते थे, ठेकेदारों से ले लिया गया तथा उन्हें अब सहकारी संस्था को सौंपा गया है। अतः किसी वैयक्तिक ठेकेदार को इस सहकारी संस्था की तुलना में तरजीही देने का प्रश्न नहीं उठता है।

चितरपुर पर रेलवे स्टेशन बनाया जाना

2177. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के चितर पुर गांव में रेलवे स्टेशन के लिए जहां से हावड़ा पटना मुख्य लाइन जाती है ; पर्याप्त भूमि अधिग्रहित करके वहां 1500 फीट लम्बे और 100 फीट चौड़े प्लेटफार्म का निर्माण किया है ; और

(ख) क्या चितरपुर में रेलवे स्टेशन को खोलने के लिए रेलवे अधिकारियों को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

सिंदरी एकक में आधुनिकीकरण के लिए बलगेरिया के मैसर्स टेक्नो एक्सपोर्ट और भारतीय उर्वरक निगम के बीच करार

2178. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम ने अपने सिंदरी एकक के आधुनिकीकरण के लिए बल्गारिया के मैसर्स टेक्नो एक्सपोर्ट के साथ जो करार किया है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य में विलम्ब करने से दंड देने की व्यवस्था है ;

(ग) क्या कार्य के पूरा होने में विलम्ब हुआ था और यदि हां, तो दंड के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(घ) क्या विनिर्देश के ठीक अनुसार मशीनरी दी गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम में कार्यकारी निदेशकों के रूप में कार्य कर रहे क्रियाशील निदेशक

2179. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के क्रियाशील (फन्कश्नल) निदेशक बिना सरकारी आदेश के कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) निदेशक के रूप में कार्य कर सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वे किस प्राधिकार के अन्तर्गत कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या निदेशक मंडल ने उन्हें कार्यकारी अधिकार सौंपा है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). निगम के क्रियाशील (फन्कश्नल) निदेशक पूर्णकालीन निदेशक हैं तथा उन्हें विशेष क्षेत्रों में, जिनका उनको कार्यभार सौंपा हुआ है, कुछ कार्यकारी कार्य करने पड़ते हैं। निगम के निदेशक मण्डल ने प्रबन्ध निदेशक को, जिन्होंने अपने कुछ आवश्यक अधिकार क्रियाशील निदेशकों को उनके कार्यों के निष्पादन हेतु दे दिये हैं। क्रियाशील निदेशकों को अधिकारों का उप प्रतिनिधान सितम्बर, 1970 में किया गया था।

बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाएं

2180. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखाग्रस्त और कमी वाले क्षेत्रों में बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना की अवधि में कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी; और

(ग) क्या रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये कुछ परियोजनाओं को पुनर्व्यवस्थित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). राज्यों की विकासात्मक योजनाओं में नई सिंचाई स्कीमों को शामिल करने के प्रश्न पर विचार करते हुए उन स्कीमों को प्राथमिकता देने का विचार है जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। चतुर्थ योजना में उन स्कीमों पर बल दिया जा रहा है जो पहले ही हाथ में ली गई हुई हैं और नई स्कीमों के लिये कोई ज्यादा स्कीम नहीं है। अतः पांचवीं योजना में नई स्कीमों को शामिल करते समय इस नीति को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) भारत में सिंचाई परियोजनाएं बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं का ख्याल करते हुए यथासंभव लोगों को रोजगार दिया जाए।

'बल्क ड्रग्स' आयात में होने वाले कदाचारों को रोकने के लिए कार्यवाही

2181. **श्री वसंत साठे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध निर्माण फर्मों द्वारा निदेशों से इक्विटी पूंजी के बदले बड़ी मात्रा में औषधियों और अन्य सामग्रियों के आयात में होने वाले कदाचारों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) इन 'बल्कड्रग' से बनाई गई मिश्रित औषधियों के मूल्य उचित रूप से कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) विदेशी सहयोगकर्त्ताओं के लाभ की दर कितनी सीमा तक कम कर दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) प्रतियोगी शर्तों पर प्रपुंज (बल्क) औषधियों को प्राप्त करने के लिए उचित उपाय अपनाये जा रहे हैं। अधिकतम मूल्यों जिनपर कुछ औषधियों का आयात किया जा सकता है, का आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक में निर्देश किया गया है। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कई अन्य औषधियों को भी सारणीबद्ध किया गया है तथा यह जानने के लिए सारणीबद्ध योजना के अन्तर्गत पदों का निरंतर पुनरीक्षण किया जाता है कि क्या कोई और परिवर्धन आवश्यक है एवं तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ख) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत सभी सूत्रयोगों (फारमूलेशंस) के मूल्यों पर नियंत्रण किया जाता है और प्रपुंज औषधियों के मूल्यों में विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए इनके मूल्य उचित रूप में निर्धारित किये जाते हैं ।

(ग) अनुमान है कि सदस्य महोदय का विदेशी सहयोगियों से तात्पर्य उन औषधि निर्माता कारखानों से है जिनके पास विदेशी साम्य पूंजी 58% से अधिक है। औषधि (मूल्य नियंत्रण)आदेश के अन्तर्गत पुनरीक्षण किये गये मूल्यों के अनुसार, पूर्ण एक वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखों के उप-

लब्ध होने के पश्चात उपयुक्त उपायों के परिणाम स्वरूप इन कारखानों की लाभप्रदता का प्रभाव माना जायेगा।

जी० टी० एक्सप्रैस में सीध मंगलौर के लिए तीन टायर शायिका वाला डिब्बा लगाना

2182. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जी० टी० एक्सप्रैस में सीधे मंगलौर के लिये तीन टायर शायिका वाला डिब्बा लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब लगाया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली से मंगलौर तक, जो कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबा मार्ग है, जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में सरकार अवगत है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). गैंड ट्रंक एक्सप्रैस में अतिरिक्त डिब्बा लगाने की गुंजाइश नहीं है। दिल्ली और मंगलूर के बीच तीसरे दर्जे के शयन-यान की व्यवस्था किसी अन्य गाड़ी से करने का विचार किया जा रहा है।

पन्सकुश-हाल्दिया लिंक के नैमित्तिक श्रमिकों को बहाल करने के लिए दक्षिण-पूर्वी रेलवे (निर्माण और परियोजना) कार्मिक संघ का अभ्यावेदन

2183. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे (निर्माण और परियोजना) कार्मिक संघ, पन्सकुश-हाल्दिया लिंक से फरवरी, 1972 में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें छंटनी किये गये तथा नैमित्तिक श्रमिकों को बहाल करने की मांग की गई है और यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) कार्यभार में कमी हो जाने के कारण, नैमित्तिक मजदूर फालतू हो गये, अतः उन्हें सेवा-मुक्त करना पड़ा। काम के बढ़ने की कोई सम्भावना न होने के कारण उन्हें काम पर वापस न लिया जा सकेगा। फिर भी, नियमित पदों की जितनी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उन पर उनकी नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमा शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण, धन तथा आय-कर के बारे में कानून बनाने के लिए विधि आयोग की सिफारिशें

2184. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण, धन तथा आय-कर के बारे में नये कानून बनाने की सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) सरकार इन विधेयकों को संसद् में कब तक प्रस्तुत करेगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग). विधि आयोग ने सामाजिक और आर्थिक अपराधों के विचारण और दण्ड पर अपनी सैंतालीसवीं रिपोर्ट में विद्यमान केन्द्रीय अधिनियमों में, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, स्वर्ण नियंत्रण, धन और आय-कर अधिनियम हैं, संशोधनों के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

Strike by Railway Employees at Katihar Station (North Eastern Railway)

2185. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a constable of GRP beat up a railway employee at Katihar Station on North Eastern Railway on the 6th November 1972 ;

(b) whether railway employees remained on strike as a result thereof for two days ; and

(c) if so, the facts of the case and reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) Yes. But the incident took place on Northeast Frontier Railway.

(b) Yes.

(c) A statement is attached.

Statement

On 6.11.1972 at about 5.30 hrs, a saloon attendant was beaten by the Government Railway Police staff at Katihar Railway station. Swelling on the left fore-arm of the said railway employee and bleeding of nose was noticed by the Railway authorities. This assaulted employee had gone to see off one of his co-villagers in 17-Up Vaishali Express. As he could not produce the ticket when demanded, the Government Railway Police staff at the station be-laboured him. As a protest against the alleged high-handedness of Government Railway Police, the Carriage, Loco and Electrical staff of Northeast Frontier Railway stopped their work, and they remained on strike for two days. Two constables of Government Railway Police were arrested after identification parade and a case was registered which is under investigation.

मोदीनगर और मेरठ सिटी में पार्सल कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

2186. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता निदेशालय, रेलवे ने मोदी नगर और मेरठ सिटी में पार्सल कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कतिपय मामले, माल के खुले वितरण से रेलवे आय को हुई हानि तथा अपने पास न दावा की गई नकद राशि रखने के बारे में जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा मोदीनगर और मेरठ सिटी स्टेशनों के पार्सल कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाने के संबंध में कुछ शिकायतों

की जांच-पड़ताल की गयी थी। एक ऐसी जांच पड़ताल में यह पाया गया कि मोदीनगर का पार्सल क्लर्क अपने पास की उस नकद रकम की घोषणा के बारे में दी गयी हिदायतों का पालन नहीं करता था जो कि ड्यूटी के समय नकदी संभालने वाले कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। दो पार्सल क्लर्क—एक मोदीनगर और दूसरा मेरठ सिटी में—ऐसे पाये गये जिन्होंने 'क्षति और त्रुटि' के सन्देश जारी किये थे और उनमें वजन कम दिखलाया था। एक मुख्य पार्सल क्लर्क के विरुद्ध यह शिकायत थी कि उसने मेरठ सिटी स्टेशन पर काम करते समय इस संबंध में लागू वर्तमान नियमों और निर्धारित कार्यविधि का उल्लंघन करते हुए तीन परेषणों की खुली मूल्यांकन सुपुर्दगी मंजूर कर दी थी।

(ख) सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों के अन्तर्गत आरोप लगाये गये हैं और कार्रवाई जारी है।

आसाम मेल में यात्रियों को लूटना

2187. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अक्तूबर, 1972 को नई दिल्ली जाने वाली 4-डाउन आसाम मेल पर लगभग 15 गुंडों ने आक्रमण किया और यात्रियों में 25,000 रुपये लूट लिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां। 40,000 रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी थी।

(ख) अभी तक दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) इस खण्ड में सवारी गाड़ियों के साथ सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों और सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारियों का पहरा और कड़ा कर दिया गया है।

मद्रास डिवीजन में मीटर लाइन के सर्ब्बन सेक्शन के एवजी कर्मचारियों को दैनिक भत्ता देना

2188. **श्री था० किरुतिनन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास डिवीजन में मीटर लाइन के सर्ब्बन सेक्शन के विशेषकर निचले वर्ग के एवजी कर्मचारियों को बचत के नाम पर दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है जब कि ऊंचे वेतन पाने वाले अधिकारियों को प्रति महीने बहुत अधिक धन मिल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनको मिलने वाले भत्ते से वंचित न किया जाये ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास एगमोर में मुख्य लाइन के प्लेटफार्मों पर जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था

2189. **श्री था० किरुत्तिनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास एगमोर में मुख्य लाइन के प्लेटफार्मों पर जलनिकासी की व्यवस्था असन्तोषजनक है और इससे मैला-कुचैला जमा हो जाता है तथा दुर्गन्ध पैदा हो रही है जिससे यात्रियों और रेल गाड़ी का रात दिन कार्य करने वाले कर्मचारियों को असुविधा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ओलवाकोट्ट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) का विभाजन

2190. **श्री था० किरुत्तिनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में ओलवकोट्ट डिवीजन का विभाजन करने की मांग रेलवे प्रशासन के ध्यान में लाई गई थी ;

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व नया डिवीजन, जिसका मुख्यालय सेलम में होगा, बनाने के लिये कार्यवाही की गई थी और मुख्यालय के कार्यालयों के निर्माण के लिये भूमि भी प्राप्त कर ली गई थी ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि मंडलों का सृजन खर्च में किफायत के अनुरूप रेलों की प्रशासनिक और परिचालनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। नये मंडल तभी कायम किये जाते हैं जब वर्तमान मंडलों पर कार्य-भार इतना अधिक हो जाये कि उसका कुशलता-पूर्वक प्रबन्ध न किया जा सके। ओलवक्कोट मंडल दक्षिण रेलवे का एक हलका मंडल है जिस पर इस समय कार्य का भार इतना नहीं है कि उसका विभाजन किया जाये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान के गांवों के लिए रेलवे लाइनों को बिछाना

2191. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राजस्थान में नई रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया था ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : राजस्थान के क्षेत्र में पड़ने वाले, कोटा-चितौड़गढ़ बड़ी लाइन/मीटर लाइन रेल सम्पर्क के लिए 1965-66 में नये सिरे से एक यातायात सर्वेक्षण किया गया

था। रिपोर्ट के अनुसार बड़े आमान की इस 179 किलो मीटर लाइन पर 11.70 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और खुल जाने के बाद छठे वर्ष में इस लाइन से (–) 3.07 प्रतिशत प्रतिफल की आशा है। इसलिए, अलाभकारी होने के कारण इस लाइन के निर्माण का प्रस्ताव त्याग दिया गया।

रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध जांच

2192. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल** मंत्री रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध जांच के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न 3090 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले की जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) जी हां।

(ख) जांच-पड़ताल के परिणाम पर विचार करने के बाद ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

अनुशासन तथा अपील नियमों के अधीन रेलवे स्टाफ के विरुद्ध जांच का परिणाम

2193. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल** मंत्री अंगूरों की 9 टोकरियों के गुम हो जाने के कारण रेलवे द्वारा दावे के भुगतान के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3843 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन तथा अपील नियमों के अधीन जांच के पुनः आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) उत्तर रेल प्रशासन द्वारा आरोप-पत्र जारी किया गया था और अनुशासन तथा अपील नियमों के अन्तर्गत जांच के आदेश दिये गये थे।

(ख) जांच अभी जारी है।

नयी दिल्ली से बुक किये गये पैकेटों के गुम हो जाने पर मुआवजा देना

2194. **श्री झारखण्ड राय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1972 के 'स्टेट्समैन', नई दिल्ली में 'रांगली बुक्ड' शीर्षक से छपी शिकायतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुम हुए पैकेटों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या गलत बुकिंग के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने हेतु कोई जांच की गई है ;

(घ) क्या गुम हुए पैकेटों का मुआवजा दिया जायेगा और यदि नहीं तो क्यों ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग). जी हां।

(घ) जी नहीं। खोये हुए पैकेजों में 'वर्जित वस्तुएं' थीं जिनका न तो मूल्य घोषित किया गया था न अपेक्षित प्रतिशत प्रभार का भुगतान किया गया था। इसलिए, भारतीय रेल अधिनियम की धारा 77 बी के अनुसार दावा नामंजूर कर दिया गया है।

Nomination of Harijan and Scheduled Tribes for Railway Service Commission

2195. **Shri Bhagirath Bhanwar**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a decision was taken in the Railway Consultative Committee meeting held in Bangalore that a member each from Harijan and Scheduled Tribes would be nominated to each Railway Service Commission so that Scheduled Castes could be given full representation in the Railway Services; and

(b) the progress made in this regard so far and the time by which members from Harijan and Scheduled Tribes would be nominated by Government?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai): (a) No.

(b) Does not arise.

Abolition of Post No. 331 of Sonai Village on Mathura-Hathras Metre Gauge Line

2196. **Shri Arvind Netam**:
Shri M. S. Purty:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a decision has been taken to abolish Post No. 331 of Sonai village on Mathura-Hathras metre-gauge line; and

(b) if so, the number of protest notes received by Government from the public of that area against the proposed abolition of said post and the reaction of Government thereto?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai): (a) and (b). A representation has been received from the villagers against the closure or level crossing No. 331 at km 326/0-1 near Sonai Station. The level crossing is not being closed down but is being down-graded as an unmanned one as the present volume of traffic does not justify its continued manning.

कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम द्वारा चलाये जा रहे विद्युत संयंत्र

2198. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम द्वारा चलाये जा रहे विद्युत संयंत्रों की 1955-56, 1960-61 तथा 1971-72 में कुल स्थापित क्षमता कितनी-कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1971-72 में वास्तव में कितनी बिजली पैदा की गई तथा अप्रैल से लेकर अक्तूबर, 1972 तक प्रतिमाह कितनी बिजली पैदा की गयी ; और विद्युत उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी के कारण क्या हैं ;

(ग) जनवरी से लेकर अक्तूबर, 1972 तक प्रतिमाह दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम को वास्तव में कितनी बिजली सप्लाई की गई ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम को शीघ्र ही नियंत्रण में लेने का है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) :

(क) **वर्ष**	**प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगावाट)**
1955-56	449.5
1960-61	449.5
1971-72	484.5

(ख) 1971-72 में वास्तविक विद्युत उत्पादन 1627.9 मिलियन यूनिट था। अप्रैल से अक्तूबर, 1972 तक मासिक विद्युत उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

	मिलियन यूनिट
अप्रैल, 1972	142.97
मई, 1972	151.12
जून, 1972	140.58
जुलाई, 1972	148.25
अगस्त, 1972	149.25
सितम्बर, 1972	149.06
अक्तूबर, 1972	138.92

हाल के महीनों में विद्युत उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह बेहतर किस्म का कोयला मिलने के कारण हुई है।

(ग) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार अथवा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

विवरण

दामोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड से कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन को जनवरी, 1972 से अक्तूबर, 1972 तक विद्युत सप्लाई ।

मास	दामोदर घाटी निगम से सप्लाई मिलियन यूनिट	पश्चिम बंगाल से सप्लाई मिलियन यूनिट
जनवरी, 1972	49.5	76.4
फरवरी, 1972	47.8	68.1
मार्च, 1972	52.2	84.2
अप्रैल, 1972	53.5	84.5
मई, 1972	53.2	86.0
जून, 1972	47.9	88.6
जुलाई, 1972	54.9	86.0
अगस्त, 1972	52.5	77.8
सितम्बर, 1972	53.4	79.3
अक्तूबर, 1972	48.6	75.6

Bogus Travel Agencies selling Railway Reservation Tickets at Delhi and other Stations

2199. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Sat Pal Kapur :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some bogus travel agencies sell Railway reservation tickets which are available with great difficulty, at high prices outside Delhi Railway stations ;

(b) the names of other Railway stations, about which information of such malpractice has been received ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the steps being taken to remove the difficulties in reservation of tickets ?

The Minister of Railways (Shri T. A. Pai) : (a) and (b). Reports have been received about the activities of so-called travel agencies not recognised by the Railway Administration, operating in Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur, Lucknow and Renigunta. These agencies are reported to be securing reserved accommodation for intending passengers on collection of extra amounts and in the process indulging in malpractices in some cases.

(c) The particulars of persons arrested in this connection are as under :

(i) One person, a proprietor of an unrecognised travel agency functioning near New Delhi Railway Station was arrested on 29.5.72. The case is under investigation with the Police.

(ii) Four persons, including one suspected of having connections with an unrecognised travel agency, were arrested in Calcutta on 4.3.72. The case is under investigation with the Police.

(iii) Eight persons (touts) were arrested and prosecuted in May, 72 in Calcutta for alleged black-marketing of tickets.

In addition to the above, during the period January 72 to October, 72, 143 persons were apprehended for prosecution for resale of tickets, travelling on transferred tickets etc. on the Zonal Railways.

A statement indicating the measures taken to prevent malpractices in the reservation of berths/seats is attached.

The problem is constantly engaging the attention of the Government. A Committee of Members of Parliament has also been recently set up to look into this problem.

Statement

(i) Berths are booked against individual names of passengers and no alteration in the names is permitted ;

(ii) To prevent blocking of reserved accommodation, not more than 4 berths to a party and 6 berths to a family are permitted to a person waiting in the queue.

(iii) Accommodation falling vacant is allotted to the waitlisted passengers strictly in order of priority.

(iv) Notice Boards are exhibited prominently indicating position of availability of reserved accommodation in each train.

(v) Special Squads are posted near the booking windows to maintain vigil on persons indulging in racketeering in reserved accommodation.

(vi) Reservation Offices and trains are subjected to frequent checks during periods of rush.

(vii) Checks are carried out by making references direct to the persons in whose names reservations are made to ascertain the genuineness.

(viii) Public co-operation is sought through Notice Boards at Stations warning the public not to buy journey and reservation tickets from unauthorised sources.

(ix) Train services are strengthened and special Trains arranged to the extent possible during periods of rush.

(x) Wherever persons are found to indulge in malpractices, thorough enquiries are made and proper action including prosecution wherever possible, is taken.

भारतीय रेलवे के फ्लैग स्टेशन

2200. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में ऐसे स्टेशन कितने हैं जहां यात्री गाड़ियां रुकती हैं और फ्लैग स्टेशन कितने हैं ; और

(ख) दक्षिण पूर्वी रेलवे में (डिवीजनवार) ऐसे कितने स्टेशन हैं और कमीशन एजेण्टों के नाम और पते क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) (क): भारतीय रेलों में 901 सवारी गाड़ी हाल्ट और 975 फ्लैग स्टेशन हैं।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे में सवारी गाड़ी हाल्ट और फ्लैग स्टेशनों की संख्या इस प्रकार है :—

मंडल का नाम	सवारी गाड़ी के हाल्टों की संख्या	फ्लैग स्टेशनों की संख्या
(1) खड़गपुर	9	4
(2) खुर्दा रोड	8	2
(3) वाल्तेर	12	9
(4) आद्रा	11	14
(5) बिलासपुर	12	1
(6) नागपुर	48	5
(7) चक्रधरपुर	कोई नहीं	11
जोड़	100	46

उन स्टेशन हाल्टों की संख्या का विवरण जिन पर कमीशन एजेन्ट काम करते हैं, उन एजेन्टों के नाम और पतों सहित संलग्न है। अन्य गाड़ी हाल्टों का परिचालन गाड़ी के गार्डों/वाणिज्यिक क्लर्कों द्वारा किया जाता है। फ्लैग स्टेशनों का परिचालन रेल कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3842/72]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय वायु सेना की उड़ान दुर्घटनाओं में हाल में हुई वृद्धि

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमान्, मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भारतीय वायु सेना की उड़ान दुर्घटनाओं में हाल की वृद्धि जिनकी चरम सीमा

सर्वश्रेष्ठ विमान चालक विंग कमाण्डर गौतम की 26 नवम्बर, 1972 को हुई दुखद मृत्यु है।"

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खेद है कि दो बार महावीर चक्र प्राप्त विंग कमांडर पी० गौतम पूना हवाई मैदान के 9 किलो मीटर पूर्व में 25 नवम्बर, 1972 को वायुयान दुर्घटना में मारे गए। वायुयान एक सामान्य प्रशिक्षण उड़ान पर था। दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिए एक जांच अदालत के आदेश दे दिए गए हैं।

2. विमान दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और इनके प्रति जनता का चिंतित होना ठीक ही है। तथापि, भारतीय वायुसेना में उड़ान दुर्घटनाओं पर उसे सौंपे गए संक्रिया कार्य, सैनिक विमानों के कार्य में तेजी से प्रगति होने और उनमें निरन्तर बढ़ती हुई जटिलता, समाघात तत्परता प्राप्त करने के लिए कड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता, और इसके परिणामस्वरूप सेवा की कुल उड़ान प्रयत्न में बढ़ोतरी के ठीक परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारतीय वायुसेना पिछले 10 वर्षों की अपेक्षा आज कहीं अधिक बड़ी है, और इसकी गतिविधियां समस्त देश में फैल गई हैं।

3. सब सावधानी और ब्यौरों पर ध्यान के बावजूद किसी समय मनुष्य की असफलताओं के कारण और किसी समय हमारे नियंत्रण के बाहर कारणों से कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं। यह ऐसा सभी वायुसेनाओं में है, केवल हमारी वायुसेना में ही नहीं। वायुयान दुर्घटनाओं को अधिकतम व्यवहार्य सीमा तक दूर करने के लिए हमारे सतत प्रयत्न रहे हैं। दुर्घटनाओं की विस्तार से जांच पड़ताल की जाती है, और उनसे जो शिक्षा मिलती है उसे सम्बन्धित उपकरणों के सुधार, अथवा वायु तथा ग्राउंड कर्मीदल के प्रशिक्षण के प्रयोग में लाया जाता है। भारतीय वायुसेना की रिपेयर डिपो में एयरोनोटिकल इन्सपेक्शन सर्विस के कर्मचारियों में वृद्धि कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सारी भारतीय वायुसेना में सही रख-रखाव और आपरेटिंग अभ्यास तथा प्रक्रिया को लागू करने के लिए वायुसेना मुख्यालय में मैन्टीनेन्स, निरीक्षण और एयर-स्टाफ निरीक्षण निदेशालय बनाए गए हैं।

4. वायु सेना में सभी दुर्घटनाओं के ब्यौरे बाहर देने की प्रथा नहीं है, क्योंकि इससे संक्रिया सम्बन्धी सूचना का पता लग सकता है। अतः हम अपनी दुर्घटनाओं की दर का अन्य वायुसेनाओं की दुर्घटनाओं की दर से तुलना करने में असमर्थ हैं। तथापि, जो कहा जा सकता है वह यह है कि दुर्घटनाओं की वर्तमान दर विगत 10 वर्षों की दर के अन्दर ही है और इसमें कोई बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह ध्यानाकर्षण सूचना इसलिये दी है क्योंकि गत तीन महीनों अर्थात सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर में हुई अनेक दुर्घटनाओं के समाचारों के कारण जनता में काफी चिन्ता व्याप्त है। मुझे यह आशा थी कि मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में सामान्य उल्लेख न करते हुए कम से कम इन समाचारों की पुष्टि अथवा खण्डन करेंगे।

सितम्बर तथा अक्तूबर में छह दुर्घटनायें हुईं जिनमें प्रशिक्षणार्थी अन्तर्ग्रस्त थे। इनमें से चार दुर्घटनायें हाकिमपेट में हुईं जिनमें एक वैमपायर विमान भी था। 16 नवम्बर को रक्षा मंत्री ने मेरे

एक प्रश्न के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया था कि जुलाई 1972 से अब तक तीन बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं, जिनमें नौ सेना के विमान अन्तर्ग्रस्त थे। इनमें से दो दुर्घटनाओं में विमान चालक मारे गये थे, वे इस तकनीकी तर्क की शरण ले सकते हैं कि वे विमान नौ सेना के थे। लेकिन यह चिन्ता का विषय है क्योंकि ये सब सशस्त्र सेनाओं के अंग हैं, वास्तव में, पिछली दो लड़ाइयों में अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन करने वाले तथा दो बार महावीर चक्र विजेता विंग कमान्डर गौतम की मृत्यु से देश को भारी क्षति पहुंची है। जनता सरकार से ऐसा आश्वासन चाहती है कि प्रशिक्षणार्थियों को जिन विमानों में प्रशिक्षण दिया जाता है, वे दोष रहित हों और प्रशिक्षण के तरीके भी दोष रहित हों।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कृषक, हारवर्ड, वैमपायर टी 55 तथा अन्य दूसरे विमानों, जिनमें प्रशिक्षण दिया जाता है, में से कुछ विमानों में भूमि नियंत्रण (ग्रांउड कन्ट्रोल) से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उपकरण नहीं हैं, एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वे भूमि से सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। अगर स्थिति ऐसी ही है तो क्या इसमें सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रशिक्षण सम्बन्धी हमारे इन विमानों में कठिनाई के समय विमान चालकों के बच निकलने के लिए व्यवस्था है? विंग कमान्डर गौतम कोई प्रशिक्षणार्थी नहीं थे। समझ में नहीं आता कि वे किस प्रकार के विमान को चला रहे थे। विवरण में बताया गया है कि वह विमान एक "सामान्य प्रशिक्षण उड़ान पर" था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह "सामान्य उड़ान" पर था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने अपने वक्तव्य में बताया है कि वह "सामान्य प्रशिक्षण उड़ान" पर था, विंग कमान्डर गौतम जैसा कुशल व्यक्ति भी समय पर विमान से बाहर सुरक्षित क्यों नहीं आ सका? मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दें। दुर्घटनाओं के मामलों की जांच करने के सम्बन्ध में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या यह सच नहीं है कि जांच कराने का उत्तरदायित्व इस समय उस सिब्बंदी के कमान्डर का है जिससे विमान सम्बद्ध है? घातक दुर्घटनाओं के मामले में एक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी जांच समिति क्यों स्थापित नहीं की जाती जैसे कि सिविल विमान-दुर्घटनाओं में जांच के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

अन्त में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले इन प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों के आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति दी जाती है? क्या यह सच है कि प्रशिक्षणार्थी अथवा विमान का कोई बीमा नहीं किया जाता?

श्री विद्याचरण शुक्ल : वायु सेना के प्रत्येक विमान चालक को अपने को चुस्त रखने के लिये उड़ान करना जारी रखना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ विमान चालक भी बेकार नहीं बैठ सकता, हर महीने उसे कुछ निश्चित समय तक उड़ान करनी पड़ती है, इसीलिए, विंग कमान्डर गौतम भी इसी प्रकार की सामान्य प्रशिक्षण उड़ान पर थे।

जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, हमने अपने जैट ट्रेनर (बम्बर पायलट) तैयार किये हैं उनको हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित विमान में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विमान में छतरी से उतरने की व्यवस्था है। वायरलैस सम्पर्क के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसका मैं पता लगाऊंगा।

ऐसे सभी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच अदालत का आदेश दिया जाता है। इस समय मुझे मालूम नहीं है कि किस स्तर पर जांच अदालत की नियुक्ति की जाती है लेकिन यह स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच अदालत होती है। प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों को क्षतिपूर्ति देने सम्बन्धी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है, इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जायेगी। जहां तक नियमित विमान चालकों का सम्बन्ध है, उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में, वायुसेना द्वारा उनके बच्चों की देखभाल की जाती है और उनकी पत्नियों को भत्ता तथा परिवार पेंशन आदि दिया जाता है।

जहां तक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी जांच समिति नियुक्त करने का प्रश्न है, हमारा मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहा है और रक्षा मंत्रालय में तकनीकी व्यक्तियों द्वारा हमें सहयोग मिलता है जो कि इन मामलों के प्रभारी हैं।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : These accidents or air-crashes present a grim picture bebore the House. It is a matter of great concern that four accidents are taking place in a month. These crashes are a great set back to Air Force.

There can be two or three reasons for these accidents. There can be a fault on the part of trainee or instructor or the machinery can be defective. The hon. Minister should explain all these things. It is also possible that there may be an element of sabotage there. May I know whether Government have ever examined this aspect. There are fifth columnist also in our country.

It is a matter of serious concern that the dependents of trainee pilots are not given compensation. May I also know as to why there is such disparity in the service conditions of trainee pilot and a regular pilot ? Are the Government considering to rectify this state of affair ? It is a matter of concern that the report of the Enquiry Commission regarding Wing Commander Gautam has not been submitted so far.

Will the Minister be able to tell whether constant checking and overhauling is done before an aircraft takes off the ground and it is not allowed to take off unless it is cleared and the clearance is counter checked ?

Shri Vidya Charan Shukla : When enquiry is conducted into such accidents, everything is investigated and it is also examined whether there is any element of sabotage in it. And if anything comes to light, action is taken upon that but nothing of this sort has come to our notice so far. So far as action on our part to check and reduce accidents is concerned, we have started Aeronautic Research Inspection Service. We have expanded Directorate of Maintenance Inspection and Air Staff Inspection so that the shortcomings of maintenance regulations and training regulations can be done away with. So far as the question of compensation is concerned, I have already assured that the information will be laid on the Table of the House after it is collected.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : यह बड़े दुख की बात है कि विभाग द्वारा मंत्री महोदय को यह जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है कि प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों को क्या राहत उपलब्ध हैं। मैं इस बात पर मंत्री महोदय से सहमत नहीं हूं कि वे भारतीय वायुसेना की दुर्घटनाओं के अनुपात की तुलना अन्य देशों की वायुसेना की दुर्घटनाओं के साथ करने में असमर्थ हैं क्योंकि उससे संक्रिया संबंधी जानकारी का पता चल जाता है। वह यह बताने में असमर्थ हैं कि दुर्घटनाओं की इस बढ़ती हुई संख्या के लिए कौन उत्तरदायी है। युद्ध में जीवन हानि की बात तो समझ में आती है। लेकिन इधर हमारे प्रशिक्षित तथा अनुभवी विमान चालक अपने मूल्यवान जीवन को सामान्य उड़ानों में खो रहे

हैं और पिछले कुछ महीनों से ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह गम्भीर चिन्ता की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा विमान के किसी उपकरण में दोष होने अथवा विमान का ठीक प्रकार रख-रखाव न करने के कारण होता है या इसका कारण प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों का कम प्रशिक्षित होना है ?

अन्य देशों की अपेक्षा भारत में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि प्रशिक्षण में काम आने वाले विमानों की दुर्घटनाएं अधिक होने की सम्भावना हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने स्वीकार किया है कि इन विमानों के रख रखाव और जांच की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न तो पूछिये। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिये ½ घंटा निश्चित किया है और वह बीत चुका हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आपने एक ही दल के एक सदस्य को दो अवसर दिये हैं। यदि आप मुझे आज्ञा नहीं देते तो मैं प्रश्न ही नहीं पूछता।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : The time taken by first two Members was...

Mr. Speaker : It was agreed that the time to be given to the first Member should be more than others.

Shri Jambuwant Dhote : It is prescribed no where.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार्य मंत्रणा समिति ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिये 45 मिनट से एक घंटा तक का समय नियत किया है।

अध्यक्ष महोदय : निर्णय यह था कि अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह चर्चा ½ घंटे में पूरी हो जाये और किसी भी अवस्था में 40 मिनट से अधिक इस पर न लगाये जायें।

नौवहन और परिवहन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : यही निर्णय किया गया था।

Shri Jambuwant Dhote : We have just now seen that you gave a chance to Shri Indrajit Gupta twice...

Mr. Speaker : He did not take more than 10 minutes...

Shri Birendra Singh Rao : You snub the weak members...

Mr. Speaker : Whenever I say something to you, you retort like this. This is second or third occasion. This is not proper...

Shri Jambuwant Dhote : But the way you snubbed Shri Rao is also not proper.

Mr. Speaker : It is not in good taste when I ask Members to conclude, they complain about treatment meted out to them. They can as well say that they are going to conclude in a minute or two...(**Interruption**). You kindly take your seat.

Shri Jambuwant Dhote : I am only making a submission. This way is not proper... (**Interruption**). Only questions should be asked during Call Attention discussion.

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह सहन नहीं कर सकता । मैं जा रहा हूं ।

(इसके पश्चात् श्री बीरेन्द्र सिंह राव सभा भवन से बाहर चले गये)
(Shri Birendra Singh Rao then left the House)

श्री ज्योतिर्मय सु : कृपया सभा को भ्रम में तो न डालें ।

Mr. Speaker : I want to know from you whether is was not decided in the committee to try to conclude this discussion in half-an-hour......

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : यह प्रस्ताव सभा के समक्ष तो नहीं रखा गया है ।

Mr. Speaker : Are the decisions of the committee to be put to the House ?

श्री ज्योतिर्मय वसु : आप जो बात कह रहे हैं वह ठीक नहीं है ।

Shri Jambuwant Dhote : This matter be referred to the committee once again.

Mr. Speaker : I also want that.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं स्वयं भी बनर्जी के साथ समिति को उस बैठक में उपस्थित था । वहां यह सुझाव दिया गया था कि यह चर्चा 45 मिनट से एक घंटे के अन्दर पूरी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आपने आधा घन्टा ही निश्चित किया तो भी ठीक है । परन्तु एक दिन एक सदस्य को 23 मिनट दिये जाते हैं और जब अन्य सदस्य भाषण करते हैं तो पांच या सात मिनट बाद ही घंटी बजने लगती है । क्या इसे सामान व्यवहार कहा जा सकता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे थे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपका अभिमत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका क्या प्रश्न है जब आप कोई बात मानते ही नहीं हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सदस्य महोदय के प्रश्नों के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि अन्य देशों की वायुसेना में होने वाली दुर्घटनाओं से तुलना करना असम्भव है क्योंकि वे यह जानकारी उपलब्ध नहीं करती हैं ।

इस वर्ष 97 दुर्घटनाएं पक्षियों से टकराने से हुई हैं यह हमारे वश से बाहर की बात हैं ।

जैसा मैंने पहले बताया है क्योंकि हमारी वायु सेना का विस्तार हो रहा है, अत: प्रशिक्षण उड़ानें भी बढ़ी हैं इसलिये सभी बातों को ध्यान में रखें तो इन दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हम जानना चाहते हैं कि दुर्घटनाओं सम्बन्धी गत दस वर्ष के आंकड़े बतायें जायें ताकि हमें भी पता चले कि मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह कहां तक सच है।

दूसरे, वे कारण बताए जायें जिन पर सरकार का कोई वश नहीं है।

तीसरे, पता नहीं सरकार स्वचालित विमान क्यों नहीं खरीदती। गत लोक सभा में एक दुर्घटना के बाद श्रीमती शारदा मुखर्जी द्वारा उठाई गई एक चर्चा में कई गम्भीर त्रुटियां बताई गई थीं जैसे फाइलें गुम कर देना या पेश न करना। इसके उत्तर में सरकार ने सभा को कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था।

यदि सरकार ऐसे मामलों की अदालती जांच नहीं कराना चाहती तो क्या किसी सेवानिवृत वायुसेनाध्यक्ष अथवा किसी तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। सेवा में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा जांच नहीं करानी चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ मामलों में दुर्घटनाओं के कारण निर्धारित करना कठिन होता है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहें कि परीक्षण उड़ानों तथा आम दैनिक उड़ानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं, तो इस बारे में मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने कहा है कि दुर्घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यदि वह आंकड़े प्रस्तुत कर देते तो हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते थे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले ही कहा है कि प्रशिक्षण विमानों में छाते से नीचे उतरने की तथा भूमि पर कार्य कर रहे कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करने की सुविधायें उपलब्ध हैं। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। जब हमारे पास उच्च अर्हता प्राप्त तकनीकी अधिकारी हैं तथा दूसरे उच्च अधिकारी हैं जो जांच में हमें सहायता कर सकते हैं, तो सेवानिवृत्त व्यक्तियों को जांच से सम्बन्धित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : 17 नवम्बर को हुई अपनी बैठक में समिति ने यह सिफारिश की थी कि ध्यान दिलाने वाली सूचना पर आधे घण्टे का समय दिया जाना चाहिए और अधिक से अधिक 40 मिनट का समय विशेष मामलों में दिया जा सकता हैं। सदस्य इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं परन्तु वे भाषण नहीं कर सकते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह सिफारिश नहीं थी बल्कि एक सुझाव था।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : यदि यह सुझाव था कि ध्यान दिलाने वाली सूचना पर आधे घण्टे से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए तो सर्वप्रथम वक्ता को भी पांच मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाना चाहिए। आज प्रथम वक्ता ने 15 मिनट का समय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम यह प्रथा अपना रहे हैं कि ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा सभा पटल पर पत्रों को रखने की कार्यवाही 1 बजे तक समाप्त कर दी जाती है और दूसरा कार्य 2 बजे के बाद लिया जाता है। परन्तु कभी कभी ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा 1 बजे के बाद भी चलती रहती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: ध्यान दिलाने वाली सूचना में एक सदस्य का नाम सप्ताह में एक बार से अधिक बार नहीं दिखाया जाना चाहिए ।

Mr. Speaker : He should not misunderstand me. I have not said anything to irritate him.

श्री सेझियान : क्या भविष्य में ध्यान दिलाने वाली सूचना के लिये आधे घण्टे का समय दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कोई निश्चित नियम नहीं बनाना चाहिए । आम तौर पर आधे घण्टे का समय ही दिया जाना चाहिए और कभी कभी चालिस मिनट का समय भी दिया जा सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने सुझाव दिया था कि इसमें पांच सदस्यों के बजाये तीन सदस्यों का नाम दिया जाना चाहिए । हमारा आशय यह है कि इस चर्चा को मध्याह्न भोजन से पूर्व ही समाप्त हो जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में 30 मिनट का समय पहले ही समाप्त हो चुका है और अभी एक सदस्य को प्रश्न पूछना है और मंत्री महोदय को उत्तर देना है। हमें मध्याह्न भोजन के लिए जाने से पूर्व इन मामलों को निपटाना चाहिए ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत में मध्यावधि चुनाव संबंधी प्रतिवेदन

विधि तथा न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं भारत में बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैण्ड और पांडेचेरि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मध्यावधि साधारण निर्वाचन, 1968-69 खण्ड 2 (सांख्यिकी) सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3831/72]**

विमान वहन विधेयक—जारी

CARRIAGE BY AIR BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय: डाक्टर कर्ण सिंह अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात जारी रखेंगे । अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five minutes Past Fourteen of the Clock.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwary in the Chair]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): दिल्ली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को एक महीना हो गया है। यह मामला बहुत गम्भीर है, सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

ऐसा आरोप है कि कुछ सीमाशुल्क अधिकारियों ने एक लाख रुपये की घूस बालयोगेश्वर से मांगी थी। क्या इस बारे में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जायेगा ?

सभापति महोदय: ऐसे मामले बारह बजे उठाये जाने चाहिए। मैं किसी व्यक्ति को कोई मामला उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि कोई बिना मेरी अनुमति के बोलेगा तो उसको रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री शशि भूषण, श्री कृष्ण चन्द्र पांडे और श्री वयालार रवि उठे।

सभापति महोदय: यदि कोई मेरी अनुमति के बिना बोलेगा तो वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। डा० कर्ण सिंह।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली): *

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : *

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : *

सभापति महोदय: मैं किसी और सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। डा० कर्ण सिंह।

पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौतों पर आधारित हैं। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता वारसा सम्मेलन था। जिस पर 1929 में हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय विमान वहन अधिनियम 1934 में वारसा सम्मेलन के उपबन्धों को सम्मिलित किया गया। वर्तमान विधेयक इसी अधिनियम में संशोधन करने के लिये पेश किया गया है और इसका मुख्य कारण यह है कि 1963 में हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया और हेग में हुए इस सम्मेलन में हेग प्रोटोकोल के नाम से यह समझौता बनाया गया, जिससे वारसा समझौते में संशोधन किया गया।

इसे 65 देशों द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। हम समझते हैं कि हमारा इसमें सम्मिलित होना देश के हित में है।

हेग प्रोटोकोल की मुख्य विशेषता यह है कि विमान वहन सम्बन्धी दस्तावेजों में सरलता लाना तथा विमान की देयता 62,500 प्रति यात्री से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए प्रति यात्री करना है। बात यह है कि विमान परिवहन वास्तव में एक साधारण सी बात हो गयी है और बड़ी संख्या में लोग विमानों से यात्रा करने लगे हैं अतः यह आवश्यक हो गया है कि देयता बढ़ायी जाये।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
*Not recorded.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : देयता बढ़ाने के साथ-साथ क्या किराया भी बढ़ाया जायेगा ?

डा० कर्ण सिंह : इसका किरायों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : *वारसा सम्मेलन 1929 में हुआ था और उसमें 1955 में हेग प्रोटोकोल द्वारा संशोधन किया गया । सरकार ने विधेयक प्रस्तुत करने में 17 वर्ष क्यों लगाये गये हैं ?

विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि दावों को विधि न्यायालयों में दायर किया जा सकता है । ऐसे दावे उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में जायेंगे जिसमें 5-10 वर्ष का समय लगेगा । अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि दावे पहले ही उच्च न्यायालय में किये जा सकें ।

क्या इस विधेयक के परिणामस्वरूप कलकत्ता हवाई अड्डे की स्थिति में सुधार होगा ?

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) : इस विधेयक में विमानों के अपहरण के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मैं समझता हूं कि इसमें यह व्यवस्था की जानी चाहिए ।

विधेयक में विमानों द्वारा ले जाये जा रहे यात्रियों तथा माल की सुरक्षा की व्यवस्था है । परन्तु बसों द्वारा जाने वाले अथवा यात्रियों तथा माल की सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी ? इसकी व्यवस्था भी विधेयक में की जानी चाहिये ।

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि) : ** हेग प्रोटोकोल पर 1955 में हस्ताक्षर हुए थे और अपेक्षित संख्या में देशों द्वारा अनुमोदन के पश्चात इसे 1 अगस्त 1963 को लागू किया गया था । सरकार को इस विधेयक को पेश करने में 9 वर्ष का समय क्यों लगा है ?

न्यायालयों में मामलों पर होने वाले विलम्बों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने श्रमिक विवादों के लिये पृथक न्यायालयों की सिफारिश की थी । इस विधेयक के खण्ड 7 (2) के द्वारा उच्च न्यायालय को सभी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाली प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है । जो उच्च संविदाकारी पक्षों के विरुद्ध मुकदमों के निपटान में समर्थ बनाने में लाभकारी हो सकते हैं । यह समझ में नहीं आता कि उच्च न्यायालय को प्रक्रिया बनाने सम्बन्धी शक्ति क्यों दी जा रही है ।

हेग प्रोटोकोल द्वारा बनाया गया एक मुख्य संशोधन विमान वहन के दस्तावेजों का सरलीकरण करना था । क्या यह सरलीकरण इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया के विमान वहन पर समान रूप से लागू होगा ?

विमान वाहक की देयता 1,25,000 स्वर्ण फ्रैंक से बढ़ाकर 2,50,000 स्वर्ण फ्रैंक कर दी गई है । इस वृद्धि के साथ साथ विमान वाहकों को भी अधिक बीमा किश्तें देनी होंगी और

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Bengali.

** तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

**Summarised Hindi version of English translation of speech delivered in Tamil.

इससे विमान के भाड़े में वृद्धि होगी । क्या आंतरिक विमान वहन के लिये भी यह देयता बढ़ाई गई है ?

मैं समझता हूं कि इस विधेयक से की गई व्यवस्था को गैर-अन्तर्राष्ट्रीय वाहकों पर भी लागू करने की व्यवस्था की गई है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें ।

Shri Maha Deepak Singh Shakya (Kasganj) : This Bill has been introduced after long period of 17 years. We have outdated aeroplanes which need improvements. I have no objection in holding the transporter responsible for the loss of passenger or luggage in any accident but the addition, made in the bill with regard to exempting the transporter from this responsibility because he had made all possible precautionary measures against the accident, do not appear to be in order.

May I know what is the yardstick for determining the amount of compensation ? The compensation should be determined not on the basis of weight but on the value of the article. The maximum limit for each passenger has been fixed at Rs. 1.25 lack but there should also be a minimum limit.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : इस सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाये गये हैं। कई सदस्यों ने यह बात उठाई है कि हमने इस विधान को पेश करने में इतना समय क्यों लगाया है । मैं बताना चाहता हूं कि नया प्रोटोकोल 1963 में लागू हुआ था और हम यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में इसके बारे में प्रतिक्रिया होती है । क्योंकि इन बहुपक्षीय समझौते का मूल्य काफी सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार वे इनको स्वीकार करते हैं । हम कुछ समय से इस विधान पर विचार कर रहे हैं और जब हमने देखा कि इस नये प्रोटोकोल को काफी लोगों ने स्वीकार कर लिया है, तो हमने इस विधान को पेश किया है ।

न्यायालय के बारे में भी प्रश्न उठाये गये हैं । वारसा कानवेंशन के अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत विचारण स्थल को देश के सामान्य कानून द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिये । आशा है कि दुर्घटनाओं की संख्या इतनी अधिक नहीं होगी, जिससे इस प्रयोजन के लिए एक विशेष न्यायालय आवश्यक हो जाये ।

हमारे पास पुराने विमान है, यह बात ठीक है । हमारा देश गरीब तथा विकासशील है और हम तुरन्त ही अपने सभी पुराने विमानों को फैंक कर अपनी विलासिता के लिये खर्च सहन करने में असमर्थ हैं । हमारा सुरक्षा रिकार्ड विशेषकर, हमारा अन्तर्राष्ट्रीय वाहक विमान एयर इन्डिया का विश्व के किसी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के सुरक्षा रिकार्ड की तुलना में बहुत अच्छी प्रकार से काम करता है ।

कलकत्ता हवाई अड्डे के सम्बन्ध में हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि कलकत्ता हवाई अड्डे को पुनः पहले वाला दर्जा प्राप्त हो जाये ।

इसके अतिरिक्त विमान अपहरण के बारे में भी कहा गया है । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में विमानों का अपहरण रोकने के लिये समुचित उपाय ढ़ूढ़ निकालने के प्रयास जारी हैं । इन प्रयासों में हम बहुत ही सक्रियता से भाग ले रहे हैं । हमारे प्रतिनिधियों ने सम्मेलनों में भाग लिया है और ज्यों ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को व्यापक रूप से स्वीकृत विधान उपलब्ध हो जाता है, त्यों ही मुझे इसे यथाशीघ्र सभा के सामने लाने की निश्चित रूप से आशा है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन से सम्बन्धित कतिपय नियमों के एकीकरण के लिये वारसा में सन् 1929 के अक्तूबर के बारहवें दिन हस्ताक्षरित अभिसमय का तथा सन् 1955 के सितम्बर के अट्ठाईसवें दिन हेग प्रोटोकोल द्वारा यथासंशोधित उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिये उक्त अभिसमय में उसके, मूल तथा संशोधित रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को (अपवादों, अनुकूलों और उपान्तरों के अधीन) ऐसे विमानवहन पर, जो अन्तर्राष्ट्रीय विमानवहन नहीं हैं, लागू करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 9, अनुसूची I तथा II, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 2 से 9, अनुसूची I तथा II खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 9, Schedules I and II, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

डा० कर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE: TWELFTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि सम्बन्धी बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल, 1972 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

संविधान के निर्माताओं ने यह ठीक ही महसूस किया था कि भाषायी अल्पसंख्यकों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में एक वृहत योजना बनाई जाये ताकि उनमें यह भावना उत्पन्न हो जाये कि वे सुरक्षित हैं और उनकी स्थिति सुरक्षित है तथा वे अपनी लिपि और भाषा का विकास कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 347, 350 तथा 350 क के अन्तर्गत भाषायी अल्प संख्यकों के लिये प्रत्यक्ष रूप से अनुरक्षणों की व्यवस्था की गई है।

भाषायी अल्प संख्यकों की शिक्षा तथा प्रशासनिक सुविधाओं के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों की अगस्त, 1961 में हुई बैठक में निर्णय लिये गये। इन निर्णयों के फलस्वरूप अनुरक्षणों की एक योजना बनाई गई थी और प्रत्येक राज्य सरकार तथा संघ क्षेत्र प्रशासन का कर्त्तव्य इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक प्रबन्ध करना है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय की स्थापना 1957 में की गई थी। आयुक्त के मुख्य कार्य भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये प्रदान किये गये अनुरक्षणों से सम्बन्धित सभी मामलों में अनुच्छेद 350 ख (2) के उपबन्ध के अनुसार जांच करनी हैं तथा इन मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेशानुसार समय समय पर उन्हें अपना प्रतिवेदन पेश करना है। आयुक्त एक कार्यकारी अभिकरण नहीं है और स्वीकृत अनुरक्षणों को कार्यान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

संसद की दोनों सभाओं में अब तक 12 प्रतिवेदन पेश किये गये हैं। 12वां प्रतिवेदन सभा पटल पर 12 अप्रैल, 1972 को पेश किया गया था जिस पर अब चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई 1969 से 30 जून 1970 तक की अवधि सम्बन्धी बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल 1972 को सभा पटल पर रखा गया था। विचार करती है।"

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि सम्बन्धी बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के उपरान्त, खेद व्यक्त करती है कि सरकार क्षेत्रीय भाषायी प्रमाद को रोकने में सर्वथा निष्प्रभावी रही है और उसने इसे प्रायः बढ़ावा ही दिया है, जिसके परिणामस्वरूप देश की एकता के स्थान पर विघटनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है।"

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : ऐसा प्रतीत होता है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये सब कुछ किया जा रहा है। खेद की बात है कि कई राज्य सरकारें संविधान के निदेशों में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किये गये अनुरक्षणों सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं जैसा कि 12वें प्रतिवेदन में बताया गया है।

भाषा कोई साधारण समस्या नहीं है। अब तक सरकार इस समस्या को एक महत्वहीन मामले के रूप में लेती रही है। इस बात की सबको जांच करनी चाहिये कि भारत में रहने वाले विभिन्न भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों के सम्बन्ध में अनुरक्षणों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के उदाहरण प्रतिवेदन में दिये गये हैं। आसाम में कुछ समय पहले से विष्णुप्रिया-मणिपुर भाषा बोलने वाले लोग यह मांग करते रहे हैं कि उनकी भाषा को प्रारम्भिक चरण तक मातृभाषा का रूप दिया जाना चाहिये। आयोग ने यह बात भी स्वीकार की है। किन्तु आसाम सरकार ने यह बात मानने से इन्कार कर दिया है। बिहार में भी जो संथाली भाषा बोलने वाले शिक्षा का माध्यम अपनी मातृभाषा को बनाना चाहते थे, उन्हें स्कूलों में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया है। यदि किसी एक स्कूल में 40 छात्र एक ही भाषा बोलते हों और उनमें से एक ही श्रेणी में10 छात्र उसी भाषा को शिक्षा का माध्यम चाहें तो उनकी मातृभाषा के ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह बात अस्वीकार कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मामले में प्रतिवेदन में कहा गया है कि क्योंकि आदिवासी बोलियों का विकास नहीं हुआ है अतः इन्हें शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह इन लोगों की बोलियों का विकास करके उन्हें क्षेत्रीय भाषा का पद दे और उन लोगों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करे।

ऐसे प्राइमरी स्कूल त्रिपुरा में सैकड़ों हैं जहां शत प्रतिशत आदिवासी छात्र त्रिपुरा नामक एक ही बोली बोलते हैं और मुख्य मंत्री द्वारा आयुक्त की सही रिपोर्ट नहीं दी गयी है। मंत्री महोदय ने बताया है कि किसी विशेष भाषा के विकास की जिम्मेदारी तथा छात्रों को उनकी मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। किन्तु त्रिपुरा काफी समय से केन्द्रीय सरकार के अधीन है, और अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मणिपुर की कई भाषाओं तथा बोलियों को मणिपुर सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। मणिपुर भाषा एक विकसित भाषा है और यह कालेज स्तर तक पढ़ाई जा रही है। केन्द्रीय सरकार इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने से क्यों हिचकिचा रही है। इसी प्रकार नेपाली भाषा भी एक विकसित भाषा है। पश्चिम बंगाल में नेपाली लोग काफी संख्या में है और इस भाषा को भी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

आसाम में भारत सरकार भाषा समस्या की ओर गम्भीर नहीं है। आश्चर्य की बात है कि प्रधान मंत्री ने आसाम में कहा है कि यह मामला आसाम सरकार का है और उसे स्वयं इस भाषा समस्या को हल करना चाहिये। निहित स्वार्थ के लोग भाषायी दलों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का रहे हैं और उनमें मनमुटाव पैदा कर रहे हैं।

बंगाली भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक लोगों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। अतः इस समुचित प्रश्न की गम्भीरता से जांच के लिये तत्काल एक संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिये और इस बात का पता किया जाना चाहिये कि इन भाषा सम्बन्धी दंगों के दौरान आसाम में क्या हुआ। उस संसदीय समिति में सभी विरोधी दलों के प्रतिनिधि होने चाहिये। बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों तथा अन्य भाषायी अल्पसंख्यकों को उच्चतम स्तर पर शिक्षा अपनी मातृभाषा में

मिलने का अधिकार होना चाहिये । कछार जिले में शिक्षा का माध्यम बंगाली भाषा है । यदि हम बंगाली को शिक्षा का माध्यम बना सकते हैं तो इसे विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम क्यों नहीं बनाया जा सकता । अब यह सुझाव दिया गया है कि कछार क्षेत्र में बंगाली-भाषा बोलने वाले लोगों के लिये एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये । समस्या को हल करने का यह उचित तरीका नहीं है । वहां कुछ ऐसे बंगाली भी हैं जो कछार जिले से बाहर रह रहे हैं और ऐसे ही कुछ अन्य आदिवासी लोग भी हैं । यही कारण है कि हमारे दल ने यह सुझाव दिया है कि यदि कुछ क्षेत्रों में किसी भाषा को बोलने वाले काफी लोग हों तो प्रशासनिक भाषा उनकी मातृभाषा होनी चाहिये । इसमें कोई संदेह नहीं है कि आसाम में आसामी भाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिये । किन्तु बंगाली भाषा भी कुछ भागों में विशेषकर कछार जिले में प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनायी जानी चाहिये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित–आंग्ल–भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा, भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि सम्बन्धी 12वें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल, 1972 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करने के उपरान्त खेद व्यक्त करती है कि सरकार।"

(क) बढ़ते हुए भाषायी तथा क्षेत्रीय उन्माद को रोकने में असफल रही है और वस्तुतः इसने इसे प्रायः बढ़ावा ही दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ भेद-भाव और वास्तव में प्रायः उनके दमन को बढ़ावा ही मिला है ; तथा

(ख) "भूमि सपूत" के नाम में बढ़ते हुए आन्दोलनों को रोकने में असफल रही है, और इसने वस्तुतः इसे प्रायः बढ़ावा ही दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दोहरी नागरिकता को जन्म मिला है और अल्पसंख्यकों के साथ भेद-भाव तथा प्रायः उनके दमन को बढ़ावा ही मिला है ।" **—संख्या 1**

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

"इस सभा की भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि सम्बन्धी 12वें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के उपरांत, राय है कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 350, 350 क और 350 ख के अधीन विभिन्न राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों का भाषायी तथा सांस्कृतिक स्वातंत्र्य उन्हें प्राप्त कराने में न केवल असफल रही है, अपितु वह उनके मूल नागरिकता अधिकारों की रक्षा करने में भी असफल रही है, जोकि आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी में हाल में हुए भाषायी दंगों से स्पष्ट है, और सिफारिश करती है कि सरकार विभिन्न राज्यों में भाषा के प्रश्न को सभी विवादों से दूर रखने के उद्देश्य से एक सर्वदलीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति, जिसमें संसद की दोनों सभाओं में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों, गठित

करें, ताकि समस्त राज्यों में सभी भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए उनके न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित करने के प्रश्न पर सहमति हो सके और जो इस विषय में राष्ट्रपति को निश्चित सिफारिशें कर सकें।" —संख्या 2

Smt. Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : Even after 25 years of independence, adequate attention has not yet been paid to the question of linguistic minorities. It is perhaps the twelfth report of the Commissioner for Linguistic Minorities. The Ministry of Home Affairs should also make an assessment as to how many of the recommendations of the Commissioner have been accepted and implemented and how many of them have not been implemented. In various states, there is no machinery to look after the implementation of the recommendations of the Commissioner. In the Centre as well as in various States, there should be a Minister to look after the matters relating to the linguistic minorities.

The recruiting policy of the Ministry of Home Affairs is closely linked to the question of linguistic minorities. There would be no use in learning a language if it can not help to provide employment. It should be ensured that they get their due share in services.

Urdu has got a special place, a historical place, as has been mentioned in the Report. But it is being badly treated. No steps have been taken to keep this language alive, let alone its development. One of the reasons is that many persons try to link it to a religion. They call it the language of the Muslims and Hindi and Sanskrit the language of Hindus. The religion and a language should not be co-related. Similarly in Punjab also, Hindi and Punjabi have been associated with some religions. Some communalists call Punjabi as Sikhs' language and Hindi as Hindus' language. Punjabi could survive as it is associated with a religion, but Urdu is being mal-treated. As a result of this Urdu speaking people were compelled to tell their mother tongue as Hindi. It had been decided that an application received in Urdu should be replied in Urdu. The honourable Minister should find out whether it is being complied with or not.

Urdu teachers are not provided in the schools. In Delhi itself, there were five seats for Urdu teachers' training, but now all of them except one have been reserved for non-Hindi speaking people.

It has also been said in the Text Books' Report that teaching could not be carried on without the arrangement of Text Books. In Delhi itself Urdu Text Books have not been supplied so far.

The formula of ten and forty is also not being implemented. The parents would take with them only their one word, and not ten students. The teachers of a language should be provided first and the formula should be examined first. The formula evolved in 1961 Conference of Chief Ministers should also be got examined once again.

The Census Commissioner's report was published some time back and the number of Hindus and Muslims was mentioned therein separately. In my opinion, facilities for learning all the languages enumerated in the Constitution should be provided.

The publicity material and Government notifications should also be published in the languages of minorities i.e. in Urdu etc. otherwise we cannot expect them to merge in the mainstream of national life.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

"यह सभा भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970

तक की अवधि सम्बन्धी बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के उपरांत, खेद तथा चिन्ता व्यक्त करती है कि केन्द्रीय सरकार आसाम में हुए वर्तमान भाषायी दंगों से उत्पन्न स्थिति से सख्ती से निपटने के लिये आवश्यक उपाय करने में असफल रही है तथा उसने आसाम में विधि तथा व्यवस्था की समूची समस्या को स्थानीय अधिकारियों पर ही छोड़ दिया है और सरकार से आग्रह करती है कि वह अविलम्ब निम्नलिखित समुचित एवं ठोस कदम उठाए—

(क) आसाम में फैली हुई विधि तथा व्यवस्था की हिंसात्मक स्थिति से दृढ़ निश्चय के साथ निपटने के लिये राष्ट्रीय नीतियों तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से समुचित उपाय करने तथा विभिन्न भाषायी अल्पसंख्यकों के जीवन, सम्पत्ति तथा सम्मान को नष्ट करने हेतु की जा रही हिंसात्मक गतिविधियां जारी रहने के विरुद्ध कठोर उपाय करके आसाम में शीघ्रातिशीघ्र सामान्य स्थिति पैदा करने के लिये प्रभावी पग उठाये ;

(ख) जिनकी सम्पति या तो जला दी गई है, या लूट ली गई है, उन्हें तथा उपद्रवों के शिकार हुए व्यक्तियों पर आश्रित परिवार जनों को प्रतिकर देने के लिये शीघ्र कदम उठाये और उपद्रवों के शिकार हुए बेघरवार कर दिये गये व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये शीघ्र समुचित व्यवस्था करें ;

(ग) अल्पसंख्यक वर्गों के उन सरकारी कर्मचारियों को, जो उपद्रवों के समय गिरफ्तार किये गये थे, तुरन्त रिहा करे, और भाषायी अल्पसंख्यकों समुदायों के अन्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किये गये निलम्बन आदेश वापस ले तथा भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं एवं अन्य सदस्यों को भी रिहा करे ।

(घ) आसाम में हाल में हुई हिंसात्मक घटनाओं की न्यायिक जांच उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराये ;

(ङ) आसाम में भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों और वहां रहने वाले असमिया भाषी समाज के लोगों के बीच विश्वास, सौहार्द तथा सद्भावना के सम्बन्ध पुनः स्थापित करने और विभिन्न भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के मन में उनकी भावी सुरक्षा के सम्बन्ध में विश्वास जमाने के लिये एक सर्वदलीय संसदीय शिष्टमण्डल आसाम भेजे ; और

(च) भाषायी अल्पसंख्यकों के अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के बारे में संविधान के उपबन्धों और सर्वमान्य राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप आसाम में भाषायी विवाद का समाधान करने हेतु मार्गोपाय सुझाने के लिये भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा एक विशेष आयोग स्थापित किया जाये ?"

श्री फ्रैन्क एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा, भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970

तक की अवधि सम्बन्धी 12वें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल, 1972 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करने के उपरांत खेद व्यक्त करती है कि सरकार—

(क) बढ़ते हुए भाषायी तथा क्षेत्रीय उन्माद को रोकने में असफल रही है और वस्तुतः इसने इसे प्रायः बढ़ावा ही दिया है, जिसके परिणामस्वरूप भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ भेद-भाव और वास्तव में प्रायः उनके दमन को बढ़ावा ही मिला है ; तथा

(ख) "भूमि सपूत" के नाम में बढ़ते हुए आन्दोलनों को रोकने में असफल रही है, और इसने वस्तुतः इसे प्रायः बढ़ावा ही दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दोहरी नागरिकता को जन्म मिला है और अल्प संख्यकों के साथ भेद-भाव तथा प्रायः उनके दमन को बढ़ावा ही मिला है।"

पता नहीं सदन के बहुत से सदस्यों को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं कि संविधान में अनुच्छेद 350 रु० मेरे ही प्रयास के कारण आ सका था। राज्य पुनर्गठन विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मैंने करनी और कथनी के बीच भारी अन्तर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक दमन ही नहीं, बल्कि आर्थिक शोषण का भी उल्लेख किया था। उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर राज्य सरकारें भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा नहीं कर पातीं, तो अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है।

आयोग ने यह भी कहा था कि केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए कि कहीं भाषाई अल्पसंख्यक द्वितीय श्रेणी के नागरिक न बन जायें। यह सरकार आगजनी, लूटमार, दंगा और बलात्कार की भाषा ही समझ पाती है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति यह सरकार कोई सहानुभूति नहीं रखती। यही कारण था कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा कि वर्ष 1965 से 11वीं रिपोर्ट तक सरकार ने इस सदन में अल्पसंख्यकों के बारे में रिपोर्ट पर चर्चा कराने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई।

मैं उन थोड़े से सदस्यों में से था, जो मुसलमानों के हितों के लिए सदन में संघर्ष करते थे। श्री भण्डारे भी मुझसे सहमत होंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति मौखिक सहानुभूति प्रदर्शित किये जाने के बावजूद भी वे सबसे अधिक पिछड़े और दलित हैं। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि मुस्लिम शासन के पापों का और विभाजन के पाप का दण्ड भोग रहे हैं। मुस्लिमों को अपने हितों की स्वयं देखभाल करनी चाहिए।

सिखों का छोटा सा सम्प्रदाय है और वे उस भाषा का प्रयोग करना भी जानते हैं जो सरकार समझती है। मैं उस अल्प संख्यक समुदाय का यहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जिसके प्रति धार्मिक ही नहीं भाषाई भेदभाव भी बरता जाता है।

आन्ध्र प्रदेश के गठन का मैंने विरोध किया था। मैंने उस समय कहा था कि जब एक भाषा को राजनैतिक प्रभुत्व दे दिया जायगा, तो भाषाई अल्पसंख्यक समाप्त हो जायगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मैंने यह कहा था कि बहुभाषी राज्यों की स्थापना से ही अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति समानता बरती जा सकेगी। वाजपेयी जी ने कहा कि एक ही धर्म के आन्ध्रवासी दूसरे के प्रति भाई भतीजावाद और भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। तब आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति क्या व्यवहार होता होगा।

असम में ये मानव-निर्मित दुखद घटनायें हैं। इस आशय के समाचार मिले हैं कि कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं ने बंगालियों के प्रति आक्रोश और दमन को प्रोत्साहित किया। बलात्कार तक की दुखद घटनायें हुईं। भाषा के नाम पर यह किया गया। वर्ष 1960 में पं० नेहरू के समय ही सचाई को छिपाया गया। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि असमियाभाषी जनता की संख्या 52 प्रतिशत है, जबकि कुछ अन्य व्यक्तियों का कहना है कि उनकी संख्या केवल 42 प्रतिशत ही है। असम की जनता अपना राजनैतिक और क्षेत्रीय प्रभुत्व खोने की आशंका से ग्रस्त है और इसीलिए वे बंगालियों, बिहारी और मुस्लिमों को वहां से निकाल फेंकना चाहते हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का रिपोर्ट प्रतिवेदन छोटा तो है, परन्तु उसमें कुछ दुखद बातों का उल्लेख है। भाषाई राज्यों का अभिशाप देश पर लाद दिया गया है। एक भाषा भाषी-राज्य क्या कहते हैं—वे कहते हैं कि उनके यहां भाषाई अल्पसंख्यक है ही नहीं। हरियाणा कहता है कि उस राज्य में पंजाबी भाषी नहीं और पंजाब कहता है कि वहां हिन्दी भाषी जनता नहीं। आर्य समाजियों के मामले में उच्चतम न्यायालय को स्वीकार करना पड़ा कि वे धर्म की दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं।

हिन्दी भाषी राज्यों के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है? भाषाई आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे 1956 के ज्ञापन का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार राज्य सेवा में भर्ती के लिए राज्य सरकार को क्षेत्रीय भाषा की जानकारी की शर्त में ढील देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को सेवा में तब तक भर्ती होने का मौका नहीं देती जब तक वे उस दुरूह भाषा का ज्ञान न रखते हों।

'धरती के सपूतों' (सन्ज आफ दि सायल) आन्दोलन के बारे में आप क्या कर रहे हैं? यह भी साम्प्रदायिकता का एक घृणित रूप है। आप इसे प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे दृढ़ कर रहे हैं। शिवसेना की विचारधारा से या तो आप अत्याधिक भयभीत हैं यह गुप्त रूप से उसका समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र महाराष्ट्र वालों के लिए नहीं, बल्कि मराठी भाषी लोगों के लिए है। भाषाई राज्य के पीछे यही विचारधारा है। अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप इस विचारधारा को बढ़ावा देते रहे हैं और दे रहे हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के अनुसार गुजरात में मराठी भाषी जैसे बड़े समुदायों के प्रति भेदभाव बरता जाता है और वे गुजरात में नौकरी नहीं पा सकते, फिर छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय की तो बात ही कौन कहे। वे केवल टैक्स देने और अन्य कष्टों को सहने के लिए ही नागरिक हैं।

हम लोग अत्यन्त अल्पमत में हैं तथा राज्यों द्वारा संकल्प की भावना के विरुद्ध लगाई जाने वाली शर्तों के कारण हमें नौकरियां भी नहीं मिलती। परन्तु फिर भी छात्रवृत्तियों आदि की सहायता से हम अपने युवक और युवतियों को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु खेद है कि निवास सम्बन्धी शर्त के कारण इन लोगों को कालेजों में प्रवेश नहीं मिलता। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी होने के कारण किसी भी राज्य में वे तीन वर्ष से अधिक नहीं रह पाते और इसीलिए राज्य के कालेज अधिकारी उनके बच्चों को प्रवेश नहीं देते। और अब आप आश्चर्य करते हैं कि ये लोग देश छोड़ कर क्यों जाते हैं। इस देश में तो उन्हें गेटों और गटरों में ही रहने को मिलेगा। मैं अनुसूचित जातियों तथा उनके लिए आरक्षण की बात नहीं करता। मैसूर में तो सभी प्रभुत्वशाली ग्रुप पिछड़े वर्गों के रूप में सामने आ गये हैं। तमिलनाडु में सभी प्रभुत्व वाले राजनैतिक दल पिछड़ी जातियों के सदस्य बन गये हैं और अब स्थिति यह हो गई है कि जो लोग स्वयं को पिछड़ी जाति का नहीं मानते उनके लिये कोई भी आरक्षण नहीं रह गया है। गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त का कहना है कि वह भी भली प्रकार जानते हैं कि अल्पमत वाले एंग्लो-इण्डियनों की दशा क्या है। परन्तु सच यह है कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। वह अपने आप को धोखा दे सकते हैं, औरों को नहीं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का बारहवां प्रतिवेदन आज सभा के विचाराधीन है। प्रश्न यह है कि क्या गत 25 वर्षों में हमने इस संबंध में कोई ध्येय पूरे किये हैं? कम से कम आसाम में पीढ़ियों से रहते आ रहे बड़ी संख्या में भाषाई अल्प संख्यक यही समझते हैं कि हमने ऐसा कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। आज भी आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्त्री-पुरुषों के जीवन, सम्पत्ति व सम्मान को बराबर संकट बना हुआ है। आजादी प्राप्त होने के बाद वे वहां अब सातवीं बार बंगालियों तथा बंगलाभाषियों पर अत्याचार करने की नीति चल रही है। उनका विनाश करने का प्रयास किया जा रहा है।

विशेष रूप से आसाम में संविधान में कुछ राज्यों से निहित उपबंधों का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। इस विचाराधीन प्रतिवेदन के पृष्ठ 10 पर अनुच्छेद 51 में भी यह कहा गया है कि असम सरकार ने इस संबंध में स्वयं ही ऐसे नियम बनाये हैं जिससे कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से समय-समय पर ये नियम बना सकती है कि मातृ भाषा कौन सी हो यह संविधान के अनुच्छेद संख्या 350 ए का सर्वथा उल्लंघन है। राज्य सरकार कछार जिले में बंगाली भाषा के माध्यम वाले प्राइमरी स्कूलों को कम अनुदान देती है जबकि हाल ही में खुले असमिया भाषा के स्कूलों को अधिक सहायता भी दी जा रही है। साथ ही ब्रह्मपुत्र घाटी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत खुले स्कूलों पर भी यह दबाव डाला जा रहा है कि वे बंगाली के स्थान पर असमिया को शिक्षा का माध्यम बनायें। एक दुःख-प्रद उदाहरण यह है कि गोलपाड़ा जिले के 250 स्कूलों में एक दिन के अन्दर अन्दर असमिया को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों को दिये जाने वाले अनुरक्षणों का सर्वथा अतिक्रमण किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 14 पर अनुच्छेद 74 के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार का मुख्य सचिव राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों संबंधी काम-काज का प्रभारी अधिकारी तथा अल्पसंख्यक अधिकारी होता है और जिलों में उपायुक्त होते हैं परन्तु खेद है कि नौगांव जिले के उपायुक्त तथा वहां के पुलिस अधीक्षक तथा उनके अधीनस्थ अधिकारीगण इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि वहां बंगाली अल्पसंख्यकों के साथ लूट-पाट डाकाजनी तथा महिलाओं के साथ बलात्कार आदि बातें चल रही हैं तथा जिले में सर्वत्र आतंक फैला हुआ है। बड़े खेद की बात है कि राज्य सरकार

तथा केन्द्र सरकार ने इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की है । डिब्रूगढ़ जिले का उपायुक्त भी बंगाली अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में असफल रहे हैं । जोरहाट में भी बंगालियों की संपत्तियां दिन दिहाड़े लूटी जाती रही, उन पर खुले बाजारों में आक्रमण किया जाता रहा और वहां की पुलिस दर्शक बनी खड़ी देखती रही । इसी प्रकार गोलाघाट सरुपाथेर साकियापाथेर नौजान आदि अनेक स्थानों पर, पुलिस ने बंगाली अल्प संख्यकों को ही परेशान किया । डिब्रूगढ़ मेडिकल कालेज की छात्राओं ने भी प्रधान मंत्री से मिलकर अपनी दयनीय दशा के बारे में उन्हें बताया था । इसी प्रकार उस क्षेत्र के बंगाली रेलवे कर्मचारियों तथा उनकी स्त्रियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गये । आज तक भी अनेक महिलायें लापता हैं ।

इस पर भी, इन घटनाओं के संबंध में अधिकांशतया बंगाली समुदाय के लोगों को ही गिरफ्तार करके उन पर अत्याचार किया जा रहा है । सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकार ने इन सभी घटनाओं तथा जानकारियों को छिपाये रखा तथा किसी को भी घटना-स्थलों पर जाने नहीं दिया । यहां तक कि केन्द्र सरकार के राज्य गृह मंत्री को भी वे स्थान नहीं दिखाये गये ।

बंगालियों पर उक्त अत्याचार असम में कोई पहली घटना नहीं है । वहां तो मारवाड़ियों तथा हिन्दुस्तानियों को भी नहीं बख्शा जाता । हद तो यह है कि गोहाटी तथा डिब्रूगढ़ के आकाशवाणी केन्द्र भी बंगालियों के विरुद्ध घृणा के भाव फैलाते रहे हैं । स्कूलों में बंगाली छात्र-छात्राओं को पीट दिया जाता है, उनकी किताबें आदि जला दी जाती हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है । क्या केन्द्र सरकार उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभालेगी ?

अन्त में सरकार से मेरा निवेदन है कि वह वहां की सभी घटनाओं की पूरी तरह जांच कराये तथा घटनास्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक संसदीय शिष्टमंडल वहां भेजे । साथ ही इसके लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त जांच आयोग नियुक्त करे । मेरा यह भी अनुरोध है कि सरकार वर्तमान जांच प्रतिवेदन को भी ऐसे ही न छोड़ दे जैसे गोरेश्वर जांच आयोग को उठाकर ताक पर रख दिया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस प्रतिवेदन में दिये गये विवरणों से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार अधिकांश राज्य सरकारों से अल्पसंख्यकों को प्रदान किये गये अनुरक्षणों तथा आश्वासनों को क्रियान्वित कराने में सर्वथा असफल रही है । इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 72 से 76 तक आयुक्त ने राज्य सरकारों द्वारा किये गये अनेक ऐसे उल्लंघनों का विवरण दिया है तथा उन्हें बार बार हुई ऐसी गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया है ।

अतः मंत्री महोदय अन्य सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ इस संबंध में भी यथोचित स्पष्टीकरण दें । इन घटनाओं को रोकने के लिये जो उपचार सुझाये गये हैं वे सर्वथा अपर्याप्त हैं । आयुक्त द्वारा पृष्ठ 73 पर दिया गया यह सुझाव बड़ा महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 350-51 को निदेशात्मक न बनाकर अनिवार्य विधान का रूप दिया जाये क्योंकि राज्य सरकारें अनुदेशों या निर्देशों का उचित रूप से पालन नहीं करती हैं । उसने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार कुछ आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार करे जिनमें राष्ट्रीय एकता तथा संस्कृति को बल दिया जाये तथा इन पुस्तकों को विभिन्न राज्यों में लागू किया जाये । प्रतिवेदन की क्रियान्विति के संदर्भ में आयुक्त ने एक व्यवस्था-

तंत्र गठित करने का भी सुझाव दिया है क्योंकि उसने कहा है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा दिये गये अनुरक्षणों की क्रियान्विति का सुनिश्चय कराना उनके लिये संभव नहीं है। आयुक्त ने कहा है कि सरकार इस पर यथेष्ट रूप में विचार कर सकती है। मंत्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देते समय स्पष्ट रूप से यह बतायें कि सरकार आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों तथा दिये गये सुझावों के बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है। आयुक्त द्वारा बताये गये दोषों, त्रुटियों एवं उल्लंघनों के संबंध में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

यदि भाषाई अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार के आक्रमण होते रहते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार से आतंकित किया जाता है तो फिर सरकार द्वारा उन्हें दिये गये अनुरक्षणों तथा आश्वासनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है और न ही उनके बारे में यहां चर्चा करने का ही कोई अभिप्राय निकलता है। मैं मानता हूं कि किसी भाषा के शिक्षा के माध्यम होने अथवा न होने के बारे में कोई मतभेद हो सकता है, विचार भिन्नता हो सकती है, परन्तु क्या क्या मतभेद लूटपाट, डाकाजनी तथा बलात्कार के माध्यम से दूर किया जाना है ?

जो कुछ असम में हुआ है उसका संबंध केवल असम से ही नहीं है, यह तो सारे देश के लिये एक चेतावनी की बात है, एक सबक सीख लेने की बात है। मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि उन क्षेत्रों, विशेषकर नौगांव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि आदि जिलों, का दौरा करने, वहां के लोगों से बात चीत करने तदुपरान्त तथ्यों का विवरण इस सभा को देने के लिये एक प्रतिनिधि संसदीय समिति वहां भेजी जाये। परन्तु मैं आसाम से संबंधित अपने मित्रों से यह आशा जरूर करूंगा कि वे पूरे जोर के साथ ऐसी गतिविधियों की निन्दा करें जोकि वहां न केवल बंगालियों के बल्कि आदिवासी लोगों के विरुद्ध भी की गई हैं।

हम जानते हैं कि वहां क्या कुछ हुआ है तथा क्या कुछ हो रहा है। वहां से आम लोग, छात्र, यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भी भाग रहे हैं। वे कहते हैं कि वे वहां काम नहीं कर सकते। शिलांग में जिन दिनों हिंसात्मक घटनायें अपनी चरम सीमा पर थीं मैं वहां सलाहकार समिति की एक बैठक में भाग लेने गया हुआ था। इस दौरान भाषाई अल्पसंख्यक समिति के प्रतिनिधि हम से मिले। उस समय कई संसद सदस्य तथा कई केन्द्रीय मंत्री भी मौजूद थे। वे लोग बार बार यही एक प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रधान मंत्री ने इन घटनाओं की निन्दा करते हुए इस संबंध में अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा ? हम इसका कोई उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि बड़े दुःख की बात है कि जब कि स्थिति राज्य सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो गई है, प्रधान मंत्री ने इस संबंध में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। अन्य राज्यों में तो इससे भी कम गंभीर स्थिति में सेना बुला ली जाती है परन्तु यहां राज्य सरकार द्वारा यह स्वीकार किये जाने पर भी कि वह इस स्थिति पर नियंत्रण पाने में असमर्थ है, कुछ भी नहीं किया गया। मेरा विचार है कि भारत सरकार तथा प्रधान मंत्री ने अपने इस दायित्व के प्रति पूरी तरह उपेक्षा से काम लिया है।

मेरी मांग है कि कुछ दिन पश्चात वहां अदालती जांच की जानी चाहिये क्योंकि वहां अब भी निरन्तर घटनायें हो रही हैं। अदालती जांच कराकर यह भी पता लगाया जाये कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या था तथा कौन कौन से तत्व इसके लिये उत्तरदायी हैं। मुझे तो यह भी पता लगा है कि इस राज्य के कांग्रेस दल के ही कुछ तत्व वहां के वर्तमान मुख्य मंत्री को अपदस्थ करने के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां करा रहे थे। अतः सब तथ्यों का पता लगाने के लिये अदालती जांच की जानी चाहिये।

23 सितम्बर, 1972 को असम विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह संकल्प पास किया था कि गोहाटी तथा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम असमिया भाषा होगी तथापि अंग्रेजी भी शिक्षा का माध्यम बनी रहेगी। हालांकि संकल्प में यह नहीं कहा गया था कि उक्त व्यवस्था कितनी अवधि तक जारी रहेगी। इस संकल्प में आगे कहा गया था कि कछार जिले के लिये प्रादेशिक कार्य क्षेत्र वाला एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये तथा इस बारे में भारत सरकार से सहायता ली जाये।

इस प्रकार इस संकल्प के दो भागों में से एक में असमिया भाषा को उचित स्थान दिया गया तथा दूसरे भाग में अल्पसंख्यक गैर-असमिया बंगाली समुदाय तथा अदिवासियों के हितों को अनुरक्षण दिया गया। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि जबकि विधान सभा के सभी दल इस संकल्प में भागीदार थे तो फिर दूसरे दिन ही उन्होंने इसका विरोध करना क्यों आरंभ कर दिया ? फिर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने वहां पहुंच कर तथा यह कहकर स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया कि विधान सभा का उक्त संकल्प सही नहीं है तथा परीक्षाओं के लिये असमिया भाषा वाले ही एक-मात्र माध्यम रहना चाहिये ? इस वक्तव्य से वहां असन्तोष की आग और अधिक प्रज्वलित हो उठी। ऐसी स्थिति में असम के मुख्य मंत्री भी विवश-से हो गये। बताया जाता है कि 29 सितम्बर को उन्होंने कहा कि वह गोहाटी में छात्रों के प्रतिनिधियों से मिले और कहा कि उक्त संकल्प से अच्छा अन्य कोई हित नहीं हो सकता तथा आसाम सरकारी भाषा अधिनियम में कछार जिले के लिये बंगाली भाषा को सरकारी भाषा स्वीकार किया गया है। उस जिले में असमिया को सरकारी भाषा बनाना सर्वथा अनुचित तथा अवास्तविक होगा। हम गोहाटी तथा डिब्रूगढ़ को द्विभाषी विश्वविद्यालय नहीं बनाना चाहते इसलिये कछार जिले के लिये एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प किया गया है।

मैं स्वयं श्री सिन्हा से मिला तथा उन्हें बहुत ही हताश और निराश पाया। उन्होंने कहा कि इस संकल्प द्वारा मैं कोई हल निकालना चाहता था परन्तु क्योंकि कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है अत: मुझे तो अन्य हल नजर नहीं आता। न जाने केन्द्र सरकार ने क्या हल सोचा है ?

कुछ लोग कहते हैं कि इन घटनाओं के पीछे कोई विदेशी हाथ है। संभव भी है, क्योंकि आसाम एक सीमावर्ती क्षेत्र है। परन्तु यदि ऐसा हो भी तो भी विधान सभा द्वारा सर्व सम्मति से पास किये गये संकल्प का समर्थन तथा उसका कार्यान्वियन किया जाना चाहिये था। अब यदि बंगाली तथा असमिया भाषी लोग परस्पर कोई समाधान नहीं निकालें तो न जाने फिर अन्य क्या हल निकलेगा। इस संबंध में कट्टरतापूर्ण नीतियों से काम नहीं चलेगा। देश के लिये यह बहुत बड़े खतरे की चेतावनी है।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है वह तो आरंभ से ही अपने दायित्व से सर्वथा विमुख रही है।

जहां तक उर्दू का संबंध है वह केवल किसी एक क्षेत्र की या केवल मुसलमान लोगों की भाषा नहीं है। देश के अनेक भागों के गैर-मुस्लिम लोग भी इसी को अपनी मातृ-भाषा मानते हैं। परन्तु फिर भी कुछ तत्व इसका संबंध केवल मुसलमानों से जोड़कर राजनैतिक समस्या खड़ी करना चाहते हैं।

भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त ने यह मानदण्ड रखा था कि भाषाई अल्प संख्यकों संबंधी विशिष्ट सुविधायें प्राप्त करने के लिये किसी जिले के तीस प्रतिशत लोग उस विशिष्ट भाषा को

अपनी मातृ-भाषा मानें। मेरे विचार से यह प्रतिशतता बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद तथा रामपुर इन पांच जिलों को इस मानदण्ड के अधीन रखकर उर्दू भाषा संबंधी प्रशासनात्मक आदेश जारी किये थे। परन्तु यहां भी उक्त घोषणा के बाद इन आदेशों की क्रियान्विति के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार दिल्ली राज्य में भी आदेशों तथा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। परन्तु क्योंकि उक्त आदेश तथा निर्देश यहां केन्द्र सरकार ने दिये थे अतः उनकी क्रियान्विति का दायित्व इसी पर है। उर्दू प्रशिक्षित अध्यापकों का भी यही हाल है। उनके पदों के लिये विज्ञापन के समय यह नहीं बताया जाता कि वह उर्दू भाषी अध्यापक होना चाहिये तथा उसे उर्दू माध्यम स्कूल में नियुक्त किया जायेगा। प्रशासन के पास उर्दू जानने वाले अधिकारी ही नहीं बताये जाते। अतः इस संबंध में समुचित जांच तथा यथेष्ट कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि उर्दू माध्यम वाले हायर सैकेन्ड्री स्कूलों में चाहे वे जिले में हों अथवा नगरों में वहां के निवासी यदि उर्दू भाषी हैं तो वहां उर्दू को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिये। इसमें सुयोग्य उर्दू अध्यापकों की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें उचित सुविधायें दी जायें।

उर्दू भाषी लोगों को न्यायालय में याचिकायें पेश करने तथा सरकारी कार्यालयों में आवेदन पत्र उर्दू भाषा में देने का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपरोक्त सुझावों की क्रियान्विति के लिये उचित व्यवस्था गठित की जानी चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि नेपाली भाषियों की संख्या देश में 50 लाख है। उनकी मांग है कि नेपाली भाषा को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय। पिछले महीने स्वयं प्रधान मंत्री ने वहां इस संबंध में लोगों के मतैक्य को देखा सब यही चाहते थे कि नेपाली भाषा तथा नेपाली संस्कृति तथा इतिहास को आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जाये। हमने समाचारों को पढ़ा है कि प्रधान मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस संबंध में दिसम्बर में एक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उक्त सम्मेलन के आयोजन के लिये प्रबंध किये जा रहे हैं तथा यह सम्मेलन कब होगा ?

आज देश के पचास लाख लोग नेपाली भाषा बोलते हैं अतः अब यह नहीं कहा जा सकता कि नेपाली किसी अन्य देश अर्थात् नेपाल की भाषा है। अब तो केवल सात लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली सिंधी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सका है अतः 50 लाख लोगों की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। देश के व्यापक हितों के देखते हुए इन लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिये।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : हम भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के बारहवें प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। मेरा विचार है कि इस प्रतिवेदन में वास्तविक समस्या का अवलोकन नहीं कराया गया है और न ही विभिन्न सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बताया गया है। भविष्य में इस प्रतिवेदन में समूचे तथ्यों तथा समस्या का दिग्दर्शन होना चाहिये ताकि सभा उन पर ठीक प्रकार से विचार कर सके।

श्री दशरथ देव ने कहा कि विष्णुप्रिया, जो कि मनीपुरी भाषा की एक शाखा ही है, को मान्यता दी जानी चाहिये। परन्तु इस प्रतिवेदन में इसका कोई वर्णन नहीं है कि विष्णुप्रिया को मान्यता दी गई है अथवा नहीं।

भाषा की समस्या बड़ी नाजुक समस्या होती है । इतिहास से तो यहां तक पता चलता है कि केवल एक शब्द के उच्चारण को लेकर बड़ी भारी प्रतिद्वन्द्विता तथा शत्रुता उत्पन्न हो जाती थी । अतः भाषाई विवादों के संबंध में सरकार तथा लोगों को बड़ा ही सावधान होकर विचार करना चाहिये ।

आसाम में जो कुछ हुआ है वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इन हिंसात्मक गतिविधियों की भरपूर निन्दा करेगा ।

हमें तो चाहिए कि समस्या के मूल कारण का पता लगाकर उसके लिये समुचित हल खोजें।

वर्ष 1836 तक सम्पूर्ण आसाम राज्य अंग्रेजों के शासनाधीन आ गया था तथा उन्होंने कुछ बंगाली अधिकारियों के कहने पर असमिया को बंगला भाषा की ही एक बोली मानकर उसे मान्यता नहीं दी थी और स्कूल तथा न्यायालयों में बंगला भाषा माध्यम बना दी गयी ।

यह सब रिकार्ड में है । असमिया भाषा और असम के लोगों के प्रति किये गये अन्याय का उस प्रतिवेदन में वर्णन है जो 24 परगना के कलेक्टर द्वारा असम में स्थिति का सर्वेक्षण करने के बाद तैयार किया गया था । 136 वर्षों के संघर्ष के पश्चात् प्राथमिक स्कूलों तथा न्यायालयों में बंगला के स्थान पर असमिया भाषा रखी गई । बंगला के लागू होने के समय से सभी सेवाओं पर उन लोगों का एकाधिकार हो गया जो पढ़े-लिखे थे और अंग्रेजों के साथ असम गये थे । अब असम को द्विभाषी राज्य बनाने के लिए यह बात भिन्न रूप में सामने आई है । इस पृष्ठभूमि को उचित ढंग से समझना है । **(व्यवधान)**

श्री बी० के० दास चौधरी : कलकत्ता विश्वविद्यालय में असमिया भाषा को विश्वविद्यालय स्तर पर किसने मान्यता दी थी ? बंगाल के नेता श्री आशुतोष मुकर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एम० ए० कक्षाओं में असमिया भाषा को स्थान दिया था ।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : आसाम के लोग 42प्रतिशत हैं । 1867 में डा० माइल्स ब्रोनसन ने एक असमियां शब्द-कोष तैयार किया था उसमें 688 शब्दों में से 599 शब्दों को बंगला के शब्द बताया गया था । उसे विद्वान सिविलियन रमेश दत्त की राय जानने के लिये उसके पास भेजा गया था उसने बताया यह अलग भाषा है । **(व्यवधान)**

यह भारत सरकार और शिक्षा आयोग की राष्ट्रीय नीति है कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए । यदि असम में विश्वविद्यालय ने यह संकल्प स्वीकार कर लिया गया कि अंग्रेजी के साथ ही असमिया भी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो इसमें क्या बुराई है । जब गौहाटी विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद ने यह संकल्प पारित किया कि अंग्रेजी और असमिया शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो उसे कचार के लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया । क्या भारत में कोई ऐसा राज्य है जहां शिक्षा के माध्यम के रूप में दो क्षेत्रीय भाषाएं हैं ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल में बहुत से स्कूल और कालेज हैं जहां असमिया हिन्दी और अन्य भाषाएं पढ़ाई जाती हैं ।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : इसीलिये राज्य भाषा अधिनियम में कचार जिले बंगला के लिये उपबन्ध है । असम विधान सभा ने एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करके इस समस्या का हल

करना चाहा था परन्तु कचार के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्योंकि वे केवल अपने आप से सन्तुष्ट नहीं हैं वरन् वे चाहते हैं कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाले बंगला भाषी लोगों पर भी उनकी पर्यवेक्षी भूमिका है। यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो स्थिति बिल्कुल भिन्न होती।

जब असम के विश्वविद्यालयों के असमिया छात्रों ने 5 अक्तूबर को हड़ताल करने का निर्णय किया था तो खारूपेटिया में घटित घटना के कारण वहां लोगों ने हड़ताल नहीं की थी। वहां बहुत सी घटनाएं हुईं परन्तु असम का छात्र समुदाय इस बात के लिये श्रेय का पात्र है कि उन्होंने उन घटनाओं में भाग नहीं लिया। उन्होंने असम सरकार के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया था न कि बंगला भाषी लोगों के विरुद्ध। उन्होंने सरकारी कार्यालयों के सामने सत्याग्रह करना आरम्भ किया था। उन्होंने स्कूलों और कालेजों के सामने सत्याग्रह किया था। उन्होंने किसी भी सरकारी सम्पत्ति पर आक्रमण नहीं किया था। असम सरकार की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सभा में बहुत से आक्षेप लगाये गये हैं। असम सरकार ने 14 अधिकारियों को मुअत्तिल किया है जिनमें से 9 अधिकारी असमिया भाषी थे और जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट थे। इससे पता चलता है कि अल्पसंख्यक लोगों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने में असम सरकार ने अपनी भरसक कोशिश की है।

1931-51 की अवधि में उत्तरी कचार और मिहिर पर्वतीय जिलों में असमिया भाषी जनसंख्या में 428 प्रतिशत वृद्धि हुई है इसका कारण यह है कि वहां परती भूमि पड़ी है और वहां कोई आबाद नहीं हो रहा था। इस अवधि में पूर्वी बंगाल और असम के अन्य भागों से लोग वहां चले गये हैं। पूर्वी बंगाल से जाने वाले सभी मुस्लिम लोगों ने असमिया को अपनी भाषा के रूप में अपना लिया है। वह पर्वतीय जिला है।

शायद यहां प्रत्येक व्यक्ति को पता नहीं है कि 1929 में असम सरकार और रेल मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ था कि असम जाने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति केवल 5 रुपये का भुगतान करके असम में किसी भी स्टेशन तक यात्रा कर सकता है। अविभाजित बंगाल से अनेक लोग असम चले गये और असम की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। 1951 और 1961 के बीच फिर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का अखिल भारतीय अनुपात 24.57 प्रतिशत है जबकि वह वृद्धि असम में 34 प्रतिशत हुई है अर्थात 10 प्रतिशत अधिक हुई है। अतः यह स्वाभाविक है कि जनसंख्या में वृद्धि होती रही है और असमिया भाषी जनसंख्या में वृद्धि होती रही है।

अल्प संख्यकों को अपनी मातृ भाषा में स्कूल स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। माध्यमिक स्तर पर मातृ भाषा का उपयोग करने का उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है फिर प्राथमिक स्तर की बात ही क्या है।

असमिया भाषी लोगों के प्रति वहीं के रहने वाले लोगों में यह धारणा है कि वे लोग भारत के अन्य राज्यों में रह रहे लोगों की तरह नहीं हैं। उनकी धारणा है कि वे कम शिक्षित हैं, वे गरीब हैं और इसीलिये उन पर कोई भी शर्त लगाई जा सकती है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं यह नहीं कहता कि बहुसंख्यकों की भाषा और अल्पसंख्यकों की भाषा के सम्बन्ध में आकांक्षाओं का संघर्ष नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि मैं किसी भी समुदाय पर आक्षेप नहीं लगा सकता।

हमारे राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात भी भाषाओं का संघर्ष जारी है। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया है। एक राज्य में बहु-भाषी समुदाय हैं। यही कारण है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ सिद्धान्त बनाये थे कि भाषाई अल्प संख्यकों की समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाये, संविधान के अन्तर्गत कुछ गारंटियां दी हुई हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ निदेश दिये हैं। इस बारे में हमने राष्ट्रीय नीतियां भी अपना रखी हैं।

मान लीजिए यदि किसी समुदाय का किसी अन्य समुदाय के साथ, चाहे वह भाषाई हो अथवा कोई अन्य हो, आकांक्षाओं का संघर्ष होता है तो क्या किसी समुदाय का यह अधिकार है कि वह सभी राष्ट्रीय नीतियों, संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता की विचारधारा आदि की उपेक्षा करके कानून को अपने हाथ में ले लें।

असम में यह आठवां भाषाई दंगा है। स्वाधीनता की रजत जयंती के वर्ष में यह हालत है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश के किसी अन्य भाग में भी ऐसा हुआ है कि बर्बरता और अत्याचार की घटनाएं आठ बार हुई हों। चाहे साम्प्रदायिक दंगा हो, चाहे क्षेत्रीय संघर्ष हो, चाहे भाषा सम्बन्धी विवाद हो क्या पिछले 25 वर्षों में देश के किसी भाग में ऐसा हुआ है कि दो महीनों से लगातार हत्या, लूट आगजनी महिलाओं का अपहरण आदि की घटनाएं हो रही हैं।

क्या असम एक संप्रभु देश है ? क्या यह भारत के संविधान के अन्तर्गत है अथवा नहीं ? क्या विवादों को निपटाने के लिए इसे हमारे देश के प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का पालन नहीं करना है ? सरकार को कभी कोई विवाद निपटाना होता है और कभी कोई। अत: हमें इस समस्या को असमियों और बंगालियों के बीच संघर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह मूल प्रश्न है। जब तक सरकार कुछ सभ्य प्रजातांत्रिक आचार संहिता अथवा प्रजातांत्रिक सिद्धान्त तैयार नहीं कर लेती तब तक ईश्वर ही जानता है कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता की भावना की धारणा समाप्त हो सकती है।

1960 के दंगों के दौरान पंडित जवाहर लाल नेहरू ने असम का दौरा किया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री को भी वहां भेजा गया। श्री अजीत प्रसाद जैन की अध्यक्षता में एक संसदीय शिष्टमंडल भी असम गया। जब 1968 में हमारे मारवाड़ी मित्रों पर निर्दयता से आक्रमण किया गया तो न्यायिक जांच कराई गई। तत्कालीन गृह मंत्री श्री चव्हाण भी वहां गये और उन्होंने वापस आकर सभा-पटल पर एक वक्तव्य दिया। यह बहुत खेद की बात है कि इस अवसर पर सरकार ने इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में नहीं समझा है किन्तु इसे गुप्त रखने की नीति अपना रही है। श्री मिर्धा और श्री अहमद ने असम का दौरा किया। श्री मिर्धा ने उन दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं किया जहां भाषाई अल्पसंख्यकों को अत्याचारों का सामना करना पड़ा था।

भारत बहुत बड़ा देश है परन्तु सरकार ने इसे क्षेत्रीय समस्या के रूप में लिया है। राष्ट्रीय समस्या के रूप में नहीं। पी० टी० आई० और यू० एन० आई० ने इस समाचार को परिचालित नहीं किया है। हाल ही में कलकत्ता में भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन हुआ था। इसमें बहुत बड़े-बड़े व्यक्तियों ने भाग लिया परन्तु पी० टी० आई० ने एक पंक्ति का भी समाचार नहीं दिया। जब मैंने पूछताछ की कि क्या हुआ तो मुझे बताया गया कि उन्हें इस बारे में एक भी पंक्ति न बताने के अनुदेश दिये गये हैं।

राष्ट्रीय समाचार-पत्र भी अपना कर्त्तव्य पूरा करने में असमर्थ हो गये हैं। असम के समाचार-पत्रों ने दिन-रात विष उगला। असम के समाचार-पत्र यह समाचार दे रहे थे कि सैकड़ों प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्वतः असमिया बन रहे हैं। इस समस्या के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुये राष्ट्रीय आधार पर, न कि क्षेत्रीय आधार पर, हल किया जाना चाहिए।

उस दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा था कि 18 व्यक्ति मारे गये......

सभापति महोदय : क्या हम कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित सभी बातों पर चर्चा कर रहे हैं या केवल प्रतिवेदन पर ? कृपया कानून और व्यवस्था पर बोलने में अधिक समय मत लीजिये।

श्री समर गुह : 500 घर लूटे गये लगभग 300 मां-बहिनों का शील भंग किया गया।

सभापति महोदय : मैं इस पर अनुमति नहीं देता हूं।

श्री समर गुह : धुबरी नौगांव और बहुत से क्षेत्रों में दुर्गा पूजा नहीं मनायी जा सकी। मैं क्षेत्रवार आंकड़े दे सकता हूं। मैं इस बारे में न्यायिक जांच चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपका समय पूरा हो गया है। आप 18 मिनट ले चुके हैं। अब भाषण समाप्त कीजिए।

श्री समर गुह : मैं यह कह रहा था कि यह किसी प्रकार भी भाषाई दंगा नहीं है। समस्या यह है कि बंगालियों को सिद्धान्त रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल चलाने दिया गया है परन्तु ग्वालपाड़ा जिले में नवगांव और अन्य क्षेत्रों में बंगालियों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को समाप्त कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में कालेजों में 90 प्रतिशत छात्र बंगला-भाषी हैं। वे अंग्रेजी को संरक्षण के रूप में रखना चाहते थे, वे यह नहीं चाहते थे कि बंगला को शिक्षा के माध्यम के रूप में रखा जाय।

वास्तव में, विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा के शिक्षा का माध्यम होने का प्रश्न पूर्णतः सैद्धान्तिक है। क्या भारत में कहीं विश्वविद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में है ? असम में वे बिना मतलब ही विश्वविद्यालय स्तर पर इस भाषाई मामले पर लड़ रहे हैं। सभी छात्र चाहे बंगाली हों, अथवा असमिया या आदिमवासी लोग, असम में सैद्धान्तिक मामले पर लड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर सभी छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम है। स्नातकोत्तर स्तर पर असमिया भाषा में कोई भी विज्ञान की पुस्तक उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को 20 मिनट दे चुका हूं। अब उन्हें भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री समर गुह : मैं भाषण समाप्त करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : जिन तीन मिनटों के लिए उनका हक था उनमें से मैं 2 मिनट उन्हें दे चुका हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : तीन मिनट में किसी सदस्य से भाषण समाप्त करने की आशा कैसे की जा सकती है ।

श्री समर गुह : वे सभी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य थे और उन्हें इस पर गौर करना चाहिये था......

सभापति महोदय : अच्छा अब वह तीन मिनट और लेकर समाप्त करें ।

श्री समर गुह : जो सबसे बुरी बात हुई वह यह है कि लगभग 60 से 80 प्रतिशत घटनाएं छात्रों की अपेक्षा अन्य लोगों द्वारा की जाती है । यह ऐसा मामला है जिसकी जांच करायी जानी चाहिये । पाकिस्तानी एजेन्टों ने ऐसा किया था । यही कारण है कि वहां न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए ।

मैंने अपने प्रतिस्थापन प्रस्ताव में यह सुझाव दिया है कि इस समस्या का हल किसी क्षेत्रीय आधार पर नहीं अपितु भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान में उल्लिखित हमारी स्वीकृति राष्ट्रीय नीति के अनुसार और राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए । इस भाषाई समस्या का समाधान करने के लिए भाषाई आयुक्त को चाहिए कि वह विशेष आयोग गठित करे ।

यह विचित्र बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय के 80 प्रतिशत व्यक्तियों को पीड़ित किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है ।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । आप इस प्रकार सभा के समय पर एकाधिकार नहीं कर सकते । श्री गोस्वामी ।

श्री समर गुह : **

सभापति महोदय : वह जो कुछ बोलेंगे उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : सभापति महोदय ...

श्री समर गुह : **

सभापति महोदय : मैं अब उनको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री समर गुह : वहां साधारण स्थिति पैदा करने के लिए एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल भेजा जाना चाहिए अन्यथा यह राष्ट्रीय समस्या सुलझाई नहीं जा सकेगी ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :

"इस सभा की, भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

की अवधि सम्बन्धी बारहवें प्रतिवेदन पर जो 12 अप्रैल, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के उपरांत राय है—

(क) कि सरकार भाषायी अल्पसंख्यकों के भाषायी और सांस्कृतिक विकास की रक्षा करने तथा उसे बढ़ावा देने में असफल रही है ; और

(ख) उसने मैथिली, नेपाली, भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग को ठुकरा दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"इस सभा की, भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि सम्बन्धी बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 12 अप्रैल, 1972 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के उपरान्त, राय है —

(क) कि सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 350, 350 क और 350 ख के अधीन विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों की भाषायी और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने में असफल रही है ;

(ख) कि स्वयं आयुक्त की स्वीकारोक्ति के अनुसार आसाम, हरियाना, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, लक्षदीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, नेफा और त्रिपुरा में भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की सुविधाएं संविधान के अनुच्छेद 350 क के उपबन्धों के अनुरूप प्रदान नहीं की गई हैं ;

(ग) कि केन्द्रीय सरकार ने दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) की नेपाली भाषी जनता की इस मांग को, कि संविधान की अष्टम अनुसूची में संशोधन करके नेपाली भाषा को भारतीय संघ की राज भाषाओं में सम्मिलित किया जाये, मानने से इन्कार कर दिया है।

(घ) कि राज भाषा अधिनियम, 1968, यथा संशोधित, के उपबन्धों का सरकार ने पूरी तरह पालन नहीं किया है ;

(ङ) कि सरकार आसाम में भाषा की समस्या को सुलझाने, असमिया भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने और उसे प्रशासन में लागू करने और राज्य में भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा देने और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में यही नीति अपनाने के लिये प्रभावकारी उपाय करने में असफल रही है ; और सरकार से आग्रह करती है कि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 350, 350 क और 350 ख के

अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों के भाषायी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक हितों की रक्षा करने के लिये समय बद्ध कार्यक्रम अपनाये ।"

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : यह एक बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम यहां भाषायी अल्पसंख्यक के आयुक्त की 12वीं रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे पर यह ऐसा मालूम होता है कि पूरी तरह से आसाम से सम्बन्धित चर्चा हो गई है ।

आसाम वासी हिंसा प्रेमी नहीं हैं । पर फिर भी वहां हिंसा भड़की है । इसका कोई विशेष कारण होना चाहिए । उसे हमें समझना चाहिए, अन्यथा हम इस समस्या को सुलझा नहीं सकते । इस समस्या के दो पहलू हैं एक भाषा का और दूसरा हिंसा का । हमें इन दोनों को उलझाना नहीं चाहिए । यदि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षत्रीय भाषाओं को बनाने की नीति है तो हमें उसका पालन करना चाहिए अत: उस समय असमिया को गोहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया । यह निर्णय गोहाटी विश्वविद्यालय ने ही नहीं लिया वरन 35 विश्वविद्यालय यह निर्णय पहले ही ले चुके हैं । क्षेत्रीय भाषाओं को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को माध्यम बनाने सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में श्री मिर्धा ने कहा था कि ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि देश के सब विश्वविद्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया है । पर जब 35 विश्वविद्यालय इसके पक्ष में निर्णय ले चुके हैं तब कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम न बनाने के कारण उन्हें अंग्रेजी में परीक्षा देने को कहना कहां तक उचित है । राष्ट्रीय नीति के आधार पर गोहाटी विश्वविद्यालय द्वारा असमिया को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपनाने पर कचार के छात्रों ने बंगाल को लेकर आन्दोलन छेड़ दिया । ऐसा होने पर ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि आसाम को द्विभाषी राज्य बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है । यह एक गम्भीर समस्या है और इसी को लेकर यह झगड़ा उठा है ।

दूसरा पहलू बेरोजगारी का है । आसाम में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं युवकों को अपना भविष्य संदिग्ध लगता है । केन्द्रीय सरकार के किसी भी उपक्रम का मुख्यालय आसाम में नहीं है । बाहर के लोगों को नियुक्त कर आसाम भेजा जाता है जबकि वहां पहले ही काफी बेरोजगारी है । ये सब बातें क्या उनके मन में उद्वेग नहीं फैलातीं ? निश्चित रूप से फैलाती हैं । और परिणाम सामने है । आसाम में यह भाषा के प्रश्न को लेकर भड़का अन्य राज्यों में किसी और बात को लेकर भड़कता है । आशा है कि इस विशेष कारण को समझा जायेगा और तदनुरूप कार्यवाही की की जायेगी ।

हिंसा का तीसरा कारण कुछ और ही था जिसका पता गृह मंत्रालय लगायेगा । पहली बार हिंसा 5 अक्टूबर 1972 को भड़की जबकि 'आसाम बन्द' का आह्वान किया गया था । एक स्थान पर हड़ताल न किए जाने पर आस पास के छात्र वहां गये और झगड़ा शुरू हो गया जिसमें 40 युवक घायल हुए तथा एक मरा । ऐसी स्थिति में क्या शान्ति रह सकती थी । 7 अक्टूबर को मृतक की स्मृति में शोक मनाया गया । आसाम के होजाई नामक स्थान पर शोक नहीं मनाया गया । दो असमिया छात्र वहां इसके लिए अनुरोध करने गये । स्थानीय लोगों के यह कहने पर कि यहां आतंक छाया हुआ है लोग वहां से चले आए पर बीच में ही एक को उड़ा लिया गया तथा 10 दिन बाद उसका शव मिला । दूसरे को बुरी तरह घायल किया गया । क्या ऐसी स्थिति में हिंसा को रोका जा सकता है ? इसके लिए मैं बंगाली समुदाय पर आरोप नहीं लगाता । कुछ अन्य तत्वों ने यह स्थिति वहां पैदा की ।

इसी तरह की अन्य घटनाएं वहां हुईं। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय इसका पता लगाए। मैंने तथ्य बताए हैं यदि वे गलत हैं तो मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं। क्या श्री समरगुह भी ऐसा करने को तैयार हैं ?

श्री समर गुह : मैं भी लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। मेरे पास सारे कागजात है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र न्यायिक जांच के लिए तैयार हैं · · · (**व्यवधान**)

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं चुनौती को वापिस लेता हूं (**व्यवधान**)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा है कि कचार के लिए अलग विश्वविद्यालय का आसाम विधान सभा में एकमत निर्णय लेने के बाद उसे वापिस क्यों लिया गया। पर कचार की जनता तथा ब्रह्मपुत्र घाटी की जनता अलग विश्वविद्यालय नहीं चाहती थी अतः इसे वापिस ले लिया गया।

हम आसामी लोग इस भाषायी विवाद से तंग आ चुके हैं। हम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तथा इसके दो ही तरीके हैं। एक भाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाना तथा दूसरे राज्य भर की समान उन्नति होना। यदि ऐसा किया जाता है। तो कोई समस्या नहीं रहेगी अन्यथा यही चलता रहेगा।

*__श्री जे० माता गौडर__ (नीलगिरि) : संविधान के कतिपय अनुच्छेदों के द्वारा भाषायी अल्प संख्यकों को कुछ सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि उन्हें यह सुरक्षा दी जाये। पर प्रतिवेदन देखकर पता चलता है कि ये सुरक्षाएं केवल कागज पर हैं। पिछले चार-पांच साल के प्रतिवेदनों से भी ऐसा ही पता चलता है। यदि वर्ष प्रतिवर्ष आयुक्त को यही लिखना है तो उसकी आवश्यकता ही क्या है।

भाषायी अल्प संख्यकों को दी गई सुरक्षाओं को एक पुस्तिका में प्रकाशित करने की व्यवस्था राज्यों में की जानी चाहिए। क्योंकि अल्पसंख्यकों को राज्यों में इनकी जानकारी तक नहीं है।

आयुक्त को आवश्यक सूचना और आंकड़े दिए जाने की व्यवस्था राज्यों में होनी चाहिए। अधिकतर राज्यों ने भाषायी अल्पसंख्यकों की प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में सूचना आयुक्त को नहीं भेजी है।

कुछ राज्यों जैसे बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी के लिए राजकीय भाषा की जानकारी आवश्यक है। इस प्रकार भाषायी अल्पसंख्यकों को नौकरी के सामान अवसर के मूलभूत अधिकार से वंचित रखा जाता है। यह संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार ने उन्हें संविधान द्वारा प्रदान सुरक्षाएं दिलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। केवल तमिल नाडु में भाषायी अल्प संख्यकों को पूरी सुरक्षा मिल रही है। और हम उन्हें यह सदैव प्रदान करते रहेंगे।

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह कह देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को राजनीतिक हितों के लिए संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों की प्रदान सुरक्षाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : The discussions over the 12th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities have become a bit emotional. The purpose of placing this report before the House was simply to inform the members about the safeguards being given to the linguistic minorities in different states in various fields.

After the reorganisation of states on the basis of language this is for the first time that there had been disturbances on the language issue. It is only our culture, not religion or language, that has kept us united. No doubt, the people of Bengal and Assam are peace loving, but if we discuss this report in the context of the said incidents we will be eluding our real goal for it will only arouse our emotions and feelings and we will go off the track.

If a man settles down, or is transferred to, another state, he and his children are fully entitled to all the facilities. This has been provided in our Constitution. If somebody settles down in another states, does he not have the right to be called the son of the soil ? After all, every Indian born in any part of India is a citizen of this country. Mere geographical demarcation of the land should not divide us. There should not be any question of the "sons of the soil." We are all sons of Mother India, and we are all one and united.

The question of linguistic minority will never arise if we adopt the local culture and learn local language of the state where we go and live. The people of the state should also be cooperative to those who go there and live.

Economic question in one of the factors responsible for mutual ill-will and distrust among the people. If the economic problems of the country are solved, there will be no question of minority or majority.

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : भाषायी अल्पसंख्यकों सम्बन्धी यह समस्या केवल बंगालियों और आसाम के निवासियों में ही नहीं है । आसाम में जो घटनाएं हुई हैं उनके लिए आसाम के निवासियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए किन्तु दूसरी ओर बंगालियों को भी दोषी नहीं मानना चाहिए । यह अब एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है । हम राष्ट्र और संसद के रूप में भाषायी अल्पसंख्यकों के इस मामले को सुलझाने में असफल रहे हैं । आज यह समस्या आसाम में है तो कल मैसूर में भी हो सकती है ।

इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए मैंने अपने संशोधन में प्रस्ताव किया है कि सभी दलों के नेता इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें कि संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं का एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग बनाया जाए जो इस समस्या की जांच करे । एक ऐसा समझौता करे जिस पर सभी सहमत हों । यदि सरकार को यह स्वीकार्य नहीं है तो सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन करे जो इस समस्या पर विचार कर कोई स्थायी हल निकाले । इसके लिए स्थायी हल तभी निकला जा सकता है जब कि हम इसके लिए दृढ़ संकल्प हों । यदि ऐसा नहीं होगा तो जो घटनाएं आसाम में घटी हैं ऐसी घटनाएं अन्यत्र घटती रहेंगी और राजनीतिक वातावरण को दूषित करती रहेंगी ।

ऐसी घटनाएं देश में कई बार हुई हैं और इनका एक लम्बा इतिहास है । अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए देश को अनेक प्रान्तों में विभाजित किया हुआ था ।

आसाम प्रान्त में आसामियों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य लोग भी रहते हैं। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि आसाम के लोगों को अपना भाषायी राज्य होने का पूर्ण अधिकार है और उन्हें दूसरे क्षेत्रों के लोगों की तरह अपने अनुरूप अपना राजनीतिक एवं आर्थिक भविष्य बनाने का पूर्ण अधिकार है। उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिए। किन्तु कठिनाई यह है कि असमिया भाषा न बोलने वाले दूसरे समुदायों के लोग उस क्षेत्र में, जो पहले आसाम का ब्रिटिश प्रान्त कहलाता था, एकत्र हो गये हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि आसाम राज्य को सात या आठ पृथक एकक बनाने के लिए हमें हमारी इच्छा के प्रतिकूल बाध्य किया गया है।

जब नागालैण्ड राज्य बनाने के लिए यहां विधेयक पेश किया गया था तो हमने उसका स्वागत किया था कि इस क्षेत्र में कम से कम ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का अन्त होगा। इसके बाद यहां मिजोरम बना, फिर मनीपुर त्रिपुरा और अरुणाचल बने। अब सरकार के सम्मुख आसाम का प्रश्न है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि आसाम के लोग, विशेषकर ब्रह्मपुत्र घाटी में, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मुख्य कठिनाई मध्यम वर्गों के बंगालियों और मध्यम वर्गों के आसामियों के बीच विभिन्न अवसरों के लिए प्रतिस्पर्द्धा है जो प्रान्तीय स्वायत्तता अथवा राज्य स्वायत्तता के रूप में सामने आई है। यदि सरकार इन सब प्रकार के विवादों एवं हिंसा को समाप्त करना चाहती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रह्मपुत्र घाटी में आसाम के बहुसंख्यक लोगों को किसी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े, कछार के बंगाली भाषी जिले को पृथक करके संघराज्य क्षेत्र बना दिया जाना चाहिए। यदि मिजोरम को एक पृथक राज्य बनाने की कोई योजना है, और इसे एक पृथक राज्य बनाया जा सकता है, तो उस क्षेत्र में कछार को भी एक पृथक राज्य बनाया जा सकता है। कछार के लोगों ने यह मांग भी की है। सारे राज्य में लोगों में रोष और उत्तेजना व्याप्त है। अतः देश के भविष्य के लिए इस मामले का कोई हल निकाला जाना चाहिए और एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए जो इस समस्या के बारे में कोई स्पष्ट निदेश दे। सभी दलों को मिल बैठकर यह बताना चाहिए कि वह विभिन्न राज्यों में अपने भाषायी अल्पसंख्यकों को कौन सी गारंटियां प्रदान करेंगे। यहां से ऐसा निदेश जारी किया जाना चाहिए कि केवल उनके भाषायी अधिकार ही नहीं, अपितु उनकी नागरिकता के अधिकार भी सुरक्षित रखे जायेंगे।

इस समस्या के बारे में हल निकालने के लिए 1961 में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी जिसने कुछ ठोस सुझाव दिए थे, किन्तु उन सुझावों का अभी तक पालन नहीं किया गया है। अतः इस मामले पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। दूसरे ब्रह्मपुत्र घाटी के आसाम के बहुसंख्यक लोगों के मन में से यह भय निकाला जाना चाहिए कि कछार और वहां बसने वाले बंगालियों के कारण आसाम में उनकी प्रभुसत्ता को चुनौती दी जाती है और भविष्य में भी दी जाती रहेगी। बंगालियों के वहां जाने पर तुरन्त रोक लगायी जानी चाहिए और उन्हें वहां नहीं बसने दिया जाना चाहिए। कम से कम कछार को इन सब झंझटों से मुक्त रखना चाहिए और इसे संघराज्य क्षेत्र बनाया जाना चाहिए अथवा राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। आसाम को बंगालियों की प्रभुसत्ता के भय से मुक्त कराया जाना चाहिए।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : भारत एक विशाल देश है और यहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अतः यहां भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्यों का

भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन किया गया है जिससे भाषा की कठिनाइयां कम हो सकें। फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनेक प्रावधान हैं।

आसाम में हाल ही में इतना विशाल जन आन्दोलन हुआ है जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। लाखों लोगों ने सत्याग्रह किया और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लोगों में बहुत उत्तेजना और रोष था। यह सच है कि समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों ने स्थिति से लाभ उठाया और आगजनी, लूटपाट, और हिंसा की घटनाएं हुईं। आसाम के लोगों ने इन घटनाओं की बहुत तीव्र निन्दा की है। आखिरकार यह सब किस कारण हुआ है। मामला बहुत साधारण सा है। यह मामला विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के मामले में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति क्या है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल चालू रखें।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 29 नवम्बर, 1972/8 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 29, 1972/Agrahayana 8, 1894 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—27-12-72—490